राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 1]   बारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का छठा दिवस   [संख्या : 4

मंगलवार,

20 जनवरी, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अभिवादन

सदन में अभिवादन

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह राम राम-सा या कोई और कुछ सम्बोधन, पहले आपका सम्वाद नहीं हो सकता है सीधे स्पीकर से, इसलिए केवल हाथ जोड़ना ही काफी है। मैं भी आपको अभिवादन यों ही करती हूं, आप भी इसी प्रकार से अभिवादन करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : पर आप अभिवादन मुस्करा कर करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि आप हमसे खुश हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जब मैं सदन से बाहर आप से मिलूं तब आप जय रघुनाथजी की, जय माताजी की, कुछ भी कहें, अच्छी बात है, लेकिन सदन में केवल हाथ जोड़ कर ही आप अभिवादन करें। अभिवादन का तरीका यही है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्षजी, यह तो सभी सदनों में होता है राम राम-सा।

श्री अध्यक्ष : अभिवादन का यही तरीका है।

श्री रामनारायण मीणा : यह तो सभी सदनों में होता है, पार्लियामेंट में भी होता है, यह नई परम्परा आप डालें तो हमको कोई एतराज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : अब कोई सम्वाद नहीं होगा आपका, अब प्रश्नकाल शुरू हो रहा है।

प्रश्न संख्या–1, श्री रामनारायण नैनवां।

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के विद्यालयों में कक्षावार अध्यापकों की नियुक्ति

1. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या के अनुपात में कक्षावार एवं विषयवार अध्यापक नियुक्त किये हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या सरकार द्वारा घोषित 100 दिन की कार्य योजना में इस विषय में भी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) विभाग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार एवं विद्यार्थी संख्या के अनुपात में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पद स्वीकृत किये जाते हैं किन्तु वर्ष 2000-01 एवं वर्ष 2002-03 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। वर्तमान में क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए मानदण्डानुसार पद स्वीकृत नहीं होने व सृजित पद रिक्त होने के कारण विद्यालयों में मानदण्डानुसार अध्यापक नियुक्त नहीं हैं। विभाग द्वारा मानदण्डानुसार पद सृजित कराने व रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा रिक्त पदों को गैस्ट फैकल्टी योजना,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शिक्षण व्यवस्था योजना अन्तर्गत अस्थाई रूप से भरने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर, चयनित व्याख्याताओं को नियुक्तियां प्रदान कर, माननीय न्यायालय में भर्ती सम्बन्धित लम्बित वादों का त्वरित गति से निस्तारण करा कर रिक्त पद भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही हैं। रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है एवं पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की कार्यवाही करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि इस समय राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा में 45,721 पद रिक्त हैं ? और क्या इन पदों को सौ दिन में हण्ड्रैड डे विजन, पता नहीं क्या है, हमें तो ब्रॉशर मिला नहीं, उसमें भरने की आपकी योजना है ?

दूसरा, क्या यह सही है कि ये पद इसलिए रिक्त चले आ रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने, जो अभी जज हैं उनका नाम तो आप बता पाएंगे शायद, नाम में कोई एतराज नहीं है, स्टे दिया हुआ है ? कब स्टे दिया, उसको खारिज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, कब तक उसको रिक्त किया जाएगा ? इसी के साथ आपने शिक्षण व्यवस्था के नाम पर गैस्ट फैकल्टी में जो टीचर्स लगा रखे हैं, आपने छांटकर टीचर लगाये, एक से एक बढ़िया टीचर को नौकरियां दी हैं सरकार ने, क्या उन टीचर्स को जब तक हाई कोर्ट का स्टे खारिज नहीं हो, रैगुलराइज करने की आपकी कोई योजना है, चूंकि वे वैल एजुकेटेड हैं इसी के साथ आपने--

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं।

दूसरा, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि व्यवस्था बहुत गड़बड़ा रही है। किसी विद्यालय में जहां 10 टीचर होने चाहिए, दो टीचर हैं। किसी विद्यालय में जहाँ 5 होने चाहिए, वहां 8 हैं। शहरों में सब आना चाहते हैं। शहर में जिसने

(श्री रामनारायण मीणा)

10 साल पूरे कर लिये और जिसने गांव में 10 साल पूरे कर लिये,उसको उस स्थान से शहर में और शहर वाले को गांव में देकर शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की, शिक्षण व्यवस्था के नाम से जो टीचर एक जगह हैं, मैं आपको एक नाम बताऊं देवीशंकर चपरासी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इंफार्मेशन सीक करें, प्रश्न इंफार्मेशन सीक करने के लिए होता है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इस तरह की जितनी भी आपकी व्यवस्थाएं हो रही हैं...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये न।

श्री रामनारायण मीणा : जितनी भी आपकी अव्यवस्थाएं हो रही हैं उनको कब तक ठीक करेंगे ? उसमें कोई व्यवधान है तो कृपया सदन को बताने की कृपा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायणजी ने जो कहा, वह बिलकुल सही है। इस समय राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था की स्थिति है। जिस प्रकार से रिक्त पद हैं वे रिक्त पद इतने अधिक हैं कि उनको भरना अत्यन्त जरुरी है। मैं आपको बताता हूं, आपने बताये उतने नहीं हैं, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा में कुल 13,710 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से प्रारम्भिक शिक्षा में 24,011 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर 37,771 पद रिक्त हैं।

माननीय रामनारायणजी ने जो कहा, यह बात भी सही है कि विभिन्न स्तरों पर राजस्थान उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त हैं। थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी उसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक दिया। सैकण्ड ग्रेड की भर्ती की प्रक्रिया भी न्यायालय द्वारा रुकी हुई है। शारीरिक शिक्षकों की प्रक्रिया, वह भी न्यायालय द्वारा रुकी हुई है। इसी प्रकार से, जो अपने को व्याख्याताओं के पद भरने पड़ते हैं, वे अपने को आर. पी. एस. सी. के माध्यम से भरने पड़ते हैं। आर. पी. एस. सी. को आज नाम भेजने पर, अभ्यर्थनाएं भेजने पर, इतने पद खाली हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम से कम डेढ़ साल का समय वह लगाते हैं। डी. पी. सी. के जो हमारे पद हैं उसमें भी आर.पी.एस.सी. का जब आदमी आता है तो डी.पी.सी. पूरी होती है, इसके कारण से वे पद भी रिक्त हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है कि आगामी शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पहले सीधी भर्ती के द्वारा इन पदों को भरा जा सके। उसके लिए हमको तीन काम करने पड़ेंगे। पहला काम न्यायालय में जल्दी से जल्दी स्टे वेकेट कराना और उनकी नियुक्ति करना। दूसरी बात, शिक्षण व्यवस्था पर जैसा आप बता रहे थे, उसके लिए कुछ व्यवस्था की हुई है, गैस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स लगाये हुए हैं, शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत टीचर्स लगाये हुए हैं। फिर भी जितने अध्यापकों की आवश्यकता है हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आपने कहा, सौ दिन की कार्य योजना में, सौ दिन की कार्य योजना नहीं, हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी यह कहा था कि 31 मार्च तक जिस साल में जितने पद रिक्त होंगे, उन पदों को सीधी भर्ती के द्वारा हम भरेंगे। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्वस्त करना चाहूंगा सदन को कि फरवरी के माह में हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर देंगे और निश्चित रूप से आगामी शिक्षा सत्र के पहले 30 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने का राज्य सरकार का मानस है, निश्चित रूप से हम इसको पूरा करेंगे। यही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : कोई बात नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : साहब, इनको तो यह पूछो कि इन्होंने अपने पांच साल के राज में क्या किया।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : बिना वितीय प्रावधान के विद्यालय क्रमोन्नत किये गये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शिक्षा के साथ और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है बिना वित्तीय प्रबन्ध के, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? आप यह बताने का कष्ट करें ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : हण्ड्रैड डे विजन जो भी है...

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्नकर्ता का नाम पुकार दिया है।

श्री रामनारायण मीणा : वह 18 मार्च को समाप्त हो रहा है। मेरा एक प्रश्न था जिसका जवाब मुझसे नहीं मिल पाया है, एक सीधी क्वैरी है, गैस्ट फैकल्टी में आपने ईमानदार छवि देखकर, मार्क्स देखकर नियुक्तियां दी हैं, उनको रैगुलराइज करने में न कोर्ट आड़े आता है न कोई कानून आता है, आपको केवल आदेश करना है, उनको आप हण्ड्रैड डेज में करेंगे कि नहीं करेंगे, यह आप बताने की कृपा करें ?

दूसरा मेरा इसी के साथ यह भी आपसे अनुरोध है, आपने जो पद बताये, कृपा करके उसको ठीक कर लें, माध्यमिक शिक्षा में आपने बिलकुल ठीक बताये लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा में 32,011 पद हैं।

यदि आपके यहां किसी तरह से वो कमी आ रही है, आपने आज एक प्रश्न का जवाब दिया है वह सही जवाब सदन में आप नहीं दे पाये। एक तारांकित प्रश्न संख्या 8 माननीय अमरारामजी का है उसमें आपने जवाब दिया कि 32011 प्रारम्भिक शिक्षा के हैं और ये माध्यमिक शिक्षा के हैं। दोनों मिलाकर जो संख्या बताई है वह 45721 बैठती है। 30 हजार पद आप भरोगे और उसके बाद नये स्कूल खुलेंगे। आपकी योजना है कि मिडिल स्कूल आप क्रमोन्नत करेंगे, हाई स्कूल करेंगे, तो आपके पद और रिक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सारे पदों को जो 30 हजार के बजाय 45721 हैं, क्या उन सब को भरने की, और गैस्ट फैकल्टी वालों को रैगुलर करके क्योंकि वे योग्य हैं, उनसे अच्छे नहीं मिल सकते, वे शिक्षित हैं और वो कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं, उस दृष्टि से आप उनको भी रैगुलराइज करने की और यह भरने की कृपा करेंगे ?

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : आपने तो एक भी पद नहीं भरा, हम तीस हजार तो भर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने क्या किया पांच साल तक, यह तो पूछो इनको, शिक्षा मंत्रीजी खुद बैठे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको सब सिखा दूंगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय रामनारायणजी, यह सुझाव आप पहले ही दे देते तो ये खाली ही नहीं होते। ये पद खाली क्यों किये गये आपके राज में ? उस समय आपने यह सुझाव क्यों नहीं दिया इनको ?

श्री रामनारायण मीणा : आप तो मुश्किल से आये हो, क्यों पकड़ रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, खण्ड एक में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 2001, 2002, 2003 में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनमें पद अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं जबकि छात्रों ने दाखिले ले लिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको दूसरे प्रश्न के लिए पुकारा है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मेरा नाम है। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं इसमें।

श्री अध्यक्ष : पूछिये, पूछिये। आप प्रश्न के तरीके से प्रश्न पूछिये, भाषण मत दीजिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय,ये जो नये विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं इनमें राज्य सरकार कब तक आवश्यकतानुसार पदों को स्वीकृत करने जा रही है ? मैं मंत्री महोदय से पिन पाइंटेड सवाल करना चाहता हूं कि इनमें कब तक आप पद स्वीकृत करेंगे और उनकी भर्ती कब तक कर देंगे ? क्या 100 दिन में पूरी कर पाएंगे, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रोजाना अखबारों में घोषणाएं की हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न हैं। पहले माननीय रामनारायणजी का है कि गैस्ट फैकल्टी में जो लोग रख रखे हैं वे ट्रेंड भी हैं और वे योग्य भी हैं, उनको नियमित करने का विचार है क्या। और दूसरा प्रश्न जुबेर खानजी माननीय सदस्य का है,आपको कहना है कि जो पद स्वीकृत हुए हैं वे कब तक स्वीकृत कर देंगे, कब तक भर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल साफ कहना चाहता हूं कि गैस्ट फैक्ल्टी में जो लोग लगाये जा रहे हैं वे रिटायर्ड लोग भी हैं और अनरिटायर्ड भी हैं। गैस्ट फैक्ल्टी का मतलब ही यही है कि उनकी सेवाओं को सामान्य रूप से कुछ समय के लिए कुछ पैसा देकर काम में लिया जाता है और वह एक टैम्परेरी व्यवस्था है। इसलिए जो अतिथि फैकल्टी के लोग हैं उनको नियमित करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दूसरी बात जुबेर खानजी ने कही है, हमारे यहां अध्यापक हैं, जो नई क्रमोन्नत स्कूल हैं।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही जवाब आ जाए इसमें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें। प्रश्न का जवाब देने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनमें जो आप कह रहे हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनकी आयु अभी नौकरी लगाने लायक हैं वे लोग सीधी भर्ती में आ सकते हैं, सीधी भर्ती में आने पर उनको कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया और राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है कि किसी भी व्यक्ति को हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में किसी प्रकार का फायदा नहीं दे सकते, सीधी भर्ती में जो अंक हैं उसी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। जुबेर खानजी, अपने यहां माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में प्राचार्य का एक, व्याख्याता के पांच, शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी का एक और पुस्तकालयाध्यक्ष का एक और वरिष्ठ लिपिक का एक पद सृजित किया जाता है। सारी कैल्कुलेशन करा ली गई है, राज्य सरकार फरवरी के महीने में जितने-जितने पद रिक्त हैं उन सारे पदों को वर्गीकृत करके प्रकाशित करेगी। जिस प्रकार से भरे जा सकते हैं, हम आर.पी.एस.सी. को भी अभ्यर्थना भेज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रहे हैं, फरवरी के महीने में प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार नये शिक्षण सत्र के प्रारम्भ होने से पहले अधिकांश रिक्त पदों को भरने का भरसक प्रयत्न करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय जुबेर खानजी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मंत्री महोदय, जिनकी उम्र पूरी हो गई...

श्री टीकमचंद कान्त (सिवाना) : शिक्षाकर्मी और संविदा वाले उन अध्यापकों का क्या होगा यह प्रश्न भी राजस्थान में बहुत बड़ा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि जो 1998 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वरीयता सूची बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनको नियमित किया जाए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : हाई कोर्ट से स्टे आ गया, उनको वरीयता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब देना है ?

श्री अध्यक्ष : आप दीजिये जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि चार प्रकार के स्थगन आदेश हैं। एक राजीव गांधी पैराटीचर्स के बारे में पिछली सरकार ने जो 7 हजार वेकेंसी निकाली थीं उसमें 75 प्रतिशत राजीव गांधी पैराटीचर्स को लेते हुए निकाली थीं और इसी के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका लगी जिसमें यह कहा गया कि इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसके कारण से राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसमें स्टे दिया हुआ है, हम उस स्टे को वेकेट कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह स्टे वेकेट होने के बाद ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निर्णय कर सकती है। हम समायोजित करना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जो डिफैक्टिव आर्डर निकाला है उसको निरस्त कर दीजिये, अपने आप ही हो जाएगा। हाई कोर्ट का स्टे समाप्त हो जाएगा और आप सब को नियुक्ति का आदेश निकाल दीजिये, सब पैराटीचर स्थायी हो जाएंगे। 30 हजार भरे जाएंगे। अगर आपको लगाना है तो वो जो डिफैक्टिव आर्डर इन्होंने निकाला है।

श्री कालूलाल गुर्जर : वो यही तो रहे हैं। माननीय सदस्य, इसी से तो भरे जाएंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि राजस्थान के वो ग्रामीण क्षेत्र जो शिक्षा में पहले से पिछड़े हुए हैं, गैस्ट फैकल्टी में केवल ट्रेंड टीचर्स को लगाने का है, आज भी आपकी योजना।

श्री कालूलाल गुर्जर : इसको वेकेट ही करा लेते पांच साल में।

श्री अमराराम (धोद) : आज जनवरी आ गई और मार्च में एग्जाम होगी, वहां कोई ट्रेंड टीचर नहीं मिलता और इस कारण से उनको और पिछड़ा रखना है इसलिए उन क्षेत्रों में जहां गैस्ट फैकल्टी में आप परमानेंट नहीं दे रहे हैं वहां अनट्रेंड को भी मात्र भत्ता देते हैं, वहां अनट्रेंड को भी लगाने की इजाजत दी जाए जिससे उनमें और पिछड़ापन नहीं हो, उनको और पिछड़ना नहीं पड़े। इसकी इजाजत आपको देनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अमराराम जी ने दो बातें कही हैं, इनकी चिन्ता से मैं सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के ट्रेंड टीचर नहीं मिलने के कारण से यह सारी स्थिति हो रही है। इसलिए हम सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देंगे कि परीक्षा नजदीक में है, गैस्ट फैकल्टी में जो अच्छी तरह से पढ़ा सकें वो टीचर्स अगर उपलब्ध हों तो गैस्ट फैकल्टी में उन टीचर्स को लगाकर वेकेंट पोस्टों को भरने का प्रयत्न करें ताकि शिक्षण व्यवस्था में फर्क नहीं पड़े।

दूसरा, आपने यह कहा कि सरकार ने कोई गलत आर्डर निकाल दिया था। अध्यक्ष महोदय, सरकार एक सतत् प्रक्रिया है, मैं इसमें दोष देने का काम नहीं करता। एक आर्डर निकाला भर्ती करने का, उस आर्डर में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय से स्टे वेकेट कराने की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोशिश कर रहे हैं। अगर स्टे वेकेट नहीं होता है और उस आर्डर में संशोधन की आवश्यकता है तो राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से राय मांगी है कि इस आर्डर के सम्बन्ध में और इस उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के सम्बन्ध में हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं। महाधिवक्ता की जिस प्रकार की राय आएगी, विधि विभाग की जिस प्रकार की राय आएगी उस राय को लेकर हम तदनुरूप कदम उठाने का निश्चय करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आपने बहुत-से आर्डर निरस्त किये हैं, राजीव गांधी संकुल का आपने निरस्त कर दिया, तो इसको निरस्त करने में आपको क्या एतराज है ? एतराज यह है कि उनको लगाना पड़े। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जुबेर खान।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो राजीव गांधी शिक्षा संकुल केन्द्र था उसके लिए तो राय नहीं मांगी महाधिवक्ता से और आज राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बैठे...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : 100 दिन में सारे अध्यापकों के पद भर देंगे तो ये 100 दिन आपके कौनसी तारीख से शुरू होते हैं ? शुरू होते भी हैं या नहीं होते हैं, कृपया यह तो बता दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : इस आदेश को निरस्त करने में तो इनको महाधिवक्ता की राय चाहिए और जहां केवल राजनीति करनी हो, राजीव गांधी शिक्षा संकुल से राजीव गांधी का नाम हटाना हो वहां इनको महाधिवक्ता की राय की जरूरत नहीं है...(व्यवधान) जब यह संख्या 45 हजार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि कई तरीके हैं यहां पर आपको इस बात को उठाने के। प्रश्न केवल इंफार्मेशन सीक के लिए होता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : केवल इंफार्मेशन सीक से क्या होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इंफार्मेशन सीक करने के लिए होता है। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इंफार्मेशन से क्या होगा? राजस्थान में 48,000 और 48,000 तो आपने बताये हैं, जो स्कूल क्रमोन्नत किये गये सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी, अगर सबको जोड़ेगें तो 60,000 पद होंगे, और जो सबसे ज्यादा अफकैट, हो रहे हैं राजस्थान में 40,000 गांव, आज शहरों में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पूरे टीचर नहीं हों...

श्री अध्यक्ष : और भी तरीके से उठाएं इस प्रश्न को।

श्री अमराराम (धोद) : ग्रामीण क्षेत्र जहां 40,000 गांवों में लोग रहते हैं, उनमें सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल में केवल लड़कियों की स्थिति देखिये, आज भुंवाला में दो टीचर है, आप लड़कियों और बच्चियों की सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी शिक्षा की बात करते हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य है।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, इतना विस्तृत जवाब दे दिया गया, अगला प्रश्न लिया जाए। ज्यादा समय एक ही प्रश्न में नहीं ले, कृपा करके दूसरा प्रश्न लिया जाए। इसका लम्बा चौड़ा जवाब दे दिया गया है। यह जानबूझकर प्रश्नकाल को लम्बा करने से क्या मतलब हुआ ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, यह 100 दिन का झंझट क्या है, वह तो बता दो कम से कम ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह अनावश्यक रूप से प्रश्न काल को लम्बा किया जा रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा...

श्री कालूलाल गुर्जर : सदन में प्रश्नकाल का बहुत अच्छा समय है, इसको जाया किया जा रहा है। अगला प्रश्न लिया जाए। काफी विस्तृत जवाब दे दिया है मंत्री महोदय ने।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न । श्री जुबेर खान। (व्यवधान)

आप नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं अगले प्रश्न पर जाऊं क्या? (व्यवधान) बीच में बोलें नहीं आप।

जिला अलवर के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच

2. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में विभिन्न राशन डीलरों के विरुद्ध जांच चल रही है यदि हां तो किन–किनके विरुद्ध ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला अलवर में कुछ राशन डीलरों द्वारा गरीबी रेखा में चयनित (बी.पी.एल.) परिवारों को मिलने वाले गेहूं को इन परिवारों को देकर बाजार में बेचान कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे डीलरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त डीलरों एवं जांच के उपरान्त कार्यवाही नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. किरोड़ी लाल) (1) जी हां। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जांच के उपरान्त दर्ज किये गये सभी प्रकरणों में सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में नही आया है जिसमें दोषी पाये जाने के बाद भी राशन डीलर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई हो।

(सूची के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जो आपने सूची संलग्न की है, यह गत सात वर्षो से जांच चल रही है और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल., परिवारों का अनाज जो जाता है, डीलर उसको बाजार में बेच रहा है। आपने स्वयं स्वीकार किया है खण्ड (2) में, हां सही है, बेचा जा रहा है, सूची संलग्न है। यहां तक भी है कि मंत्री महोदय इनके खिलाफ क्या

(श्री जुबेर खान)

कार्यवाही करेंगे, जांच अधिकारी ने सक्षम अधिकारी को लिख दिया कि ये दोषी हैं और इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। आपके अधिकारी उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करा रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में है कि अलवर जिले में कितने ऐसे केसेज हैं जिनमें जांचकर्ता अधिकारी ने सक्षम अधिकारी को लिखा है कि इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नही की गई है ? उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : यह आप ही के राज में हुआ है। (व्यवधान) गेहूं बेचकर खा गये आप लोग। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : इनको जेल में डालो, इन्होंने लूट मचाई है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह राजस्थान में एक महीने से हो रहा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गेहूं बेचकर खा गये, कांग्रेसी लोग खा गये, यह कांग्रेस की सरकार है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : सरकार कह रही है कि गरीबों के साथ में यह हुआ, पांच साल में यह हुआ....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बच्चों की घूघरी भी खा गये, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने का कौनसा तरीका है। आपका ? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मंत्री महोदय, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करो जिन्होंने पांच साल तक भ्रष्टाचार किया है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, 15.7.2003 से 30.7.2003 राजेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण महावर, वार्ड नं. 27, सुनो, आपकी कालाबाजारी की बात, जो आपने गेहूं बेचकर खाया है उसको सुनो आप, सुनो आप। (व्यवधान) सफाई कर्मियों का 128 किलो गेहूं, 15.7.2003 से 30.7.2003 का 128 किलो गेहूं, श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण, पता

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

छोटी दौसा, करीब मंदिर के पास, वार्ड नं 27,128 किलो गेहूं, इन्होंने पर्चियां बांट दी और बी.पी.एल. परिवार के लोगों को गेहूं नहीं दिया। वह मजदूरी करने जाता है, मजदूरी करने गरीब जाता है, कोई सेठ-साहूकार नहीं जाता है। आपने लोगों से मजदूरी करवाई, आपने लोगों को गेहूं के कूपन दिये और आप गेहूं बेचकर खा गये, आपने डीलर के घर भर दिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं ? आप प्रश्न पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल परिवार वालों का गेहूं इन्होंने बेचकर खाया है, उसकी जानकारी मैं सदन को दे रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको मंत्री बनाया है क्या जो जवाब दे रहे हैं ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं यह कह रहा हूं कि गेहूं बेचकर खा गये आप लोग। +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्द को वापस लें। "छाले" क्या वर्ड होता है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : +++ कांग्रेसी (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : उसके बाद भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की गरीब जनता के पैसों से ट्रेनिंग दे दी, फिर भी असंसदीय शब्द बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : व़ह पहली ट्रेनिंग आर.एस.एस वालों को दी है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जिसने चोरी की, वह चोर।

श्री अध्यक्ष : देखिए, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र का भी यही हाल है। बी.पी.एल. परिवारों ने काम किया, आज तक उनको गेहूं नहीं मिला। जगह जगह कालाबाजारी, कांग्रेस के शासन में जगह-जगह मजदूरों और गरीब लोगों के साथ में यह हुआ है, उसकी पूरी जांच कराई जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जुबेर खान, आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : डेढ़ महीने से बहुत तमाशा हो रहा है।

श्री जुबेर खान : पूछा है न साहब, वह जवाब तो दें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तो जवाब ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं कि नहीं ? (व्यवधान) आप बोलिये, मंत्री महोदय, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उन्होंने यह कहा कि ऐसे प्रकरण हैं जिनमें एफ.आई.आर. दर्ज कराने में अधिकारियों ने लापरवाही बरती। यहां दो प्रकार के मामले हैं, एक तो शहरी क्षेत्र है उसकी तो सिविल सप्लाई का डिपार्टमेंट एफ.आई.आर. दर्ज कराता है विद द परमिशन आफ द कलक्टर। और एंफोर्समेंट इंस्पैक्टर स्तर का जो अधिकार पंचायत क्षेत्र में चला गया, उसकी एफ.आई.आर. विकास अधिकारी दर्ज कराता है विद द परमिशन आफ द पंचायत समिति की साधारण सभा या स्टैंडिंग कमेटी ऐसे 17 मामले हैं जिसकी सूची मैंने माननीय सदस्य को दे दी है, और स्पेसिफक मामला हो तो बताओ।

श्री जुबेर खान : नहीं, आप एफ.आई.आर. दर्ज कब कराएंगे ? मंत्री तो आप हैं, चाहे यह पंचायत समिति के अधीन रहा हो चाहे रसद विभाग के अधीन रहा हो, मंत्री महोदय, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि इन लोगों के खिलाफ जांच के अनुसार एफ.आई.आर. कब तक दर्ज करा दी जाएगी ?

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, आप किसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाना चाहते हो, थोड़ा पाइंटेड बता दें।

श्री जुबेर खान : जो आपके जांचकर्ता ने रिकमण्ड की है उनके खिलाफ। मेरा कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, आपके जांचकर्ता ने जिनको भी...

डा. किरोड़ी लाल : ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है। सब में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ अलवर जिले में मंत्री महोदय जांच करा लें कि अगर ऐसे प्रकरण में दोषी व्यक्ति...(व्यवधान) यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है, आजकल वे दर दर भटक रहे हैं, ऐसे मजदूरों को गेहूं नही मिला, पैसा नहीं मिला, कितने समय में उनकी जांच करके उनको पैसा और गेहूं उपलब्ध कराएंगे ? इस पर हाई पावर कमेटी नियुक्ति की जाए, नहीं तो मजदूर आज भी दर दर भटकते हैं और उनको गेहूं नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली। एफ.आई.आर. दर्ज कराने से तो वह फिर लम्बा हो जाएगा लेकिन आप इस सदन को आश्वस्त करें कि कितने दिन में उनको गेहूं और मजदूरी मिल जाएगी।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, आपको विभाग ने गुमराह किया है। मैं आपको व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, अलवर में आज भी ऐसे लोग हैं, जहां बी.डी.ओ. ने एफ.आई.आर. दर्ज नही कराई है। आप सदन को गुमराह मत कीजिये कि कोई प्रकरण नहीं है। हो सकता है, आपकी जानकारी में नहीं आया हो, आप तो यह बताएं कि अगर है तो कब तक एफ.आई.आर दर्ज कराएंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने जांच करवा ली और डीलर दोषी पाया गया गेहूं और दूसरी चीजों की कालाबाजारी में, आपने एफ.आई.आर. भी दर्ज करा दी, उसके बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जो अब भी डीलर का काम कर रहे हैं और जिनके लाइसेंस अभी तक निलम्बित नहीं हुए ?

श्री रामनारायण मीणा : खूब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से...

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले प्रश्नकर्ता टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजिये। जब तक मूल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं आ जाए, आप बिराजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अलवर के सम्बन्ध में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, लाइसेंसी अभी कोई भी काम नही कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लाइसेंस वाले कितने काम कर रहे हैं ?

श्री जुबेर खान : यह सूची में है, ये सारे बांट रहे हैं राशन अभी भी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 23 हैं, 23 हैं।

डा. किरोड़ी लाल : 17 के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 23 वे लोग हैं जिन्होंने कालाबाजारी में बी.पी.एल का गेहूं बेचा। मेरा पाइंटेड सवाल यह है कि क्या उनके लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं ? कर दिये है तो तारीख बता दो। नहीं किये हैं तो यह बता दो।

डा. किरोड़ी लाल : इनका मैंने बता दिया कि जो शहरी क्षेत्र हैं, उसमें फूड सिविल डिपार्टमेंट ने सब में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी है और जो पंचायत क्षेत्र है, पंचायत समिति के बी.डी.ओ. मुकदमा दर्ज कराते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को पाबन्द किया जाए कि वह जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी होमवर्क करके नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आप एक समय में एक ही माननीय सदस्य बोलें। आप सब पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा।

श्री अमराराम (धोद) : यह गांव की टालना चाह रहे हैं, शहर की दे रहे हैं, तो गांव का उत्तर कौन देगा ? पंचायती राज मंत्रीजी हैं नहीं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है।

श्री अमराराम (धोद) : मुख्य मंत्रीजी हैं, वह दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मंत्रिमण्डल कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से काम करता है, अब यह कहकर उत्तर नहीं टाल सकते।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये अब आप, इनके प्रश्न का जवाब आने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : ये जो टोटल सत्रह हैं, इनमें से तेरह के लाइसेंस निरस्त कर दिये, और बाकी कार्यवाही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह कहो। यस, यह हुई बात, बाकी का और कर देंगे, यह कहो। बाकी कब तक कर दोगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : कब किये? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कब किये ? अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन ही नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि सत्रह में से तेरह के निरस्त कर दिये। आपको जालौर से आने वाले माननीय जोगेश्वर गर्गजी ने कहा और आपने कह दिया। कब निरस्त किये, माननीय अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आपने रसद विभाग... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी-अभी मंत्री महोदय ने सदन में यह कहा है कि सत्रह में से तेरह के लाइसेंस निरस्त कर दिये, कृपया आप सदन को यह अवगत कराएं कि इनके लाइसेंस निरस्त कब किये आपने ? कब निरस्त किये आपने लाइसेंस, बताइये यह आप ?

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलालजी धाकड़।

एक माननीय सदस्य : पंचायती राज से तो आपने वापस ले लिया है...

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको वह आकर कह दें कोई बात और आपने कह दिया उठा करके। कब किये ये निरस्त ?

श्री अध्यक्ष : मैं अब कोई प्रश्न अलाउ नहीं करुंगी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उधोग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है...

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न अलाउ नहीं करुंगी। चुन्नीलालजी धाकड़।

श्री नरपत सिंह राजवी : कि जिन प्रश्नों पर सीधे पाइंटेडली सवाल पूछा है उन्हीं बातों को उत्तर माननीय मंत्री महोदय दे पाएंगे, जो जनरल पूछे हैं उनका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे।

एक माननीय सदस्य : आप कैसे खड़े हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : प्रश्न संख्या-3.

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसेफिक सवाल यह है अभी-अभी माननीय खाद्य मंत्रीजी ने यह कहा कि इन सत्रह जो...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री चुन्नीलाल धाकड़।

मोहम्मद माहिर आजाद : जांच में दोषी पाये गये, इनमें से तेरह के लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये, कृपया आप सदन को यह अवगत कराएं कि इन तेरह के लाइसेंस कब कब निरस्त किये गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बताइये आप तो।

डा. किरोड़ी लाल : एक-एक बताऊं ? एक-एक बताउं मैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां बताइये, बताइये, बताइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजिये। विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बताया जावे कि चार के लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किये गये और अगर नहीं किये गये तो अब कब तो रदद कर दिये जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : दे दिया, जो जवाब देना था मंत्रीजी को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कह दीजिये, चार जिनके निलम्बित नहीं किये गये हैं उनको कब तक निलम्बित कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्पेसेफिक सवाल आपके माध्यम से यह है, इनके पास कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया, जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बताएं खाद्य मंत्रीजी, कब निरस्त किये ? (व्यवधान) धूल में लट्ठ फैंक दिया इन्होंने उठाकर। इन तेरह के लाइसेंस कब निरस्त किये गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिये आप। पहले अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अपना-अपना स्थान ग्रहण करें आप। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या करना चाहते हैं आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बैठ जाओ। (व्यवधान) +++ बैठ जाओ। +++ बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : सवाल का जवाब तो दिलवाइये आप, राज्य की जनता का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो कुछ भी।

श्री अशोक : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, शांत बैठ जाइये। देखिये, माननीय सदस्यगण...

श्री जुबेर खान : ×××

श्री वीरेन्द्र मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप खड़े हैं, वह नहीं बैठ रहे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य सदन के समक्ष नहीं हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री अध्यक्ष : आप खड़े हैं, वह नहीं बैठ रहे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनके बारे में कोई आरोप लगाना उचित नहीं है, इसको कार्यवाही से निकालना चाहिए। दूसरा...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह देखिये, इस तरह से। आप विराजिये, पुराने माननीय सदस्य हैं...

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, नाम से पुकारूंगी मैं। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारुंगी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : कुछ नये माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, ऐसे हैं जो...

श्री अध्यक्ष : अब चलिये, स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सीधे सदस्यों से कहते हैं कि आप बैठ जाइये, यह भी उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो आप उनको कम से कम...

श्री अध्यक्ष : मैं कहती हूं अभी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो चाहता हूं कि आप एक ट्रेनिंग कैम्प कराएं ताकि माननीय सदस्यों को उनके व्यवहार के बारे में ज्ञान हो, कि आपके माध्यम से वह आपस में सदन में सम्बोधित करें, सीधे सम्बोधित नहीं करें। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं बैठ जाइये, कभी कोई कहता है। और मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह है कि वह तैयारी करके जवाब दें तो ज्यादा उचित रहेगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे बड़े दु:ख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रश्नकाल केवल इनफार्मेशन सीक करने के लिए होता है, और मैं कौल और शकधर की आपको रुलिंग अभी पढ़कर सुनाऊंगी क्योंकि आप इस तरीके से बिलकुल भी नहीं मान रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले भी उसी तरीके से। और दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, इतनी लिबर्टी मैं आपको नहीं दूंगी कि आप चाहे जब खड़े हो जाएं,

(श्री अध्यक्ष)

चाहे जो बोलने लग जाएं। फिर खड़े हो रहे हैं, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है अब खड़े होने की ? आसन पांवों पर है।

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे, सबसे निवेदन करना चाहती हूं कि यदि यही तरीका रहा तो यह प्रश्नकाल मखौल बनकर रह जायेगा। प्रश्नकाल का मतलब होता है आप अपने प्रश्न के जरिये इंफार्मेशन सीक करिये। कौल एण्ड शकधर में साफ लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने की इजाजत होगी और उसके अलावा एक प्रश्न कोई अन्य उसी पार्टी का पूछ सकता है। यह भी लिखा है कि उसी दल का कोई दूसरा सदस्य पूछ सकेगा। आप जिस तरह का हंगामा यहां पर बरपा रहे हैं उससे तो मैं समझती हूं कि प्रश्नकाल का औचित्य नहीं रह जाएगा। (व्यवधान) इसलिए देखिये, देखिये, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूं, एक माननीय सदस्य एक बार में खड़े होकर बोलेंगे तो मैं समझती हूं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। यदि आप इसी तरीके से करेंगे तो मैं प्रश्नकाल बन्द करके अभी और आधे घण्टे के लिए चली जाऊंगी और फिर प्रश्नकाल का आपका सब रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे फिर, फिर आपको चेतावनी दे रही हूं, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि प्रश्नकाल को प्रश्नकाल रहने दीजिये और इस तरीके से न करिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब नैक्स्ट कवेश्चन, श्री चुन्नी लाल धाकड़।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री चुन्नी लाल धाकड़ : प्रश्न संख्या–3.

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : देखिये, यदि आप उनके जवाब से असंतुष्ट हैं तो और तरीके हैं। उस तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाइये, आप यह कोई तरीका नहीं है आपका। माननीय मंत्री के पास जो इनफार्मेशन थी उन्होंने सारी इंफार्मेशन आपको दे दी। अब उसके बाद यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे तरीके हैं, आप उन तरीकों को अपनाइये, और नियमों के अन्दर प्रावधान हैं। आपको सदन

(श्री अध्यक्ष)

में अपनी बात कहने का, उन नियमों के तहत आप यहां पर लाइये, प्रस्ताव अपने लाइये।

श्री रमेश खींची : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी।

श्री रमेश खींची : ×××

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। चुन्नी लाल धाकड़।

श्री चुन्नी लाल धाकड़ : प्रश्न संख्या-3.

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, कुछ नहीं सुनना चाहती इस बारे में। मैंने नैक्स्ट कवेश्चन पुकार लिया है और नैक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब चुन्नी लालजी धाकड़।

श्री चुन्नी लाल धाकड़ : प्रश्न संख्या–3.

श्री महीपाल सिंह यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं। नथिंग

श्री जुबेर खान : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बेगूं में नौ पंचायत मुख्यालय डामर की सड़क से जुड़ने शेष हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाएं सदन की नेता कुछ कहना चाह रही हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रकरण सामने लाया गया है, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर जो ये प्रस्ताव सामने आये हैं उनमें से कोई भी प्रस्ताव के ऊपर माननीय सदस्य जांच करवाना चाहते हैं तो सरकार उसकी पूरी तरह से जांच करवाएगी और जो भी इसमें गिल्टी हैं उनको सजा दिलाएंगे। यह सरकार करेगी।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : (व्यवधान) जांच हो गयी। और कैसी जांच कराएंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आपके केस रजिस्टर हो जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिनके लाइसेंस निलम्बित करने की आ गयी अब काहे की जांच बच गयी ? अब तो सीधा-सीधा सवाल है, अगर उनको सजा दी हो तो बताइये और अगर आप बचाना चाहते हैं तो ऐसी बात बताइये। अब काहे की जांच है इसमें ?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री निर्भय लाल : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री रामचन्द्र सराधना : ×××

श्री खुशवीर सिंह : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आसन पैरों पर है। विराजिये, आसन पांवों पर है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके तो अधिकांश सदस्य पुराने हैं, कृपया यह तो आप कहा करें और इन्हें समझाएं कि आसन पांवों पर है ...(व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलेंगे। सत्तापक्ष वालों को भी इतना संयम रखना चाहिए। सत्ता पक्ष क्यों बोलता है ? गलत बात है यह।

मोहम्मद माहिर आजाद : 13 का नाम बताओ, 13 कौन है ? नहीं तो नही चलेगा हाउस। इनको 13 के नाम पूछो।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मोबाइल बज रहा है।

श्री अध्यक्ष : हां, वो भी गलत कह रहे हैं। वो कोई सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप दुबारा जीत कर आये हैं और आप बहुत गलत कर रहे है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि यदि इसी तरीके से आपको सदन चलाना है, इसी तरह से माहौल बनाकर रखना है तो मैं समझती हूं कि सदन की गरिमा के बहुत प्रतिकूल काम आप यह कर रहे है। और आपको ही नहीं...।

श्री निर्भय लाल : मंत्री महोदय की तैयारी नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय की तैयारी...

श्री निर्भय लाल : (व्यवधान) इन्हें इसीलिए तो मंत्री बनाया है कि जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य, आप दुबारा खड़े होकर खामखाह में कह रहे हैं, आसन पांवों पर होते हुए भी आप खड़े हो रहे हैं। यदि मंत्री तैयारी करके नहीं आते है, आपको ठीक जवाब नही देते हैं तो मैंने आपसे निवेदन किया है, आपको बराबर हक है दूसरे नियमों में उन बातों को सदन में रखने का उन नियमों के अन्तर्गत आप उनको रखिये, उस पर चर्चा होगी। लेकिन यह क्या बात हुई कि इस तरह से हंगामा बरपा दें ? आप बात-बात पर हंगामा बरपा दें, यह क्या बात हुई ? सदन को सदन के तरीके से चलने दीजिये। अब मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार रही हूं। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री निर्भय लाल : नहीं नाम बताएं पहले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये। आपके कोई बीमारी है क्या ? इस कुर्सी पर कुछ बीमारी है ? मैं आपको समय दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन आप कम से कम यह तो समझिये कि आसन पांवों पर है और आप खड़े हो रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनके खिलाफ कार्यवाही करें, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे देखिये, प्रश्न काल में केवल दो प्रश्न आ पाये हैं 12 प्रश्न कायदे से आने चाहिये रोजाना। मैं आपसे कह चुकी हूं कि प्रश्न का मतलब आपको सूचना प्राप्त करनी है, आप सूचना प्राप्त करने की बजाय भाषण देने लग जाते हैं, इधर-उधर की इर्रिलेवेंट बातें करने लग जाते हैं। ऐसे थोड़े इनफॉर्मेशन लीक होती है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्षजी, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जांच के बारे में, इनके बारे में उनकी मंशा बताई। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन का रोष इस बात का है कि गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले को बी.पी.एल. कार्ड मिलता है, और उनका अनाज बेच दिया जाए तो मैं तो चाहता हूं कि आप सदन को यह आश्वस्त करें कि सात दिन में जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे। इसलिए सदन मे रोष व्याप्त है कि जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले का अनाज बेच देते हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए आप सदन को आश्वस्त करें कि माननीय सदस्यों ने जिनके बारे में आरोप लगाये हैं, वो यदि सिद्ध हो गये हैं तो उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैने तो पहले ही आश्वस्त कर दिया था। अगर सब माननीय सदस्य सुन रहे होते मेरी बात, मैनें पहले ही उनको सबको आश्वस्त कर दिया था कि ऐसी कोई भी अनियमितता अगर पायी गयी तो उसको तुरन्त ही दोषी माना जाएगा और उसका एक्शन लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने साफ कह दिया, दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगे। मुख्य मंत्रीजी ने साफ कह दिया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे, उसके बाद भी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : ये एक्शन लेने के लिए बोली हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्शन लेने के लिए बोल दिया। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अगर निष्पक्ष जांच कराएं तो सबसे पहले कांग्रेस के लोगों के खिलाफ। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : (व्यवधान) न उनको सस्पेंड किया न उनके खिलाफ मुकदर्मे दर्ज किये...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट जवाब दे दिया, इसके बाद और क्या रह जाता है?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ×××

श्री टीकमचंद कान्त : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको बार बार खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, जवाब देने में मंत्रीजी सक्षम है। किसी भी माननीय सदस्य को, सत्ता पक्ष के, खास तौर से मुंडावर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में खड़े न होइये। मैं समझती हूं कि जब सदन की नेता मुख्य मंत्रीजी ने आश्वस्त कर दिया कि जांच कराके हम एक्शन लेंगे ...(व्यवधान)

नैक्स्ट श्री चुन्नीलाल धाकड़।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत मुख्यालय की सड़कों का डामरीकरण

3. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितने पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़ने शेष हैं ? सरकार अब इन्हें कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 9 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़ने शेष हैं। इनमें से 2 पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 7 पंचायत मुख्यालयों को 2007 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के घोषित लक्ष्य के अनुसार जोड़ा जाना है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 9 मुख्यालय शेष हैं वे कौन कौनसे है ? और दूसरा, जिन 2 का कार्य प्रगति पर बताया गया है, वे कौन कौनसे है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो 9 मुख्यालय जुड़ने शेष है उनमें से बेगूं पंचायत समिति के 6 और भैंसरोडगढ़ के 3 है। नाम हैं सुबाणिया, सादी, मोतीपुरा, मेघनिवास, माधोपुर, गोपालपुरा, लुहारिया, राजपुरा और धावतकलां।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : जिन 2 का कार्य प्रगति पर है कृपया वह भी बताएं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पंचायत मुख्यालय जो भी हैं उनकी आबादी यदि 500 से कम है तो क्या आप उनको सड़क से जोड़ने का विचार रखते है ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कई पंचायतें आलरेडी मैटल रोड से जुड़ी हुई हैं...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : कई पंचायत मुख्यालय 1993-94 में डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़े हुए हैं, क्या उनको भी डामरीकरण करने का प्रावधान है। उसकी कास्ट आयेगी 6-7 लाख और नई सड़क बनाने की कॉस्ट आती है 11 लाख इसलिए माननीय मंत्री महोदय बताएं कि डब्ल्यू.बी.एम. की जो सड़के बनी हुई है, वे पहले भाजपा सरकार में बनी, लेकिन आज तक वे पालिसी में नहीं आ रही है इसलिए क्या मंत्री महोदय डब्ल्यू.बी.एम. को डामरीकरण करेंगे?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.बी.एम. के साथ ग्रेवल रोडों से किसी पंचायत मुख्यालय को जोड़ा तो उसको भी जोड़ा हुआ मान लिया, क्या उनका भी डामरीकरण करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह बेगूं से सम्बन्धित है, उसी से सम्बन्धित आप पूछिए।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : मेरे मूल प्रश्न का जवाब आना शेष है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 9 पंचायत हैडक्वार्टर आपके विधान सभा क्षेत्र को जो अभी तक नहीं जुड़ पाये उसमें से मोतीपुरा कृषि विपणन बोर्ड से स्वीकृत है, कार्य प्रारम्भ हो गया लेकिन अभी जुड़ा नहीं है। इसी तरह से धावतकलां सी.आर.एफ. में काम स्वीकृत है, काम अभी प्रोग्रेस पर है, पंचायत हैडक्वार्टर जुड़ना बाकी है। सुपाणिया का पी.एम.जी. में है, इसकी निविदाएं आमंत्रित कर दी गई है और उसकी पूर्ति होने के बाद यह गांव जुड़ेगा। 3 गांव सादी, मेघनिवास और माधोपुर ग्रेवल से जुड़े हुए बताये है लेकिन ग्रेवल से भी पूरी तरह नहीं जुड़े है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में यह आती है, इस का प्रस्ताव हमने 31.7.2002 को भेजा है। इनकी जनसंख्या के आधार पर सादी चूंकि 853 है, 2004-05 में यह कवर हो जाएगी और बाकी जो 2 नीचे पंचायते हैं उनकी आबादी 735 और 443 है, ये अगले साल जब 2004-05 का काम पूरा कर लेंगे, हमें लिमिट देंगे जनसंख्या की उसके आधार पर उसके अगले वर्ष कवर होगी।

इसके बाद 3 रोड है गोपालपुरा, लुहारिया और राजपुरा, ये मैटल रोड से जुड़ी हुई है। जैसा माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि मैटल रोड से जुड़ी हुई सड़के है वे क्यों नहीं जुड़ पा रही है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो गाइड लाइन है उस गाइड लाइन के अंतर्गत ही हमको यह काम करना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पड़ता है, उस गाइड लाइन में बिलकुल स्पष्ट है "...Providing Connectivity to Unconnected...With a Population of 1,000;.."

फर्स्ट प्रायोरिटी में यह है। उसके बाद सैकण्ड प्रायोरिटी में इनकी है 500 से लेकर 999 की आबादी। थर्ड प्रायोरिटी में है....""......upgradation to throw routine network;..."

और फोर्थ में यह जो सारा बच गया है वह आएगा..upgradation to link routes."

जितनी भी ग्रेवल रोड या मैटल रोड बनी हुई है जिन पर काम हो गया, उनको सबसे लास्ट प्रयोरिटी में कवर करेंगे। यह काम अगर हमारा 2006 में पूरा होता है तो मैं सोचता हूं कि जो बची हुई सारी सड़क है ये 2007 तक पूरी हो जाएंगी और उसको सबसे अंत में लेंगे। यह प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो उन्होंने प्रयोरिटी फिक्स कर रखी है उस प्रयोरिटी के आधार पर होगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : राजस्थान में हर साल सड़कें बनती हैं इसलिए डब्ल्यू.बी.एम. सड़के बहुत बन गई हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्रीजी से आप निवेदन कीजिए, प्राथमिकता जब तक नही बदलेंगें तब तक राजस्थान में जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़के बनी है वे डामर नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के संदर्भ में आप इस क्राइटेरिया को बदलवाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नाथद्वारा से आये हैं, आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण विकास मंत्रीजी से स्वयं जाकर मिला हूं, पूरी 3300 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो डब्ल्यू.बी.एम बनी हुई है उसके लिये हमने उनसे पैसा मांगा है। वह इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वह फैसला नही करेंगे तब तक मैं सदन में आपको कुछ भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह मात्र बेगूं का सवाल

(श्री हेमराज मीणा)

नहीं है। मैं सारे राजस्थान के बारे में एक सवाल करना चाह रहा था कि जो पी.एच.क्यू. बचे हुए है और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं आते है और जो 500 की आबादी से भी कम है, ऐसे कई मजरे और ढाणियां है जो 500 की आबादी से कवर नहीं होते, राज्य सरकार ने इस संदर्भ में पी.एच.क्यू को जोड़ने के लिये क्या पालिसी बनाई है या पालिसी बनाने वाले हैं ?

श्री हेमाराम चौधरी : वही मैंने पूछा कि 500 से कम के पी.एच.क्यू. जोड़ोगे कि नहीं ?

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, एक पंचायत मुख्यालय रावड़दा जिसको सड़क से दूरी 800 मीटर है, उसको भी जुड़ा हुआ बता दिया गया है, वह गलत जानकारी दी गई है, कृपया उसको भी इसमें लिया जाए और जोडा जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो कहना है बेगूं की रावड़दा पंचायत है, हमारा विभाग प्रधान मंत्री सड़क योजना में 500 मीटर से जिस गांव की दूरी डामर सड़क से रह जाती है उसको जुड़ा हुआ मानता है, यह रावड़दा उसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है। यद्यपि गांव मुख्य सड़क के लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इस नीति के तहत इसको जुड़ा हुआ मानते हैं इसलिए हमने इसको जुड़े हुए की सूची मे रखा है।

श्री हेमाराम चौधरी : 500 से कम आबादी वाले को सड़कों से जोडने का विचार है या नहीं, आप यह बताओ ? कोई पी.एच.क्यू. 500 से कम आबादी का है तो आप उसको सड़क से जोड़ेगे कि नहीं, इसमें आपकी क्या पालिसी है, यह तो बताओ ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, यह पालिसी का प्रश्न है, आबादी का प्रश्न नहीं है। प्रदेश में जो पंचायत मुख्यालय हैं उनकी आबादी चाहे कितनी ही हो, वह पक्की सड़क से जुड़ने चाहिये। 5–7 साल पहले यह निर्णय हो चुका है। अब उसकी आबादी कितनी है, कितना दूर है, क्या है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। आप

(श्री रामसिंह विश्नोई)

तो यह कहिए कि राजस्थान में जो पंचायत मुख्यालय है उसकी आबादी कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, पंचायत हैडक्वार्टर पक्की सड़क से जुड़ने चाहियें। कितने है और वह कब तक जोड़ देंगे, यह प्रश्न है इसका आप जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : 5-7 साल पहले निर्णय हुआ वह तो अब तक हो जाना चाहिये। अब आप कब तक करोगे ? आप बताइए, आप कब तक करेंगे ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही सटीक प्रश्न पिछली सरकार से ही पूछ लिया कि यह 5 साल पहले जो पंचायत हैडक्वार्टर जोड़ने का नीतिगत फैसला हुआ उसको आपने 5 साल तक लागू नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी भी 129 पंचायतें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कब तक जोड़ेगे ? (व्यवधान) आप कब तक जोड़ेगे, आप बताइए ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 129 पंचायत ऐसी है जो अभी भी जुड़ना बाकी हैं, बाकी सब प्रोग्रेस पर है।

श्री अध्यक्ष : आप कब तक जोड़ेगे यह बता दीजिए आप ?

(12.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उसमें से जो 500 की आबादी की 108 पंचायते हैं यह तो निश्चित रूप से 2006 तक सौ प्रतिशत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ही जुड़ जाएंगी। (व्यवधान) इसके बाद केवल 21 पंचायतें ऐसी रहती हैं जिनकी आबादी 500 से भी कम है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कृषि विपणन बोर्ड और पी.डब्ल्यू.डी. दोनों ही मिलकर इसको हम किसी तरह से दोनों में आधा-आधा बांटकर जो इस नार्म्स में नहीं आती हैं लेकिन पंचायत हैडक्वार्टर हैं, उनको प्राथमिकता देकर जोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राज्य में पैराटीचर, शिक्षा सहयोगी एवं शिक्षाकर्मियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण, एवं 25 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री संयम लोढ़ा, एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से शिक्षा संकुल जयपुर का नाम बदले जाने की चर्चा के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। आप जानकारी शीघ्र प्राप्त कर लें ताकि पैराटीचर्स वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है उसका जवाब कुछ दे सकें। उसे जल्दी ही आप करिये। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोविन्दराम चौहान, सदस्य की ओर से तहसील नोखा में अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये निजी आवासों के भुगतान में हुई कथित धांधली के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में सड़क सुधार एवं अन्य विकास कार्यों में गति लाने के सम्बन्ध में।

(3) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से जिला अलवर की तहसील बहरोड़ के ग्राम रोडवाल में विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खैरली में सामान्य कृषि कनेक्शनों पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में।

(5) डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से चूरू जिले की तारानगर

(श्री अध्यक्ष)

तहसील में इन्दिरा गांधी नहर के पानी के लिए समुचित वितरण प्रणाली प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य की ओर से सरदारशहर दुग्ध डेयरी में कार्यरत परियोजना अधिकारी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(8) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना के अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा के भवन की मरम्मत नहीं होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री खेमाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ में पेयजल की किल्लत एवं फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामचन्द्र सराधना, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के ग्राम सावर निवासी एक मजदूर श्री देवकरण पर गोली चलाने वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जीवट द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनेक द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री गोविन्दराम चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा गया है। राजस्थान में किसानों की स्थिति आज इतनी खराब हो गयी है, यह महज इत्तफाक हो सकता है कि 8 तारीख से पहले तक जब तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, लगातार 8 घण्टे बिजली किसानों को मिलती थी और आज यह स्थिति हो गयी है कि 3 घण्टे बिजली किसानों को नहीं मिल पा रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह स्थिति नहीं होती अगर ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी पूरी बिजली मिल रही है, कांग्रेस के दिनांक में 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। कभी भी दो घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी। (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के लोगों को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : हम 8 घंटे बिजली किसानों को देंगे, 6 घंटे हम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। अंकित नहीं हो।

डा. करण सिंह यादव : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री महीपाल सिंह यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे 12.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(12.30 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, आसन के प्रति पूरा समर्पण करते हुए निवेदन है कि आज किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। नये कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। नये का सामान नहीं मिल रहा है, कोई नया काम नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार ने किसानों को बर्बाद किया, वे अब यह कह रहे हैं कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब शांत रहें। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय फसल के पकने का टाइम है और काश्तकारों को इस समय ज्यादा से ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। आठ घंटे बिजली मिलती थी लेकिन अब यह... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर, विराजिये। आसन पांवों पर, विराजिये। आसन पांवों पर है, विराजिये। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि दो-दो, तीन-तीन बार निर्वाचित माननीय सदस्य भी सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे। सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, यह सदन इसीलिए चलता है कि इसमें आपको अपनी बात कहने का मौका मिले, जन-समस्याओं को उठाने का अवसर मिले। लेकिन इस तरह से शोर-शराबा करके आप उस मकसद को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूं कि सदन के नियमों का, सदन की व्यवस्था का, सदन की परम्पराओं का, सदन की प्रक्रियाओं का आप ध्यान रखें तो अधिक अच्छा होगा। आप सब जानते हैं कि आसन जब पांवों पर होता है तो चाहे सदन के नेता हों, चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों, वे भी खड़े नहीं होते। फिर आप लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं और अफसोस की बात यह है, दो-दो, तीन-तीन बार निर्वाचित हुए सदस्यों को भी मैं देख रही हूं कि वे भी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं चाहूंगी कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। इसके लिए मैं आपको अपनी बात कहने पर मौका दूंगी लेकिन आप एक साथ खड़े हो जाते हैं दस-दस व्यक्ति और उसमें मुझे सुनाई भी नहीं देता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इन अंकित करने वालों को भी पता नहीं चल पाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, बहुत विनम्र शब्दों में मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों को अनुशासित रखें। नहीं, मैं सदन के नेता को भी यह बात कह रही हूं। यह बात नहीं है कि मैं अकेले को कह रही हूं, सदन के नेता को भी कहना चाहती हूं। देखिये, आप बैठे-बैठे शोर मचा रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) मैं सत्तापक्ष के लोगों को भी निवेदन करना चाहती हूं कि वे भी नियमों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। इस तरीके से यह उत्तेजित होते हैं तो आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। बोलने दीजिए, एक एक करके क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। अब माननीय सदस्यों को अपने 295 में, मैं अभी पुकार चुकी थी, आप बिजली के बारे में जो उत्तेजित... (व्यवधान) विराजिये। मैं पांव पर खड़ी हूं और फिर भी आप खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल्ला साहब, उकसाओ मत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब तक मैं खड़ी हूं तब तक। हां, मैं बोल रही हूं। मैं कुछ कहना चाहती हूं, आप सुनिये पहले। बिजली के मुद्दे पर...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किस नियम में ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे को नियम बता रहे हैं आप ? नियम पूछ रहे हैं ? मैं निवेदन कर रही हूं कि जिस बिजली के मुद्दे को लेकर आप उत्तेजित हो रहे हैं, कल पहला प्रश्न बिजली से सम्बन्धित है। उस समय मैं आपको पूरा अवसर दूंगी, पूरा मौका दूंगी आपको। जो कुछ पूछना हो वह पूछिएगा, मंत्रीजी जवाब देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अब इस बात को आप नहीं उठाएंगे बार-बार और मैं अब 295 के तहत श्री गोविन्द राम चौहान का नाम पुकार रही हूं। हां, नेता प्रतिपक्ष, क्या कहना चाहते हैं आप? (व्यवधान) हां, मामला मुझे भी मालूम है, किसानों का है, लेकिन जब मैं कह चुकी हूं कि कल पला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न पर... (व्यवधान) फिर आप बीच में बोल रहे हैं। कृपया बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेंगे। आप विराजिये। नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आज करीब 38 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने बिजली की अनियमितताओं के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि सदन के इतने अधिक माननीय सदस्यों ने बिजली के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। आज किसानों की रबी की फसल सर पर खड़ी है और वहां पर आठ घण्टे के नाम पर साढ़े तीन घण्टे बिजली नहीं मिल पा रही है और इस कारण से पूरे राजस्थान में रोष है। ऐसे प्रश्नों पर हम आसन से व्यवस्था चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इसके ऊपर चर्चा कराई जाए। (व्यवधान) प्रश्न किसी एक व्यक्ति का है, लेकिन इस पर 38 माननीय सदस्यों ने आपको स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सरकार को तो संवेदनशील होना चाहिए था और उनको आकर स्टेटमेंट देना चाहिए था कि बिजली की आपूर्ति आप... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि 24 घंटे के अन्दर-अन्दर आप इस तैयारी के साथ आइये और यहां पर इस बारे में जवाब दीजिए, तो आपको इतना भी सब्र नहीं है फिर?

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट मेरे को पहले सुन तो लीजिए पूरा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पांच साल क्या करते रहे?

श्री अध्यक्ष : मैं सुन लूंगी आपको। इसमें कोई, नेता प्रतिपक्ष, इतना बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिये, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको इतना अधिक बोलने की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन मैं आपको कह रही हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : कल पहला प्रश्न है और उस पहले प्रश्न में आपको पूरी अपर्चुनिटी पूरा अवसर दूंगी मैं आपको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 38 माननीय सदस्यों ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, क्या कहना चाहते हैं आप ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाया हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे पुकार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वही बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्पराओं के विरुद्ध है। उसी को रिपीट कर रहे हैं। आसन के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं? आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : पैट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दिये इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता खड़े हुए हैं, इतनी भी समझ नहीं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पांच साल बिजली याद नहीं आयी इनको।

श्री अध्यक्ष : बड़े अफसोस की बात है। आप एक क्लास लीजिए इनकी। नेता प्रतिपक्ष, आप इनकी एक क्लास लीजिए कि जब आप खड़े हों तो कम से कम तब तो यह खड़े नहीं हों। इनको समझाइये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, नहीं हों। ऐसा है, पूरा सदन आज किसानों के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में उद्वेलित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कृषि कनेक्शन नहीं देने की बात,नहीं देने की बात इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी है और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कृषि कनेक्शन के बारे में... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच साल तक राज करते रहे तब तो कर नहीं पाये और अब बोल रहे हैं। किसानों को जब तो बरबाद कर दिया आपने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किसानों को बरबाद किया आपने पूरे पांच साल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

डा. करण सिंह यादव : ×××

श्री महादेव सिंह (खडेला) : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण,

(श्री अध्यक्ष)

आपका यह दुराग्रह उचित नहीं है। जब मैं कह चुकी हूं कि कल पहला प्रश्न है विद्युत से सम्बन्धित और आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, प्रश्न पूछने का, सरकार से आश्वासन लेने का तो फिर आप इस बात पर दुराग्रह क्यों कर रहे हों ?...

एक माननीय सदस्य : दुराग्रह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दुराग्रह है आपका।

एक माननीय सदस्य : कहीं दुराग्रह नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका बिलकुल दुराग्रह है। गलत बात है यह। जब मैं कह रही हूं आपको कि कल पहला प्रश्न है। माननीय सदस्य... (व्यवधान) गोविन्दराम जी चौहान, अपना 295 पढ़िये। श्री गोविन्दराम चौहान, 295 पढ़िये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ×××

डा. करण सिंह यादव : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्य द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा : ×××

श्री महादेव सिंह : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री कालीचरण सर्राफ : ×××

डा. करण सिंह यादव : ×××

श्री रामलाल जाट : ×××

श्री जगत सिंह : ×××

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपसे कोई हल नहीं निकलेगा। अध्यक्ष महोदया, मुझे दुःख है कि आपको वेदना हो रही है और आपको बार-बार खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष भी अपने धर्म को निभा रहा है। मान्यवर, सदन की कार्यवाही के सुसंचालन की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और सहयोग देने का काम प्रतिपक्ष का है। अकेले सदन न यह चला सकते हैं, न हम चला सकते हैं। सबका सहयोग जरुरी है। मान्यवर, आपके सम्मुख 38 माननीय सदस्य, जो प्रतिपक्ष के हैं, उनका एक प्रस्ताव विचाराधीन है, उस प्रस्ताव के ऊपर राज्य सरकार की तरफ से आप हमें स्टेटमेंट दिलवा दीजिये। यहां पर एक घोषणा कर दीजिये कि कब देंगे।

श्री अध्यक्ष : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आसन पांव पर।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर बाद में। पाइंट आफ आर्डर बाद में सुनूंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से कुछ कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : जब इसकी व्यवस्था दी जा चुकी है और जब मैंने कह दिया कि कल इसका जवाब आने के बाद, पहली बात तो कल पहला प्रश्न है... (व्यवधान) मतलब कुल-मिलाकर यह होता है...(व्यवधान) सुनिये, इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिपक्ष...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : पाइंट आफ आर्डर भी नहीं सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप पाइंट आफ आर्डर भी नहीं सुन रही हैं तो इम्पोज हो गया। यह हमारा राइट है Point of order is my right. You cannot stop me. It is my right. Point of order is my right.

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जीरो आवर में काई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। No, No, Not at all.

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको बाहर निकालो।

डा. सी. पी. जोशी : आपने 295 काल कर लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, आप मंत्री रह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता, पढ कर आओ। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपने 295 काल कर लिया है। पाइंट आफ आर्डर तो उठा सकता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर है, माननीय सदस्य, जीरो आवर है, जीरो ऑवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। आप मंत्री रह चुके हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : हमने स्थगन प्रस्ताव दिया हैं अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। नियम 50 के अन्दर स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : अपना स्थान ग्रहण करो। मिस्टर सी. पी. जोशी..., स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) मिस्टर सी. पी. जोशी... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप स्थगन प्रस्ताव को रिजैक्ट कीजिये। आप एडमिट नहीं करते हैं तो रिजेक्ट कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि प्रतिपक्ष आसन की व्यवस्था

(श्री अध्यक्ष)

को नहीं मानेगा ? (व्यवधान) नहीं, एक मिनट मैं कह दूं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, स्थान ग्रहण करो। (व्यवधान) बोलिये नहीं, आप बीच में। आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) इसका मतलब यह हुआ, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, इसका मतलब यह हुआ कि आसन की व्यवस्था को प्रतिपक्ष नहीं मानेगा, अब यही मान लूं मैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव है, आप रिजेक्ट कर दीजिये। स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं मतलब क्या होगा ? मतलब क्या हुआ, आप मुझे बताइये ? क्या बात हुई ? फिर खडे हो गये। आप खडे हो गये, मंत्री रह चुके हैं आप, यह क्या बात हुई ? मैं कतई अलाउ नहीं करूंगी। मैंने कह दिया आपसे, यदि आप आसन की व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं... (व्यवधान) आप फिर बोले जा रहे हैं। आप मंत्री रह चुके हैं, आप आसन की व्यवस्था को भी नहीं मानते। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय सदस्यगण, अफसोस तो इस बात का होता है कि आप मंत्री रह चुके वरिष्ठ सदस्य हैं, आसन की व्यवस्थाओं को नहीं मानते। मैं पूरा मौका दूंगी। मैंने पहले दिन भी कहा है आपसे, मैं पूरा मौका दूंगी। (व्यवधान)... यह क्या मतलब है, मुझे आप बताइये? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मौका कहां दे रहे हैं आप?... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : ऐसे क्या हाउस चलेगा ? हाउस को एडजोर्न कीजिये आप। (व्यवधान) यह क्या तरीका है? आप स्थगन प्रस्ताव पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका है, मुझे आप बताइये? आप चिल्लाये चले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्या बात हुई? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह क्या मतलब हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठे बैठे भी बोल रहे हैं। (व्यवधान) यह क्या मतलब है?

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वह प्रोफेसर और हैं।

श्री प्रधुम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैंठे आप, मैं मौका दे रही हूं आपको।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने माननीय सदस्यों को कुछ अनुशासन, कुछ नियम बताएं...(व्यवधान) हां, आप बोलिये। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री प्रधुम्न सिंह : मुझे बोलने दीजिये...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पांच साल तक क्या किया आपने ? पांच साल तक क्या कर रहे थे आप लोग ? (व्यवधान)

श्री प्रधुम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी, सत्ता पक्ष को भी कुछ बोलने का मौका दे।

श्री प्रधुम्न सिंह : आपने मुझे काल कर लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले वह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले रामनारायणजी खड़े हुए तब खड़ा हुआ, आप खड़े हुए तब खड़ा हुआ...(व्यवधान) आखिर मुझे भी समय दीजिये। सत्ता पक्ष भी अपनी बात कहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, पहले राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए, पहले वो क्या कहना चाहते हैं। नहीं, फिर आप बोल दीजियेगा। आप बोलियेगा। पहले वो खडे हुए हैं, उनको सुनिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलूंगा।

श्री प्रधुम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 38 मैम्बर्स ने बड़े बर्निग इश्यु पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर वहीं बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री प्रघुम्न सिंह : दिस इज बैड...(व्यवधान) मैंने कोई आपकी बुराई नहीं की है।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह बिलकुल गलत बात है। बार बार इस मामले को क्यों उठाना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो निवेदन है...

श्री प्रधुम्न सिंह. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, जब आपने व्यवस्था दे दी, यह बार-बार इस मामले को क्यों उठाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री प्रधुम्न सिंह : देखिये, फिर खडे हो गये। (व्यवधान) अव्यवस्था अगर सत्ता पक्ष फैलाएगा। (व्यवधान) यह अव्यवस्थाएं सदन के अन्दर फैलना लाजिमी है। (व्यवधान) टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को रोकें, यह क्या तरीका है आखिर?

श्री अध्यक्ष : आप पीछे देखिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय जो इतने वरिष्ठ मंत्री रहे हैं वह आसन के आदेशों की अवहेलना करे, इससे ज्यादा निर्लज्जता कोई और हो नहीं सकती।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह अनुशासन है क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सदन चले, इसके लिए यह जरूरी है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे काल किया और यह बीच में खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टोंक से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने मुझे कॉल किया है।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा :×××

प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य :×××

डा. करण सिंह यादव :×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :×××

श्री रमेश खींची (कठूमर) :×××

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :×××

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :×××

श्री महावीर प्रसाद जैन :×××

श्री जीतमल खांट :×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास) :×××

श्री दुर्गाप्रसाद (गुगापुर) :×××

श्री खुशवीर सिंह (खारची) :×××

श्री धर्मपाल चौधरी :×××

श्री संयम लोढ़ा :×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :×××

श्री महावीर प्रसाद जैन :×××

श्री निर्भय लाल :×××

श्री खुशवीर सिह :×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप विराजिये। (व्यवधान)

कुछ कहना चाह रहे है मंत्रीजी, आप विराजिये। मैं समझती हूं कि अंकित तो हो नहीं रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं, शायद आपका गला और फेफड़े, दोनों थक गये होंगे बोलते-बोलते। आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। आप बोलिये, मंत्रीजी।

(13.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य :×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज सुबह आपने व्यवस्था दी कि 38 माननीय सदस्यों ने, बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण मुददा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिए तो सही आप। उन्हें सुनिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 38 माननीय सदस्यों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया। आपने राज्य सरकार से आज ही जानकारी मांगी है, राज्य सरकार आपको आज ही जानकारी दे रही है।

डा. सी. पी. जोशी :×××

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :×××

एक माननीय सदस्य :×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार आपके निर्देशों की पालना करने के लिए तैयार है। यह आरोप सरासर गलत है कि बिजली के कनेक्शन बन्द कर दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पर कोई आरोप लगा रहे हैं क्या?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामनारायण चौधरी :×××

श्री अध्यक्ष : कह दिया न आपको। कल देंगे। मंत्रीजी कल इसका जवाब देंगे। कह दिया न मैंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बोल रहा हूं न कि राज्य सरकार आपको कल इसका जवाब भेज देगी । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव पर न तो आप बहस करना चाहते हैं, मैं समझ गयी, और न आप मंत्रीजी का उत्तर सुनना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं, यह तो बता दीजिए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोलूंगा। कल्ला साहब नहीं बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा। आसन ने मुझे समय दिया है। क्या बात हो गयी ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके आसन की व्यवस्था को यह मंत्रीजी नहीं मान रहे हैं। आपने मेरे को पुकार लिया और मंत्रीजी बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने मुझे अनुमति दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं जब खड़ा हो जाता हूं तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं पहले तीन बार खड़ा हुआ, पहले कल्ला साहब खडे हो गये, मैं बैठ गया, फिर रामनारायणजी खड़े हुए तब मैं बैठ गया...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सदन का नेता बोलता है तो मैं भी बैठ जाता हूं कई बार।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :×××

श्री अध्यक्ष : सदन का नेता प्रतिपक्ष से बड़ा होता है। वो सदन के नेता हैं, आप केवल इनके नेता हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसीलिए तो मैंने कहा है। उनको सब सुनते हैं। जब मैं बोलता हूं तो उनको भी सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जब ये खडे होंगे तो आपको बैठाना पड़ेगा। क्या नई बात हुई इसमें ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो फिर सुनिए न आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : सदन को चलाना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए, मैं आपको मौका दूंगी।

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी बात सुनो तो सही आप। जब आप बात ही नहीं सुनेंगे तो होगा क्या ?

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार बात करने के लिए तैयार है, सरकार जानकारी देने के लिए तैयार है, सरकार आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। विपक्ष तो हल्ला करके वाक आउट करना चाहता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमने कनेक्शन 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दिये, इनको यह सुहाता नहीं है। हमने बिजली आठ घंटे से बढाकर चोदह घंट कर दी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली से इनके बड़े नेता आये हुए हैं और बैठे हुए हैं, इनके सामने अपनी परफॉरमेंस दिखाना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री प्रधुम्न सिंह : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : देखिए, एक एक माननीय सदस्य बोलंगे तो आसन को कुछ सुनाई देगा। दस-दस माननीय सदस्य एक साथ खड़े होते हैं तो आसन को कुछ सुनाई नहीं देता है और बिना सुने तो आसन कोई व्यवस्था दे नहीं सकता है, इसलिए एक बार में एक माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहें। आप बोलिए, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रधुम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भी कहा था और तीन बार मुझे बैठाया है। (व्यवधान)

श्री प्रधुम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप पीछे देखिए। आप थोडा पीछे देखिए।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री प्रधुम्न सिंह : बन्द करो न। हाउस नहीं चलेगा फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आप इतने सारे माननीय सदस्य एक साथ खड़े हैं, मैं तो आपकी बात सुन नहीं पा रही हूं। (व्यवधान) एक माननीय सदस्य खड़े हों तब ही बात सुनाई देगी। आप एक साथ खड़े होते हैं, बोलते हैं, आसन कुछ नहीं सुन पाता है और फिर मैं कुछ व्यवस्था भी नहीं दे पाती हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, यदि आप इस तरीके से एक साथ दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह सदस्य खड़े होकर बोलेंगे तो कुछ भी बात न तो किसी को सुनाई देगी और न ही आसन सुन पाएगा। तो मेहरबानी करके एक माननीय सदस्य खड़े हों। आपके नेता, प्रतिपक्ष खड़े होते हैं और दस आदमी आपके खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) सुनिए तो सही। बैठे बैठे मत बोलिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शून्यकाल समाप्त हुआ, साहब।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रही हूं जिसको अपनी बात कहनी है, एक माननीय सदस्य खड़े होकर बात कहें तो, सुनाई देगी, उसका कोई अर्थ निकलेगा। आप दस-दस एक साथ खड़े हो जाते हैं, बात किसी की भी सुनाई नहीं देती है कि कौन क्या कहना चाह रहा है, मुददा क्या है। आप एक-एक माननीय सदस्य खड़ा होकर कहें। (व्यवधान) फिर वही बात। आप बैठें।

श्री निर्भय लाल : ×××

श्री अध्यक्ष : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोल लीजिए पहले।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको किसको बुलवाने की व्यवस्था दे रहे हैं। आप तो सबसे पहले प्रधुम्न सिंह जी को बुलवाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, पूछिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था कि...

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिए पहले।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप किसको व्यवस्था दे रही हैं, किसको बुलवा रही हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पीछे देखिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी व्यवस्था में सरकार व्यवधान डाल रही है।

श्री निर्भय लाल : आपकी बात को सत्ता पक्ष के लोग नहीं मान रहे हैं, हम तो आपकी सब बातों को मानने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही उंगली उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रधुम्न सिंह : आपने मुझे पुकारा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार को भी कहने का अवसर है। आपको ही थोड़े है,...सरकार भी कहेंगे अपनी बात।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, एक बार आप विराज जाइये। उनको कह लेने दें, एक बार विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री प्रधुम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आसन से व्यवस्था दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके सदस्य बोल रहे हैं, आप बीच के अन्दर खामख्वाह व्यवधान पैदा कर रहे है। यह क्या बात हुई, आप देखते ही नहीं कौन बोल रहा है, कौन खड़ा है। बोलिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर हमको भी सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगी, बिलकुल मौका दूंगी। या तो आपके सदस्य बोल लें या प्रतिपक्ष के नेता आप बोले। प्रतिपक्ष के नेता को तो वैसे ही ओकेजनी कभी-कभी खड़ा होना चाहिए। बोल रहे है, न उन्हें बोलने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : वह तो इनकी आदत पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : मैं कहती हूं नो कमेंट। आप क्यों कमेंट करते हैं, नो कमेंटस।

श्री प्रधुम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी आसन से व्यवस्था दी कि कल क्वेश्चन आवर के अन्दर पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला ही क्वेश्चन है उसके उपर मैं आपको पूरा अवसर दूंगी प्रश्न को उठाने का यह आने कहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने इस निर्णय के ऊपर आप पुनर्विचार करें क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जिसके ऊपर 38 मैम्बर्स ने एक मोशन मूव किया है आपके समक्ष (व्यवधान) अगर आप सरकार से एक वक्तव्य दिलवा दें कल जीरो आवर के बाद... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहे, माननीय सदस्य को सुने।

श्री प्रधुम्न सिंह : मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि आप सरकार से। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जब व्यवस्था दे दी यहां, बार-बार क्यों उठा रहे हैं मामला ?

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आसन व्यवस्था देगा। आप कृपया शांत रहें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार से कल आप वक्तव्य दिलवा दें इसके ऊपर।

श्री अध्यक्ष : सरकार से...

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टेटमेंट दिलवा दें। पूर्व में भी इतने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर सरकार की तरफ से वक्तव्य आते रहे है। सरकार को इसके अन्दर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय है, जो वस्तु स्थिति है वह सदन के सामने आ जाएगी और सरकार को मालूम हो जाएगा कि हमारी बिजली की सप्लाई इस समय किस प्रकार चल रही है। इसको कोई मूंछों का सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सरकार को डाइरेक्शन दें कल स्टेटमेंट देने के लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मैं कह दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे सुनकर दें व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : आपको मौका दूंगी मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे सुनकर दें।

श्री अध्यक्ष : आपको मौका दे रही हूं, एक मिनट बाद, व्यवस्था देने के बाद कि इस आसन से जो व्यवस्था हो चुकी है उस व्यवस्था में चाहे 38 दें चाहे 40 दें, व्यवस्था हो चुकी है। जैसा आप कह रहे है उस व्यवस्था में तो मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगी, लेकिन जैसा आपने सुझाव दिया है कि कल इस बारे में प्रश्न ही नहीं वक्तव्य भी दे दें, वह तैयार हैं, दे देंगे कल वक्तव्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, पहले मैं कहूंगा अपनी बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, कहिये। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलिये। निर्भयलाल जी जाटव, आप बीच में न बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधुम्न सिंह जी ने जो बात कही है वह आपने सुनी है। मैं दो बात निवेदन करना चाहता हूं। आपने आज दो व्यवस्थाएं दी हैं, पहली व्यवस्था अपने सुबह तीन जो स्थगन प्रस्ताव आये उन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से आपने जानकारी चाही। मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं, राज्य सरकार कल प्रातः दस बजे तक आपको इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध करा देगी।

दूसरा, माननीय प्रधुम्न सिंह जी ने कहा कि राज्य सरकार इस पर वक्तव्य दे। यह आपकी इच्छा पर है, लेकिन मैं कहता रहा हूं इस सदन की यह परम्परा रही है, जब भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चलती है, एक आम बहस होती है और उस आम बहस के समय कभी भी आसन ने इस प्रकार के विशिष्ट मुददों पर अलग से देने की व्यवस्था नहीं की। फिर भी अगर आप करेंगे तो राज्य सरकार को आपत्ति नहीं है।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कल प्रश्नकाल है, पहला प्रश्न है, आपने व्यवस्था दी है वह व्यवस्था भी हमको शिरोधार्य है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने न तो कनेक्शन पर प्रतिबंध लगाया है, पन्द्रह हजार के बजाए बीस हजार कनेक्शन हम दे रहे हैं और आठ घंटे के बजाय चौदह घंटे बिजली दे रहे हैं। हम तैयार हैं इस पर बहस करने के लिए... (व्यवधान) जब भी चाहें बहस करने के लिए तैयार है... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : (व्यवधान) चार साल में राजस्थान के किसानों को बर्बाद किया है और किसानों को लूटने की योजनाएं जितनी आपकी सरकार के टाइम में बनी है (व्यवधान) और आज 45 दिन हमारी सरकार को बने हुए हुए हैं, आपने पूरे पांच साल में...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सदस्य, अपने क्षेत्रों में नहीं गये। पहले अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, वहां बिजली की व्यवस्था देखो आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें...

श्री अध्यक्ष : आसन ने इजाजत दी है टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य को।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतिपक्ष के माननीय नेता यह जानते हैं कि जब अभिभाषण राज्यपाल महोदय का आता है...

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता को संबोधन नहीं करिये, अध्यक्ष को करिये आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने तो यह कहा है, जानते हैं उनको मालूम है। मैं आपको ही निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह सारे विषय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों बोल रहे हैं बीच में, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे विभाग सम्मिलित होते हैं और जब जब भी आज तक इस सदन की भी परम्परा रही है और रूल्स में भी प्रोवीजन है कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी उसमें माननीय सदस्य इधर से जो बोलेंगे वह उस विषय को, किसी भी विषय को इसमें उठा सकते हैं और जो जो विषय इसमें उठाये जाएंगे उनमें एक एक सब्जैक्ट पर एक एक बिंदू पर सरकार की तरफ से जवाब आएगा। तो इस बिजली के मुददे पर भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिंदूवार चाहे 40 मैम्बर्स चाहे 38 मैम्बर्स या चाहे पूरे 56 सदस्य इस पर बोल सकते है। (व्यवधान) 200 भी बोल सकते हैं और सरकार उन बिंदुओं पर जवाब देगी। बिजली को आप रखिये अभिभाषण में, उस पर सरकार जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दराम चौहान, आप 295 पढ़िये।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस मामल को विवाद का विषय मत बनाइये। धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दो तीन बाते कहना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट ने अभी तक स्टेटमेंट की बात नहीं कही है, हम इस बात को कतई बरदाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बिजली के मामले में स्टेटमेंट देना नहीं चाहती। आप पूर्व गवर्नरों के अभिभाषणों को देख लें (व्यवधान) उन दिनों में कानून और व्यवस्था के ऊपर (व्यवधान) अनेक मामलों के ऊपर गवर्नमेंट के स्टेटमेंट हुए है और स्थगन प्रस्ताव जिसके ऊपर विधान सभा की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की आवश्यकता होती है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने निर्णय के ऊपर पुनविचार करें और सरकार को कहें स्टेटमेंट देने के लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, एक बार स्थान ग्रहण करें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, शायद आपने मंत्रीजी की पूरी बात सुनी नही। मंत्रीजी ने यह कहा, ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती है लेकिन फिर भी यदि आसन चाहेगा तो मैं वक्तव्य दे दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप वक्तव्य के लिये निवेदन करें।

श्री अध्यक्ष : कहा है। कह दिया न उन्होंने। कह तो दिया, और क्या चाहे हैं आप ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने स्टेटमेंट देने की बात नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष : कैसे नहीं कही ? कही है, आपने सुनी नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कही है तो कह दें।

श्री अध्यक्ष : आपने सुनी नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो स्टेटमेंट दे रहे हैं आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, कही है। सुनिये ...

डा. बुलाकीदास कल्ला : कल स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? कल स्टेटमेंट दे दें, बात खतम हो जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनिये। मैंने कहा है...

श्री रामनारायण चौधरी : आप आज आदेश दिलवा देंगे वह...

(आसन द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप स्टेटमेंट दिलवा दें कल।

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं दुबारा कह रहा हूं। कल सुबह, सुनें तो सही, कल सुबह 10.00 बजे तक हम माननीय अध्यक्ष महोदय को सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। अध्यक्ष महोदय निर्णय करेंगे कि वक्तव्य देना है तो सरकार वक्तव्य देने के लिये तैयार है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : और तब ही के लिये तो बात है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि या तो आप हमारा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दें, हम उसके ऊपर अपनी बात कह देंगे।

और नहीं तो कल आप स्टेटमेंट का समय निश्चित कर दें, बात समाप्त हो जाएगी। आज 38 माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि बिजली की व्यवस्था सुधरे। एक तरफ यह बिजली बेच रहे हैं और एक तरफ कहते हैं, हम बिजली खरीद रहे हैं क्या स्थिति है? आज यह स्वयं किसान विरोधी हैं तो...

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसानों के खेतों में बिजली नहीं है और रबी की फसल खराब हो रही है, ऐसी स्थिति में सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। वक्तव्य नहीं देंगे तो और किस हिसाब से यह कहेंगे, बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है? इसलिये मेरा आग्रह है कि कल स्टेटमेंट के लिये आप समय निश्चित करें, यह मामला अपने आप हल हो जाएगा। नहीं तो हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करके इसके ऊपर चर्चा करें।

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिना व्यवस्था के ही चर्चा करेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बिना व्यवस्था के ही चर्चा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था के बिना चर्चा कर लेंगे आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम व्यवस्था की मांग कर रहे हैं आपसे।

श्री अध्यक्ष : तो व्यवस्था की मांग कर रहे हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं देते...

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था देने के लिये...

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : कल दूंगी व्यवस्था। आसन पर व्यवस्था थोप नहीं सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रतिपक्ष के नेता आसन पर व्यवस्था थोप नहीं सकते किसी भी कीमत पर। आप नहीं थोप सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम मांग कर सकते हैं। या तो हमारा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करें, हम मान लेंगे...(व्यवधान) और बिजली के बारे में जो भी बात है, कर लेंगे...(व्यवधान) आज ही स्टेटमेंट आना चाहिये। यदि इनके ...(व्यवधान) क्या दिक्कत है...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो आपका ही खुलने वाला है अब। 50 पैसे से बढ़ाकर 90 पैसे करके किसानों का गला आपने काटा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई नहीं काटा है। आप 50 पैसे कर दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने 1.20 रुपये को 2 रुपये कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप 50 पैसे कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम बिजली पर बहस करने के लिये तैयार हैं आसन की व्यवस्था से। बिजली के बारे में तो सारा पाप कांग्रेस का किया हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई पाप कांग्रेस का नहीं है, आपका है। आप चाहें तो 50 पैसे कर दें, मैं स्वागत करूंगा 50 पैसे का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारा आपका है। आपने 50 पैसे से बिजली को 1.20 रुपये किया। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

डा. एन. एस. गुर्जर : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। आप या तो बैठ जाएं या अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप शांत होकर पहले सुनिये। आप शांत रहिये... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं अपनी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करूंगी। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : पहले पूरी बात मेरी सुनिये। जैसा कि मंत्रीजी ने कहा है कि दस बजे से पहले पहले वह मुझे सारी सूचना इस बारे में उपलब्ध करा देंगे अपने वक्तव्य के बारे में फिर मैं आपको व्यवस्था दूंगी, यह मैंने आपको निवेदन कर दिया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात सुनिये आप। मत सुनिये, एक बार। और आपको कह देती हूं कि आप चाहे जितना शोर मचाएं, यह सरकार पांच वर्ष चलेगी। पांच साल पहले नहीं जाएंगी, कितना ही शोर मचा लीजिए...(व्यवधान) आप क्या शोर मचाना चाहते हो... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री कालीचरण सर्राफ : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। क्या सरकार बदलेगी पांच वर्ष पहले। पांच वर्ष से पहले तो आपसे बदल नहीं पाएंगी...(व्यवधान) क्या चाहते हो? कोई परिवर्तन नहीं करूंगी, आसन अपनी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगा (व्यवधान)

(लगातार नारेबाजी)

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : क्या होता है उससे ? किसान होने से क्या होता है ? आसन पर बैठी हुई हूं, क्या नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा...(व्यवधान) किसान विरोधी, किसानों से कोई लेना-देना नहीं है, नारे लगा रहे हैं यहां पर आकर। किसानों से कोई लेना–देना नहीं है...(व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री मोहन लाल गुप्ता : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : आपका कोई लेना-देना नहीं है किसानों से, फालतू नारे लगा रहे हो...(व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का क्या लेना–देना ? सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का क्या लेना–देना किसानों से ? क्या लेना–देना है आपका, चलने दो...(व्यवधान)

श्री महावरी प्रसाद जैन : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आपकी पार्टी आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं,...(व्यवधान) आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। खूब लगाएं नारे। और लगाओ, और लगाओ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसन से नारेबाजी)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आसन ग्रहण करिये। स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। अपने-अपने स्थान ग्रहण करें। वैल में जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी। मैं माननीय सदस्यों से कुछ निवेदन कर रही हूं। हाय-हाय तो कर ली, आपने हाय-हाय तो कर ली, आपका गला भी थक गया होगा, अब आप सुनिये। हाय-हाय तो आप आसन की भी की लीजिये, सरकार की भी कर लीजिए। सरकार की भी, मेरी भी कर लीजिये, कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिये आप पहले। पहले बात सुनिये आप। देखिये, आप मुझे मजबूर नहीं करिये। आप मुझे मजबूर करेंगे, मैं माननीय सदस्यों को नामों से पुकारूंगी। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करिये। आप अपने अपने स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान व नारेबाजी जारी)

किसान विरोधी सरकार तो थी, अब आप क्या कहना चाहती हो ? तब तो हालत यह हुई है। माननीय सदस्यगण, किसान से कोई लेना-देना नहीं है आपका, फालतू की बात कर रहे हो, संयम लोढ़ा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यगण, अब 295 के जो विशेष उल्लेख के प्रस्ताव थे, वे पढ़े हुए मान लिये गये। पर्ची अब चूंकि समय नहीं रहा है इसलिए पर्ची पर भी कोई चर्चा का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं गुलाब चन्दजी कटारिया का नाम पुकारती हूं अधिसूचना के लिए।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के लिए
कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की अधिसूचना संख्या पं 10(25) गृह-13/2003

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिनांक 20.9.2003 जिसके द्वारा कतिपय राजपत्रित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गयाहै, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

परिवहन विभाग

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:

(1) अधिसूचना संख्या पं. 6(96) परि/कर/मुक्त/मु/97/पार्ट 11 दिनांक 19.8.2003 जिसके द्वारा अजमेर शहर में 28.8.2003 से 8.9.2003 की अवधि में अन्य राज्यों से आने जाने वाली यात्री बसों को कर में छूट प्रदान की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या पं. 6(96) परि/कर/मुक्त/मु/2001 दिनांक 28.8.2003 जिसके द्वारा वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की यात्री वाहन को कर में छूट प्रदान की गई है।

(3) अधिसूचना संख्या पं 6(96) परि/कर/मुक्त/मु/97 पार्ट 11 दिनांक 10.9.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या पं. 6(96) परि/कर/मुक्त/मु/97 पार्ट 11 दिनांक 19.8.2003 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या 7(3)परि/रूल्स/एच.क्यू/95 दिनांक 2.12.2003 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में फ्लीट ओनर की परिभाषा व भेड़-बकरियां ले जाने वाले यान के फ्लोर एरिया से सम्बन्धित नियमों में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या पं. 7(4) परि/रूल्स/एच.क्यू/92 दिनांक 4.12.2003 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के विभिन्न नियमों यथा अंतराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट परिवहन उप निरीक्षकों को शक्तियों का प्रतियोजन व शिक्षण संस्थाओं को परमिट आदि के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी।

उद्योग विभाग

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी./एफ.पी.ए.–23(6) दिनांक 29 मई, 2003 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रैग्यूलेशन्स, 1958 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसन से नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री कालीचरण सर्राफ : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में उल्लिखित निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001–02

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2002–03 एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001–02,

(2) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण–पत्र।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 2000-01

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूलाल, कृषि मंत्री।

श्री प्रभुलाल (कृषि राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-02

(1) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम 2000 की धारा 42 के अंतर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 एवं राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-02

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002

(2) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 19 जनवरी, 2004 को मध्याह्न पश्चात् 1.20 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्य में हुई। समिति ने दिनांक 20 जनवरी, 2004 से 23 जनवरी, 2004 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 20 जनवरी, 2004 बुधवार, दिनांक 21 जनवरी, 2004	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
गुरुवार, दिनांक 22 जनवरी, 2004	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर।
शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी, 2004	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव करता हूं-

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

(लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूं। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। (व्यवधान) पांच करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं आप। यह सदन पांच करोड़ जनता की आशा और विश्वास का प्रतीक है। आप तीन-तीन लाख के प्रतिनिधि है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या आपको इस बात का अंदाजा और अनुमान नहीं है कि राजस्थान की सारी जनता आपकी तरफ देख रही है कि हमने किसको चुन दिया? आपकी तरफ देख रही है और वह विचार कर रही है कि हमारे प्रतिनिधि कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे जन-प्रतिनिधि कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी तरफ पांच करोड़ जनता देख रही है। (व्यवधान) एक मिनट, बैठिए आप। (व्यवधान) पांच करोड़ राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है और समझ रही है कि हमारे जन-प्रतिनिधि कैसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा शोर-शराबा विधान सभा में होता है।

जरा कुछ तो सोचिए। एक मिनट पर कितना खर्चा हो रहा है? कितनी देर हो गई है आपको इस तरह से हल्ला करते ? राजस्थान की पांच करोड़ जनता की आशा और विश्वास के प्रतीक यह व्यवहार कर रहें है?

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : दे दिया जवाब। मैं दे रही हूं जवाब आपको। दे दिया जवाब, और दे देगी जनता यह जवाब आपको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ×××

धन्यवाद प्रस्ताव

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री नन्दलाल मीणा (सलुम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए:-

(श्री नन्दलाल मीणा)

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जारी रखें आप। जारी रखें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जन जातियों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का सरकारी नौकरियों में प्रावधान किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब लोग क्या सदन से बाहर जाना चाहते हैं? आप सदन से बाहर जाना चाहते हैं तो सदन से बहिर्गमन कर जाइए। बहिर्गमन कर जाइए। आप सदन से बहिर्गमन करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा, आप स्वयं बहिर्गमन कर जाएं, अच्छा है।

श्री नन्दलाल मीणा : 1998 में, अध्यक्ष महोदय, सत्ता परिवर्तित हुई, कांग्रेस के हाथ में...(व्यवधान) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था, चुनाव प्रचार में अशोक गहलोत, जो तत्कालीन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रदेश में दौरा करके नौजवानों को। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : यह हाय-हाय तो मत करो। अब भी क्यों कर रहे हो हाय-हाय ? (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री अर्जुन लाल जीनगर : ×××

श्री तगाराम चौधरी : ×××

श्री राकेश मेघवाल : ×××

श्री ओम बिरला : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री शांतिलाल चपलोत : ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता : ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह : ×××

श्री रामलाल शर्मा : ×××

श्री हीरालाल (निवाई) : ×××

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) यह हाय–हाय न करके...(व्यवधान) मुझे कहने तो दीजिये। (व्यवधान) आप तो सुनना ही नहीं चाहते अध्यक्ष को भी। आसन को भी नहीं सुनना चाहते तो आपका क्या किया जाएं? (व्यवधान) आपका क्या किया जाए, कुछ सुनना ही नहीं चाहते? (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आप अपने अपने स्थानों पर जाएं तो मैं आपको बताउंगी। (व्यवधान)

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आप किसी कायदे कानून को, किसी व्यवस्था को मानने को तैयार हैं क्या? कोई कायदा कानून, कोई व्यवस्था मानने को, सुनने को तैयार हो क्या? (व्यवधान) चुप तो कराओ पहले इन्हें। चुप तो कराओ। माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान...(व्यवधान) देखिये, बहुत कुछ हो लिया है और आप मुझे मजबूर नहीं करे। मैं नही चाहती कि आपके खिलाफ किसी तरह की कठोर कार्यवाही करूं। आप सुनने को तैयार नहीं है। (व्यवधान) मिस्टर संयम लोढा, मिस्टर संयम लोढा आई नेम यू मिस्टर लोढा। मैं बता रही हूं, आप सुनना

(श्री अध्यक्ष)

नहीं चाहते। आप तो सुनना ही नही चाहते। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान रूल 16 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। मिस्टर संयम लोढा। मिस्टर संयम लोढा आई नेम यू। मैं आपको नाम से पुकारती हूं, आप बिलकुल चुप रहिये। (व्यवधान) मैंने कह दिया। (व्यवधान) कोई तरीका नहीं है आपका इस तरह से सम्वाद करने का। यह आप इस तरह से मुझसे सम्वाद नहीं कर सकते। वेल में रहकर आप सम्वाद नहीं कर सकते। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी और नहीं तो फिर मुझे कठोर कार्यवाही के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यह आपकी गलत बात है। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं आपका ध्यान... (व्यवधान) रूल 16... (व्यवधान) मिस्टर निर्भय लाल, आप बहुत बोलने लगे हैं। आप बहुत बोलने लगे हैं, मिस्टर निर्भय लाल। आप सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपका ध्यान रूल 16 की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं, रूल 16 में लिखा हुआ है (व्यवधान) सुनिये। (व्यवधान) बिलकुल आपको करूंगी। रूल बिना नहीं चलता है। यह सदन नियमों से चलता है और आसन नियमों से बंधा हुआ है इसलिए मैं रूल कोट कर रही हूं The House Shall on the Recommendation of the Business Advisory Committee... (व्यवधान) आप सुन लीजिये पहले पूरा... allot time for the discussion of the matters referred to in the Governor's Address. आप सुनिये पहले। पूरा सुन लीजिये। पहले सुन लीजिये न आप।

श्री अमराराम (धोद) :×××

श्री अध्यक्ष : अच्छा, हिन्दी में बता देती हूं। हिन्दी में बताती हूं। बताती हूं। (व्यवधान) चैप्टर 5, सुनिये सुनिये। सदन राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर समय नियम करेगा। इसके आगे सुनिये अब। (व्यवधान) परंतु अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से उक्त समय आबंटित कर सकेगा। मुझे आप मौका दे, सदन के नेता से मैं इस बारे में डिस्कशन... (व्यवधान) देखिये, यह गलत बात है, आप बीच में बोलते हैं। आप सदन में पहली बार चुनकर नहीं आये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो सही। मेरी बात तो सुनिये। मैंने क्या कहा है? (व्यवधान) सदन में आप उपस्थित रहते नहीं है, पूरी बात सुनते नहीं हैं। मैंने पहले आसन से व्यवस्था दी है कि मैं इस सम्बन्ध में कल 10 बजे तक सारी जानकारी एकत्रित करके, प्राप्त करके फिर वक्तव्य के लिए समय दूंगी। यह मैंने पहले व्यवस्था दी है, अब मैं आपसे पुनः कह रही हूं। रूल 16 की तरफ आपका ध्यानाकर्षित करके आपको निवेदन करना चाहती हूं कि इस बारे में चूंकि सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद शुरू हो चुका है इसलिए उसके बीच में यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है तो उस बारे में आसन से। (व्यवधान)

बीच में नहीं बोलिये। आसन से व्यवस्था देने से पहले सदन के नेता से चर्चा करनी पड़ेगी, इसलिए सदन के नेता से चर्चा करके मैं समय तय करूंगी। (व्यवधान) इसलिए अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्थानों पर जाइये। (व्यवधान) What do you Want ? क्या चाहते हो आप? (व्यवधान) क्या चाहते हैं अब आप? (व्यवधान) क्या चाहते हैं अब आप? (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता को जब सुनूंगी जब आप अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप अपने अपने स्थान पर जाएंगे। (व्यवधान)

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

और जोर से बोलिये आप। (व्यवधान) आप को अपने नेता पर भरोसा नहीं है। (व्यवधान) आप नेता की बात नहीं सुनना चाहते।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप यहां बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अपने नेता पर भरोसा नहीं है। (व्यवधान) हां, यह शुरू हो चुका है। (व्यवधान) शुरू हो चुका है, देवल साहब। शुरू हो चुका है। हां, जरूर बैठिये। नेता, प्रतिपक्ष, पहले माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण करवाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ये शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं न।

श्री अध्यक्ष : पहले आप अपने सदस्यों को स्थान ग्रहण करवाएं। (व्यवधान) आप कहीं बैठिये। आपके नेता बोलना चाहते हैं और आप वेल में बैठे हुए हैं। आपके नेता बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी रूल 16 का हवाला देते हुए अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय नियतन की बात कही हम तो यह मान रहे है, अभी भी हम जीरो आवर में अपनी बात उठा रहे है, 38 माननीय सदस्यो ने स्थगन प्रस्ताव रखा और हम चाहते हैं कि इसके उपर या तो सदन को एडजोर्न करो और हमारी बात को सुन लें या...मुझे एक मिनट पहले आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष : न तो सदन को एडजोर्न...न सदन स्थगित होगा, हम सदन स्थगित नहीं करेंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के बारे में कभी भी, मुझे आप एक इतिहास बता दें कि उसका जवाब प्रश्नकाल के माध्यम से हो। यह तो वक्तव्य में आता है।

श्री अध्यक्ष : सदन के 50 साल के समय के अन्दर केवल एक बार एक स्थगन प्रस्ताव के उपर चर्चा की गई थी सदन की कार्यवाही को रोक कर, इसके अलावा 50 साल के अरसे में दूसरी कभी कोई स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई।

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन यह प्रश्नकाल के माध्यम से नहीं होता। एक मिनट...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के बारे मे केवल दो तरह से व्यवस्था होती है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो पता नही इतिहास रचूंगी कि नहीं रचूंगी, आप जरूर रच रहे हो इतिहास। आप अपना इतिहास रच रहे हो। मैं तो पता नहीं रचूंगी कि नहीं रचूंगी, आपका इतिहास रचा जा रहा है। आप अपना इतिहास रचने की कोशिश करिये। यह तरीका आपका उचित नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आपसे एक तो निवेदन करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके अपना टेम्परामेंट सही रखें क्योकि आप गुस्से में यह कह गई कि किसान विरोधी सरकार तो चली गई, यह सरकार पांच साल चलेगी। यह आसन से टिप्पणी अच्छी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कब कहा मैंने, क्या कहा? क्या कहा मैंने? मैंने कुछ नहीं कहा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह आपने कहा है। यह कहा गया है। यह आपने कहा है। यह बात कही है आपने।

श्री अध्यक्ष : यह मैने नहीं कहा, मैने कुछ नहीं कहा। गलत बात है। (व्यवधान) कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार सदन कूप में नारेबाजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक पहले सीधी सी बात है, मैं तो समझता हूं कि सरकार को सुओमोटो यह कहना चाहिए कि हम कल स्टेटमेंट देंगे, नही तो आपको डाइरेक्शन देना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : आपके सदस्य आपकी बात ही नही मान रहे है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको जिद नहीं करनी चाहिए। आप तो पक्ष और विपक्ष दोनों को ही स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य आपकी बात ही नहीं सुनने दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप केवल पक्ष की ही स्वीकार नहीं है, पक्ष और विपक्ष दोनों की ही स्वीकार है। इसलिए आप को तो कम से कम न्याय की कुर्सी के उपर किसानो के हितों की बात को रखना चाहिए और मैं समझ्ता हूं कि आपको सरकार का डाइरेक्शन देना चाहिए कि आप इस वक्तव्य को रखें। आप जोश जोश में ही यह कह गई कि किसान विरोधी सरकार तो चली गई, यह सरकार पांच वर्ष तक चलेगी। ऐसी टिप्पणी आसन के द्वारा दिया जाना उचित नहीं है। मैं समझ्ता हूं कि सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है इसलिए आपको, सरकार को सुओमोटो घोषणा करनी चाहिए (व्यवधान) हम तो पहले से ही यह बात यह रहे हैं कि आपने हाउस को आर्डर में लिये बिना बहस शुरू करवा दी। हाउस आर्डर में नहीं था उसी समय आपने यहां पर अभिभाषण के उपर चर्चा शुरू करवा दी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हाउस को आर्डर में लेकर आप या तो स्थगन प्रस्ताव को मेहरबानी करके रिजेक्ट करें और हमारी बात को सुनने की कृपा करें अथवा आप सरकार को निर्देश दें कि वह स्टेटमेंट जारी करे बिजली के बारे में, क्योंकि आज सारे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

राजस्थान का किसान उद्वेलित है, उसको आठ घंटे बिजली नहीं मिल रही है। ये 14 घंटे की बात कर रहे हैं, तीन घंटे बिजली मिल रही हैं (व्यवधान) इसलिए हम इस सरकार का विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप माननीय सदस्यो की बात को सुनने की कृपा करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए मैं आपको यह भी निवेदन करता हूं कि आप अपनी टिप्पणी पर पुनविचार करें जिसमें आपने यह कहा कि यह सरकार पांच साल चलेगी। यह तो जनता के उपर निर्भर करता है। यह कहना कि किसान विरोधी सरकार चली गई, यह मैं समझता हूं कि आसन के लिए शोभा नहीं देता है। आप पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्पति से स्पीकर बनी हैं इसलिए आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बात को सुनना होगा और उसके बाद में विचार करके आप सदन में बोलें तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : सवेरे से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बिजली की समस्या को लेकर पूरे राजस्थान के काश्तकार उद्वेलित हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई घबराते नहीं है। हम कोई घबराते नहीं है। (व्यवधान) आप मंत्री परिषद् में रहे हुए हो, आपको चाहिए था, आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? क्यों नही दिया स्टेटमेट ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह मंत्री की भाषा नहीं है। कोई गलत काम करे यह रोएगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है। ये मंत्रियों के रोने की भाषा कह रहे हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे आपत्ति है इस बात पर। मंत्री होकर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रोने की बात कर रहे हो, इस असंसदीय भाषा से हम डरने वाले नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : मंत्री होकर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप प्रोवोक करने की बात करते हो, यह उचित नहीं है। क्या आप ऐसे ही प्रोवोक कर रहे हो ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रोवोक करने की आवश्यकता नहीं है। आप में यदि थोडी संवेदनशीलता होती तो आप सदन में वक्तव्य देते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : और उलटा आप वह कह रहे हो कि रोना चाहिए। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। आप बिजली नहीं दे रहे हो और किसान को बिजली नहीं देने के कारण आज पूरा सदन आपके खिलाफ बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : आज चित्तौड़गढ़ में आन्दोलन हो रहा है, डूंगरगढ में आन्दोलन हो रहा है, बीकानेर में आन्दोलन, जगह-जगह आन्दोलन बिजली को लेकर हो रहे है और सरकार के कान के ऊपर...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करके बिजली की मांग के बारे में विचार किया जाए तब जाकर सदन की भावना का आदर होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम आपकी धमकी में आने वाले नहीं है। आपकी धमकी में कोई आने वाला नहीं है। हम आपकी धमकी में आने वाले नहीं है। (व्यवधान) आप मंत्री की तरह रहो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके चित्तौड़ में आन्दोलन हो रहा है, डूंगरगढ में आन्दोलन ही रहा है, बीकानेर में आन्दोलन हो रहा है, जगह-जगह किसान आन्दोलन कर रहे हैं । उनको आप तीन घंटे बिजली दे रहे हो। (व्यवधान) बिजली के उपर आप वक्तव्य दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी कोई धमकी में आने वाला नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : बिजली के बारे में जब तक आप स्टेटमेंट नहीं देंगे, सदन नहीं चलेगा। और सत्ता पक्ष धमकी काम कराए, यह सदन में नहीं चल सकेगा। ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

(14.31 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि माननीय नेता से बात करके वह समय तय कर देगी, इसमें क्या दिक्कत? इसलिए आपको रोक लेना चाहिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कटारियाजी भी इसको तय कर देंगे। ऐसी परम्परा नहीं रही है। स्पीकर सदन के नेता बताएं जैसे चलेगा, क्या बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : जो अध्यक्ष महोदया ने कहा है...

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदया ने कहा है, माननीय नेता से... (व्यवधान) सदन के नेता से परामर्श करके आपको दे देंगी।

श्री श्रवण कुमार : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह बात पहली बार सुन रहे हैं कि वक्तव्य देने में आप मुख्य मंत्रीजी की राय लेंगे, यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप बोलिये, आप बोलिये। आप बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं...

श्री सभापति : आप बोलिये। एक मिनट, वह बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : वक्तव्य के लिए समय का नियतन केवल मात्र स्पीकर तय करता है। हम अभिभाषण के अलावा कोई नया विषय लाएं, आप नेता की राय ले सकते हैं। लेकिन इसमें तो सिर्फ यह तय करना है कि वक्तव्य होना है।

वक्तव्य कभी भी हो सकता है और यह केवल स्पीकर महोदय का फुल राइट है, पूर्ण अधिकार है कि वह वक्तव्य के लिए समय निश्चित कर दें। उसके लिए सदन के नेता की राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुओमोटो मंत्री ले सकता है कि हम कल यह वक्तव्य देंगे। तो भी आप रोक नहीं सकते उसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप रूल 16 का हवाला देकर सदन को यह कहें कि हम मुख्य मंत्री की राय लेकर वक्तव्य का समय तय करेंगे, यह मैं समझता हूं कि नियमों के विपरीत बात है। (व्यवधान) इसलिए आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और वक्तव्य के लिए समय निश्चित करें। यह जिद्द की आवश्यकता क्या है? आज किसान के लिए सारा सदन चिंतित है, मैं समझता हूं सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि बिजली साढ़े तीन घंटे से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ज्यादा मिले, आठ घंटे तक मिले। ये लोग अनुशासन में रहकर अपनी बात नहीं कह रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी यह चाहते हैं कि किसानों को आठ घंटे तक बिजली मिले। लेकिन यह अनुशासन की बग्गी में बंधे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर वक्तव्य दिलाएं। मुख्य मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में पूछने की कोई परम्परा नहीं रही है, आप स्वयं निर्णय करके वक्तव्य दे सकते हैं, दिला सकते हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : सुओमोटो कोई भी व्यक्ति वक्तव्य दे सकता है, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी की राय लेने की या उनको पूछने की स्पीकर को कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि वक्तव्य के लिए कभी भी स्पीकर समय निश्चित कर सकता है। (व्यवधान) जब भी राज्य के कानून और व्यवस्था के मामले में...(व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट सुनेंगे, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में मैं पूरी बात कर लेता हूं। अति महत्वपूर्ण विषय जो लोक महत्व के हैं, वे एडजोर्नमेंट मोशन के माध्यम से उठाये जाते हैं, उसके ऊपर स्पीकर महोदय कभी भी वक्तव्य दिला सकते हैं, इसके लिए सदन के नेता को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय...

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने रूल 16 कोट किया है...

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : अभी रूल 16 कोट किया है, आपको मालूम होगा और

(श्री सभापति)

उसके तहत (व्यवधान) पहले, एक मिनट, क्यों बोल रहे हैं बीच में? उसके तहत जब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ हो जाती है...(व्यवधान) एक मिनट, कैसे नहीं, मूव हो गया। एक मिनट सुन लें आप। मैं बोल रहा हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को। उसके बाद यदि किसी महत्वपूर्ण विषय पर, जैसा आप समझ रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि किसान को बिजली मिलनी चाहिए, वह भी चाहते हैं कि किसान को ज्यादा मिलनी चाहिए, अब उनकी भी चिंता है, आपकी भी चिंता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें सरकार की तरफ से न कोई मना है। मंत्री महोदय ने कह दिया कि जब भी अध्यक्ष महोदया तय करेंगी, हम वक्तव्य देने को तैयार हैं। मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहूंगा कि चूंकि रूल 16 में यह व्यवस्था है कि यदि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा प्रारम्भ हो जाए या प्रस्ताव रख दिया जाए, उसके बाद केवल किसी महत्वपूर्ण विषय पर बीच में रोक कर, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा बीच में रोक कर चर्चा कराई जाए। वह तभी सम्भव है, उसके लिए रूल 16 में... (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, आप सुनिये। माननीय, आप सुन लीजिये, बाद में बता देना। पहले बात सुन लीजिये, पहले सुन लीजिये, एक मिनट। तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदया ने व्यवस्था दी थी, रूल 16 में आवश्यक है कि सदन के नेता महोदय से चर्चा करके उसके मामले में वह समय तय कर देंगी और उस पर चर्चा करा लेंगे। अब इसमें इतनी-सी बात है कि अभी वह बोलें, या उनसे चर्चा करके फिर आपको बताएं, इतनी-सी बात है, इस बात को प्रेस्टीज...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट प्लीज। तो इसमें आपको इतनी जिद्द नहीं करनी चाहिए, अभी शाम तक सदन चलेगा...(व्यवधान) एक मिनट, हां, हां, इसीलिए कह रहा हूं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप पूरी बात सुनिये, मेरी पूरी बात सुनिये। आसन पैरों पर है, आप पूरी बात सुनिये। आप इतनी जल्दबाजी में, देखिये, जब तक इसमें बहस शुरू हो जाए, माननीय अध्यक्ष महोदया चर्चा कर लेंगी माननीय नेता महोदय से, उसके बाद आकर अपनी व्यवस्था दे देंगी। इसमें ऐसी इतनी कौन-सी बात है कि आप सदन का, अपना सदन, आप भी बोलना चाहते हैं, वह भी बोलना चाहते हैं...

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : मैं, माननीय नेता महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं ताकि इसको सुचारू रूप से चलाएं। बस इस बीच में नेता महोदय से चर्चा करके व्यवस्था दे देगी इसमें ऐसी कौन सी अड़ाअड़ी की बात है...

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : आप विचार करिये इस पर।

श्री श्रवण कुमार : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति : नेता महोदय खड़े हैं, सदन के नेता, सदन के नेता पहले। सदन के नेता खड़े हैं, पहले प्रायोरिटी उनकी है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री सभापति : सदन के नेता खड़े हैं, प्रायोरिटी उनकी है, आप बोल लीजियेगा।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : मैं आपको दूंगा, आपको भी दूंगा, पहले आप बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, रूल 16 में...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। रूल 16 वक्तव्य के लिए लागू नहीं होता। (व्यवधान) एक मिनट। सभापति महोदय, वक्तव्य एक अलग परिभाषा में आता है, वक्तव्य किसी भी वक्त हो सकता है। आज सरकार को कोई स्टेटमेंट देना हो और यहां सदन के नेता मौजूद नहीं होते हैं तो क्या यह अपना वक्तव्य नहीं देंगे? कोई भी घटना घटित हो जाए और उस घटना के बारे में सरकार वक्तव्य देना चाहे, मान लीजिये, कहीं कोई प्राकृति घटना हो गई...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : और सरकार उसके बारे में जानकारी देना चाहे तो क्या उनको सदन के नेता से पूछना पड़ेगा? मुझे बराबर याद है, मैं सदन का पांचवीं बार सदस्य चुना गया हूं, आप भी बहुत पुराने सदस्य हैं ।

सदन में कभी भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा... (व्यवधान) किसी प्रकार विधायी कार्य रखना चाहें, यह उस परिभाषा में आता है नियम 16 के अन्तर्गत।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : आप बात पूरी करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सभापति : ये बात पूरी कर लें। मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप बात पूरी करिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ×××

श्री सभापति : एक-एक मैं आपको मौका दे रहा हूं। बात पूरी कर लें। प्रतिपक्ष के नेता बात पूरी कर लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : देखिये, रूल 16 क्या कहता है।

श्री सभापति : हां, 16 पढ दीजिये। आप पूरी तरह 16 पढ़िये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, सभापति महोदय ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : ये बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सदन राज्यपाल के अभिभाष्य में निर्दिष्ट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विषयों पर चर्चा के लिए कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर समय नियत करेगा, परन्तु अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से उक्त समय आबंटित कर सकेगा। इसका अर्थ यह है कि आप यदि कोई विषय बदलना चाहें, अभिभाषण के अलावा कोई विधायी कार्य लेना चाहें।

श्री सभापति : विधायी कार्य नहीं है इसमें कहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभिभाषण के अलावा और कोई विषय लेना चाहें तब जाकर आप उसके ऊपर उनसे चर्चा करेंगे। यह है जीरो आवर का मामला और इसमें एडजोर्नमेंट मोशन...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : व्रो शुरू हो गया, हाउस तो आर्डर में नहीं था। सभापति महोदय. आप बहुमत के बल पर सदन को चलाना चाहते हैं या सदन को सर्वसम्मति से चलाना चाहते हैं ?

श्री विष्णु मोदी : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस सदन की गरिमा रखने का पहला दायित्व है। सदन चलाना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष का सहयोग करना।

श्री विष्णु मोदी : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने नारे सामने लगाने का काम किया था, विष्णुजी ? हमको जनता देख रही है।

श्री सभापति : एक मिनट विराजिये । माननीय सदस्य। राजेन्द्रजी, बोलिये क्या बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के नेता ने अभी सदन के अन्दर रूल 16 पढकर सुनाया है, रूल 16 अपने आप में स्पष्ट है, कोई अत्यावश्यक विषय आ जाए तो सदन के नेता से परामर्श के साथ उस विषय के बारे में समय नियत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया जा सकता है। सभापति महोदय, जो बिजली की बात ये कह रहे हैं, हम लोगों को भी चिन्ता है, हम भी उसी किसान परिवार से आते हैं। हम भी चाहते हैं कि सार्थक बहस हो, परन्तु, प्रतिवक्ष के नेता, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पर आसीन हैं, इस कुर्सी को कई ऐसे-ऐसे लोगों ने सुशोभित किया है जो आज महामहिम उप राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। जहाँ गुलाब चन्दजी कटारिया भी बैठे हैं, परन्तु जिस तरह का व्यवहार आज प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सदन को चलाएं। यह रूल 16 साफ कह रहा है, सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के नेता, जब एक बार साफ आ गया कि सरकार इस पर बहस करने को तैयार है, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है...(व्यवधान) कह दिया कि सरकार की इच्छा है। हम तो चाहते हैं कि इस संवेदनशील विषय पर बहस हो, इस संवेदनशील विषय पर चर्चा हो, और प्रतिपक्ष के नेता, चर्चा जब होगी तो कई कलइयां खुलेंगी, आपकी सरकार के द्वारा किये गये कई कारनामे उजागर होंगे इस सदन में।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपने जो मुद्दा उठाया है उसमें यह जो आपने कहा है, कोई भी विधायी कार्य या और ऐसी चीज लाना चाहें, वो 17(2) में उसकी व्यवस्था है, आप पढिये यह। यह प्रस्ताव किये जाने के बाद कि अभिभाषण पर चर्चा...(व्यवधान) माननीय सदस्य, एक मिनट। आसन पैरों पर। देखिये, क्योंकि अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आ चुका है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नो।

श्री सभापति : यस-यस। अभी रख दिया गया। अब आप न मानें तो। देखिये, सारे कागज टेबल हो गये। (व्यवधान) नहीं, आ चुका है। हो गया। एक मिनट विराजये। मैं खड़ा हूं पहले। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : यहां प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, आप बात सुन लीजिये और बाद में रूलिंग दे दीजियेगा।

श्री सभापति : आप पुराने सदस्य हैं। आप बोलिये क्या बोलना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने का सवाल है, यह जो मुद्दा बिजली का राजस्थान की जनता से और विशेष तौर से किसान और ग्रामीण जनता से जुड़ा है...

श्री सभापति : वो तो सभी मान रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं, वो बोलिये। आप रूल्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या? जनरल भाषण नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : रूल्स की बात कर रहे हैं। यह मुद्दा कंटीन्यू जब चल रहा है, जब डिजोल्व नहीं किया गया इस प्रोटेसट को उससे पहले, इस हाउस के आर्डर में आने से पहले प्रस्ताव कैसे रखवा दिया? हमने तो नहीं सुना। रूल-16 जो है उसमें अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के बाद कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है तो उसमें सदन के नेता से परामर्श करने की, स्वीकृति की आवश्यकता है। जब हमारे सदन की नेता यहां मौजूद हैं, प्रश्न आवर में वो बोली हैं, उनको यह चिन्ता नहीं है? राजस्थान का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, ढाई घंटे से वो यहां से गायब हैं, उनको चिन्ता इस बात की नहीं है?

श्री सभापति : सिट डाउन प्लीज अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपका ध्यान... आप सुन लीजिये मेरी। अंकित नहीं हो रहा है आप जो बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : इसलिए नहीं हो रहा कि वो इर्रिलेवेंट बात बोल रहे हैं। जितना रिलेवेंट बोला मैंने अंकित करवाया है, उसके बाद इर्रिलवेंट बोल रहे हैं। आप इर्रिलेवेंट बोल रहे हैं, मैं अंकित नहीं होने दूंगा। आप विराजिये। आपने कह दिया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : देखिये, आप विराज जाएं। नहीं-नहीं अब मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपने जो कहा वो सुन लिया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : आपने कह दिया, अब विराजिये। एक मिनट। मैंने सुन लिया। आपने जनरल भाषण देना शुरु कर दिया। जनरल भाषण देना शुरु कर रहे हैं। मैंने उनको इजाजत दी है। अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप बोलते जाएं, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य (व्यवधान) अब हो गई बात, अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री रामप्रताप कासनिया : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री खुशवीर सिंह : ×××

डा. सुरेश चौधरी : ×××

श्री रामप्रताप कासनिया : ×××

श्री रामलाल : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

(14.59 बजे)

(श्री अमराराम चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री कन्हैया लाल मीणा : ×××

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : ×××

डा. सुरेश चौधरी : ×××

श्री गोविन्दराम चौहान : ×××

श्री सभापति : जो वैल में बैठे हैं उनकी बात अंकित नहीं होगी और बिना आसन की अनुमति के जो बोलेगा वह अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

(15.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : बिना आसन की अनुमति से जो बोलेंगे वह अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री खुशवीर सिंह : ×××

श्री सभापति : कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा। बिना आसन की अनुमति के कोई भी बात करेगा, वह अंकित नहीं होगा। आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी। अनुशासनहीनता बरदाश्त नहीं होगी।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री सभापति : बिना अनुमति के आपकी कोई भी बात अंकित नहीं होगी। जो वैल में बैठे हैं उनकी और बिना अनुमति के, बिना आसन की अनुमति के जो भी खड़े हैं वे बिना अनुमति के बोलेंगे, कोई बात अंकित नहीं होगी। (व्यवधान) आपकी बात अंकित नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : ×××

श्री सभापति : माननीय नन्दलालजी मीणा... (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। आपकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है, विराजें।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : आपकी बात अंकित नहीं हो रही है। कोई बात आपकी अंकित नहीं होगी। आप तो विराजें। माननीय श्रवण कुमारजी, आप विराजें। शुरू करिये आप। कोई अंकित नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव को अग्रेतर करते हुए... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अनुशासन रखिये।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, राजस्थान की आम जनता, जनता की आकांक्षाएं, और अपेक्षाएं बहुत बड़ी... (व्यवधान) वह केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिये... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : पिछले विधान सभा के चुनावों में 156 कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस सदन में बैठते थे...(व्यवधान) और अब कांग्रेस पार्टी...

(श्री नन्दलाल मीणा)

(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी जन कल्याण के काम नहीं कर सकी, उसका नतीजा यह सामने आया कि... (व्यवधान) 156 के बजाय ये खाली 56 की तादाद में यहां पर आकर बैठे हैं।

श्री खुशवीर सिंह : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री नन्दलाल मीणा : और जिस हरकत को इन्होंने आज यहां सदन में प्रस्तुत करके राजस्थान की पौने छह करोड जनता को दिखाया है, मुझे निकट भविष्य में जो लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी। आज राजस्थान की जनता... (व्यवधान) 1952 से लेकर अब तक...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री नन्दलाल मीणा : 1952 के बाद अपनी मूलभूत आवश्यकताओं... (व्यवधान) अपने द्वारा चुनी गयी सरकार से अपेक्षा करती रही है, सभापति महोदय, इस 52 साल के राज में केवल 8 वर्ष भैरोंसिंहजी की सरकार रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सयम लोढाजी, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, माननीय संयम लोढाजी। अंकित नहीं होगा, आपको नाम से पुकारता हूं।

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री खुशवीर सिंह : xxx

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, इस विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के 200 उम्मीदवारों ने...(व्यवधान) आजादी के बाद से यह ऐसा चुनाव रहा जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने पैसे के...(व्यवधान) शराब बांटी गयी, कपडे बांटे गये, दारू के पाउच बांटे गये, पैसे बांटे गये। (व्यवधान) लोकतंत्र पर जिस प्रकार से यह कलंक का टीका लगाया (व्यवधान) यह हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : और यह भ्रष्टाचार का पैसा...(व्यवधान) ट्रांसफर को उद्योग के रूप में पनपाया...(व्यवधान) एक चपरासी से लेकर आई.ए.एस. आफिसर तक अपनी मनमर्जी से पदस्थापन के आदेश किये...(व्यवधान) और राशन पर गरीबों को मिलने वाले गेहूं की...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये। आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : ×××

श्री नन्दलाल मीणा : पिछले बजट सत्र में फल बीमा योजना के बारे में...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री सभापति : आप विराजिये, आप बैठिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति : नन्दलालजी, आप शुरू रखिये। शुरू करिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, फसल बीमा किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके बारे में विधान सभा ने राज्य सरकार से, कांग्रेस की सरकार से मांग की थी कि किसानों के लगातार चार वर्ष अकाल की वजह से फसलें खराब होती आ रही हैं और जब तक फसल बीमा योजना लागू नहीं होगी तब तक राजस्थान के किसानों को सही रूप में प्राकृतिक प्रकोप से, अकाल से, अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से जो क्षति हो रही है, उसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकती है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के 19 राज्यों में भारत सरकार के नार्म्स के आधार पर फसल बीमा योजना लागू है। उसको इस

(श्री नन्दलाल मीणा)

राज्य में लागू करेगी उसमें 75 परसेंट पैसा भारत सरकार देगी और 25 परसेंट पैसा राज्य सरकार को मिलाना होगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, सी. पी. साहब बैठे हुए है, यह जलदाय विभाग के मंत्री थे तो इनका और मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध होने के बावजूद भी प्रतापगढ में उन गांवों की पेयजल की सुविधा के लिए भेजी गयी योजना को स्वीकृति नहीं दी, महज इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था। वही सी. पी. साहब आज यहां पर लान में, सब्जी मंडी मे बैठे हैं, इस तरह की बात कर रहें है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। मेरी व्यवस्था है। आप बोलिये।

(15.13 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से बिजली के बारे में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया और वे इस पर वक्तव्य की लगातार मांग कर रहे हैं। हमने पहले भी आप से रिक्वेस्ट की थी। मैंने सदन के नेता महोदय से भी बात कर ली है। सदन के नेता महोदय से मैंने बात कर ली है, राज्य सरकार कल किसी भी समय जो आप नियत करेंगी, उस समय बिजली पर स्टेटमैंट देने के लिए तैयार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा मंत्रीजी ने कहा है, मै कल दोपहर बाद, यह वक्तव्य सरकार की ओर से आ जाए, यह व्यवस्था दे रही हूं। आप बैठिये। अब तो शोर न मचाएं आप। अब तो शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का धरना समाप्त)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह क्या ? अब क्या बाकी रह गया आपका ? (व्यवधान)

श्री सयंम लोढ़ा : हमारी पर्ची लगी हुई थी।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर संयम लोढा, अब कुछ नहीं। हां, माननीय, धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण जारी रखे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 को....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़े हुऐ मान लिये गये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब कोई माननीय अध्यक्ष नहीं कुछ नहीं सुनेंगे। केवल यह भाषण देंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : 295 पढ़ा हुआ माना जाएगा क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़ा हुआ माना जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात को सुन लिया गया, वक्तव्य कल दोपहर बाद आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : 295 ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा :295 ?

श्री अध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप ? नहीं, पढ़ा हुआ, नहीं माना जाएगा यह कौनसा तरीका हुआ ? पर हां, 295 के बारे में मैं पहले ही व्यवस्था दे चुकी हूं कि वे पढ़े हुए मान लिये हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पढ़े हुए मान लिए ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़े हुए मान लिये।

श्री संयम लोढ़ा : पर्ची

श्री अध्यक्ष : पर्ची के बारे में मैंने व्यवस्था दे दी कि आज पर्ची पर विचार नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब बैठो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपको...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रस्ताव पर जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर अग्रेत्तर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पौने छह करोड़ जनता हर पांच साल में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करके राजस्थान की विधान सभा में भेजती है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अब जब अभिभाषण पर चर्चा चल रही है तो माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता, जिन्होंने अभी तत्काल सत्ता छोडी है, जनता को इनको, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, जनता की नहीं करने के कारण, उनकी आज्ञाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : अभिभाषण पर बताइये। आपको प्रतिपक्ष को कहने की जरूरत नहीं है और न आपको यह बताने की जरूरत है कि प्रतिपक्ष क्या चाहता है। आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए। माननीय सदस्य, आप बीच में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : आउट आफ सब्जैक्ट है यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए। आपको भी मौका मिलेगा। आपको जो कुछ सत्ता पक्ष के लिए कहना है, कहिये, मौका मिलेगा लेकिन आप इस तरीके से बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसी का परिणाम है कि 156 की जगह में केवल 56 रह गये। लोक सभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो

(श्री नन्दलाल मीणा)

कृत्य सदन में प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं और राजस्थान की जनता इनको इनके कर्तव्यों के ऊपर बड़ी पैनी दृष्टि से देख रही है, मैं कुकृत्य नहीं कहना चाहता। (व्यवधान) कृत्यों पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें।

श्री नन्दलाल मीणा : अभिभाषण पर बोल रहा हूं मैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे पर बोल रहे हो या अभिभाषण पर बोल रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह अभिभाषण आप पर ही है।

श्री नन्दलाल मीणा : यह आप पर ही है।

श्री अध्यक्ष : अभिभाषण में सारा राजस्थान आता है। अभिभाषण में सारा राजस्थान आता है। बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : यह तो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : यह इस तरह से बोलेंगे तो लोग इधर से नाराज हो जाएंगे और खामखाह विवाद पैदा हो जाएगा। आप विवाद क्यों बढ़ा रही हो? (व्यवधान)

श्री कालूराम गुर्जर (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, लोग तो इनसे नाराज हो गये इसलिए इनको भगा दिया, अब क्या नाराज होंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभिभाषण में सब कुछ रहता है। प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष से राजी तो कभी रहता नहीं है। कभी नहीं रहता। बोलने दीजिए। आप उन्हें बोलने दीजिए। बोलिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : पांच साल के आपके कुकृत्य से जनता नाराज हो गयी, अब आपकी नाराजगी और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप व्यवधान मत डालो।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में जो लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसमें 25 में से 25 सीट कांग्रेस अपने हाथ से खो देगी। बैठ जाओ न, इण्टरप्ट नहीं करना, प्रतिपक्ष के नेता।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह सपना ही रहेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री नन्दलाल मीणा : 4 दिसम्बर को परिणाम निकले और 15 जनवरी विधानसभा का सत्र प्रारम्भ हुआ। राजस्थान की जनता बड़ी आशा लगाये बैठी थी। राजस्थान की जनता कहां 12वीं राजस्थान विधान सभा में चुने गये सदस्यों से बड़ी आशा लगाये बैठ थी कि लगातार पिछले चार पांच साल से अकाल से जूझ रही जनता, पेयजल से जूझ रही जनता, चिकित्सा के लिए जूझ रही जनता, बेरोजगारी से जूझ रहा नौजवान चिकित्सा के मामले में, यातायात के मामले में जो जनता दुखी थी, सदन में बैठकर उन पर विचार होगा और कुछ समाधान निकलेगा। परंतु, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अखबार पढ रहा था तो मुझे 1952 में, जब शायद आप सदन में विराज रही थीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं 57 में आयी हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : उस समय जब पहले विधानसभा सत्र का शुभारम्भ हुआ, तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह ने पहली विधान सभा में औपचारिक रूप से कहा था कि राजस्थान की जनता अकाल से, प्राकृतिक आपदा से, पेयजल से, सिंचाई से और नाना प्रकार की जो समस्याएं वर्तमान में मौजूद हैं, उनसे जूझ रही हैं और जन प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य होता है कि उस समस्या का समाधान करें। परंतु चूंकि वह पहला चुनाव था, वित्तीय सकंट को आधार बनाकर यह बहाना बनाया जाता रहा कि वित्तीय संकट है, सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। परंतु अध्यक्ष महोदया, आधी सदी बीत गयी, जो समस्या 1952 में महाराजा प्रमुख ने विधान सभा के सदन में कही थी, हर बजट सत्र में, हर विधान सभा के चुनाव के बाद जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, वह यही बात कहता है। अब

(श्री नन्दलाल मीणा)

राजस्थान की जनता इस बात को सुनना पसन्द नहीं करेगी। किस प्रकार की आपके सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं, इसका समाधान सत्ता पक्ष को और प्रतिपक्ष को करना है। क्या समाधान किया, यह सी. पी. जोशी साहब के सामने मैंने निवेदन किया था। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत जब 1988 में सत्तारूढ़ हुए, सबसे पहले प्रेस कान्फ्रेन्स में ही कह दिया कि मैं तो दिवालियां हूं, मेरे खजाने में एक कोडी नही है। अध्यक्ष महोदया, अब आप अंदाजा लगा सकती है, आप हमारी बुजुर्ग हैं, जब किसी घर में कोई होनी अनहोनी हो जाए और वह व्यक्ति यह कह दे कि मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं और किसी साहूकार, किसी जागीरदार, किसी जमींदार, किसी सेठ के पास पैसे उधार लेने जाएगा तो क्या वह उसकी झोली में रुपये डालेगा? राजस्थान की दशा पर, राजस्थान की पौने 6 करोड़ जनता पर, प्रधुम्नजी, आपकी पार्टी ने सबसे पहले दिवालिया साबित करने का काम किया और उसका नतीजा यह है कि लगातार पांच बरस तक अपमानित जनता के साथ जो सलूक किया इस विधान सभा के चुनाव में उसी जनता ने आपके साथ यह सलूक किया कि इधर से उठकर आप उधर चले गये।

श्री कालीचरण सर्राफ : क्या सलूक किया जाए ?

श्री नन्दलाल मीणा : विधान सभा में जब मैं प्रतिपक्ष में बैठता था, अध्यक्ष महोदय, यहां बडा नारा चलता था, कांग्रेस बंधु कहते थे अशोक महान। "अशोक महान" कुछ दिन चलता रहा। अब महानता क्या थी, मैं नहीं जानता। महानता तो यही साबित होती है कि आप उधर बैठे इधर से हटके। यह महानता उन्होंने दिखाई, परंतु ज्यों ही विधान सभा के चुनाव आये, फिर एक नया नारा आया, "हिन्दुस्तान का नम्बर वन मुख्य मंत्री। अब नम्बर वन किसमें चाहेंगे, आप हम सब अदांजा लगा सकते हैं कि किस में नम्बर वन रहे। मेरे प्रतापगढ़ का एक ड्राइवर, अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति का ड्राइवर, वहां का मूल निवासी डिजायर पर ट्रांसफर कहां किया ? उसका बीकानेर ट्रांसफर कर दिया। जब वह आया कि मैं न्यूनतम वेतन भोगी कर्मचारी हूं, मेरा बीकानेर ट्रांसफर कर दिया, मेरे बाल बच्चे प्रतापगढ़ रहते हैं, लाओ पैसे। कहने का मतलब यह है कि चपरासी स्तर तक को इन्होंने नहीं छोडा। इन्होंने राजस्थान के 40 लाख कर्मचारियों को नोंचा।

एक माननीय सदस्य : कितने मांगे पैसे, आप नाम बताइये? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे असत्य आरोप लगाना... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, किसने मांगे पैसे? आप असत्य आरोप लगा रहे हो।

श्री बाबूलाल नागर : असत्य आरोप लगाना उचित नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : कितने मांगे पैसे?

श्री नन्दलाल मीणा : आप पूछ लेना बाद में। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : बेईमानी से सत्ता में आ गये तो इतना घमण्ड मत करो, यह जनता सब देख रही है। आपको फिर आना है इधर ही। आपको इधर ही आना है। बेईमानी से सत्ता में आ गये।

श्री अध्यक्ष : दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डाले।

श्री नन्दलाल मीणा : आप कैसे आ गये, मुझे तो यह आश्चर्य होता है। आपके कर्म तो ऐसे नही थे कि इस विधान सभा में होते आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बीच में व्यवधान नहीं डाले आप।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता अब सपना देखना नहीं चाहती, हकीकत चाहती है। सपनों का सर सब्ज बाग दिखाकर कांग्रेस ने हरदम उनके साथ राजनीतिक खिलवाड़ किया। वसुन्धराजी की जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी, राजस्थान के कोने-कोने में जब उनकी परिवर्तन यात्रा पहुंचती थी तो राजस्थान की जनता का अटूट समर्थन उनको मिल रहा था। उनकी परिवर्तन यात्रा का जो समर्थन था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी दिया। परंतु अब विकास की आवश्यकता है। मूलभूत समस्या का समाधान करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने आम जनता

(श्री नन्दलाल मीणा)

की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया। जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में चौड़ी-चौड़ी सड़कें कैसे बन जाएं, सौन्दर्यीकरण कैसे हो जाएं? राजस्थान की 100 प्रतिशत जनता में से 20 प्रतिशत जनता शहरों में रहती हैं, 80 प्रतिशत गांवों में रहती हैं, लेकिन राजस्थान के बजट का 80 प्रतिशत जनता पर जो 20 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ और 20 प्रतिशत जनता पर 80 प्रतिशत पैसा बजट का खर्च कर दिया।

श्री अमराराम (धोद) : बदल दिया।

श्री नन्दलाल मीणा : हां, बदल दिया। आगे आऊंगा मैं अपनी बात करने के लिये। अध्यक्ष महोदय, वास्तविक लोकतंत्र की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने स्कूल खोले, परंतु गांव का आदमी क्या चाहता है कि राजस्थान के बजट का पैसा गांव की योजना के आधार पर खर्च होना चाहिये, जिला स्तर पर उसके लिये प्रावधान होने चाहिये, जिला स्तर पर उसके लिये प्रावधान होने चाहिये। कौन कौनसी समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान होना चाहिये। कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने तो राजीव गांधी का लटठ पकड रखा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे नही बोलिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि वास्तविक लोकतंत्र का अभिप्राय जनता में शासन के प्रति विश्वास। आज आम जनता को राजस्थान का मुख्य मंत्री कौन है, चीफ सैक्रेटरी कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं। गांव में बैठा हुआ पटवारी कौन है, पुलिस थाने में थानेदार और सिपाही कौन है, पंचायत समिति में बैठा हुआ बाबू कौन है, बैंकों का क्लर्क क्या कर रहा है। इसी आधार पर उसकी समस्या का समाधान होता है और सही ढंग से लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब प्रशासन उनके लिए संवेदनशील हो। आज हो क्या रहा है? सी. पी. जोशी साहब जब जलदाय विभाग के मंत्री थे, अध्यक्ष महोदय, पुराने मित्र हैं, फिर भी मैं इनके सामने गिडगिडाया कि प्रतापगढ़ में पानी की भंयकर समस्या है, आपके पास योजना आई हुई है। मेरे सामने भोलेपन में हां कर दिया, परंतु जब अन्दर इनकी

(श्री नन्दलाल मीणा)

बैठक हुई होगी तो राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर किस तरह से सामने वाले को नीचा दिखाया जाएं, किस तरह जरूरतों के लिये वह बिलखता फिरे...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : बचपन की थी। मुझे मालूम नहीं था कि यह आगे चलकर ऐसे निकल जाएंगे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय।

श्री अमराराम (धोद) : अब आप भी इनके साथ ऐसा ही सलूक करो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप ऐसा सलूक मत करियेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि सत्ता परिवर्तन के साथ 80 प्रतिशत ग्रामीण काश्तकार और खेतिहर मजदूर तो लगातार चार साल से अकाल से जूझ रहे थे, और पिछले बजट सत्र में इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रतिपक्ष में विराजती थीं, राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कटारियाजी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। हिन्दुस्तान के 19 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है, भारत सरकार का एक निर्धारित मापदण्ड भी इसका है कि फसल बीमा योजना जिस राज्य में लागू होगी, 75 फीसदी पैसा भारत सरकार देगी और 25 फीसदी पैसा राज्य सरकार को सम्मिलित करना होगा। इस पर दबाव डाला गया...

श्री अध्यक्ष : 50-50, फिफ्टी-फिफ्टी है। (व्यवधान)

श्री प्रधुम्न सिंह : इसके अलावा किसानों को भी इसमें प्रीमियम अदा करना पडेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : प्रीमियम देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने इस बात को नहीं स्वीकारा। यह बहाना लिया गया कि राजस्थान सरकार 25 परसेंट नहीं कर सकती, अगर भारत सरकार इसको 75 परसेंट कर दे तो हम लागू कर सकते हैं। सारे हिन्दुस्तान के राज्यों में ये नौर्म्स लागू हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी नहीं है, मैं कृषि मंत्री था और मेरे कार्यकाल में जो आप कह रहे हैं वह सब पास हो गया था, राज्य सरकार ने पास किया था।...

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय विश्नोई साहब, मैं जब एक दिन प्रतापगढ में एक गांव में गया था तो...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत देर कर दी हुजूर करते करते। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके लिए रास्ता साफ कर दिया, हमें मालूम था कि आप आएंगे। (व्यवधान) इसलिए पहले ही कर दिया गया। आप पर विश्वास नहीं था।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपको मालूम था कि हम आएंगे ?

श्री अध्यक्ष : लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि इस प्रकार वक्ताओं को बीच में व्यवधान नही डालें। बाद में जब सत्ता पक्ष की नेता महोदय प्रत्युत्तर देंगी तो आपकी सब बातों का जवाब देंगे लेकिन आप बीच में व्यवधान नहीं डालिये, वरना वे अपना भाषण पूरा नहीं कर पाएंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो बात जानकारी में नहीं है, वह बताने में कहां एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, बीच में आप नहीं बोल सकते। गलत बात है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : बीच में कहां ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है तो आप बाद में कहिये। (व्यवधान) बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री नन्दलाल मीणा : आपके पास आकर बाद में मैं खुद ही करैक्ट कर लूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बात बैठ कर बताने की बात नहीं है, यहां विधान सभा में बताने की बात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बीच में व्यवधान नहीं करें। जब यह भाषण करके बैठ जाएं तब आप अपनी जानकारी दें।

श्री रामसिंह विश्नोई : इतने बुजुर्ग माननीय सदस्य को जानकारी नहीं हो...

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जब यह भाषण देकर बैठ जाएं, समाप्त कर दें अपना भाषण, तब आपकी जो जानकारी है वह उन्हें दे दीजियेगा। आपको यह जानकारी नहीं थी, मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं, तब बोल दीजियेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप जिद बहुत करती हो।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार ने अभी रबी की फसल पर फसल बीमा योजना लागू करने की बात कही है परंतु राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से काफी भूभाग कृषि योग्य है परंतु असिंचित है, यह फसल बीमा योजना रबी और खरीफ, दोनो फसलों पर लागू होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में आज लगभग 17 जिले ऐसे हैं जो ब्लैक जोन में आते हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अकाल के समय पीने के पानी की गम्भीर समस्या खड़ी हुई थी। बन्धन के कारण कांग्रेस राज में काफी मवेशी मर चुके थे लोग भी पलायन कर गये थे। अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता है छोटे-छोटे एनीकट और तालाब बनाने की। टयूबवैल और कुओं में पानी नहीं है। मैं खुद किसान हूं, छोटा किसान हूं, आप जैसा बड़ा नहीं। विश्नोईजी जैसा बड़ा किसान नहीं, छोटा काश्तकार हूं। आज भी मेरे दो कुएं होते हुए भी केवल 5 बीघा पर जमीन सिंचित हो रही है। पानी ही नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की यह संवेदनशील सरकार राजस्थान में वाटर लेबल को त्वरित गति से ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करेंगी तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। यही स्थिति पूरे राजस्थान की है।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शेखावत साहब के शासन में जनजाति विकास विभाग का दायित्व में देखता था, प्रतापगढ़ विधान सभा में मचराना, बजरंगढ़ और हमजाखेड़ी बांध का सर्वे करा कर उसकी स्वीकृति हो गयी थी। अगस्त, 1998 में उसकी आधारशिला रखी जा चुकी थी, वित्तीय

(श्री नन्दलाल मीणा)

स्वीकृति भी जारी हो गयी थी परंतु ज्यों ही सत्ता परिवर्तन हुआ, वह पैसा अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया। पिछले वर्ष जून के महीने में, आदरणीया कमलाजी अब सदन की सदस्य नहीं हैं, सिंचाई मंत्री थीं, वह प्रतापगढ़ में पधारी थीं। जिस लघु सिचाई मंत्री थीं, वह प्रतापगढ मे पधारी थीं। जिस लघु सिंचाई परियोजना की आधारशिला मेरे द्वारा रखी गयी थी।, दोबारा आधारशिला रखी गई। दोबारा पिछले वर्ष जून में।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय विश्नोईजी, इसको भी करैक्ट करिये।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोले आप।

श्री नन्दलाल मीणा : जब आधारशिला रख दी तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कमलाजी से चर्चा करूं। अध्यक्ष महोदय, मैं गया डाक बंगले में मिलने के लिए। मैंने कहा, यहां का स्थानीय विधायक हूं, आप इतनी अनुभवी और बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं, कम से कम आपके नजरिये में तो इस तरह का भेद नहीं होना चाहिए कि यह कांग्रेस का है, यह बीजेपी का है। उनको भी मालूम नहीं था। उनके बात कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए थे, जिनका फोटो थाने में लगा हुआ था, हिस्ट्रीशीटर, अफीम के तस्कर। एक तस्कर और भी जीत कर आया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नाम बताओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रहने दो इसको।

एक माननीय सदस्य : पर्दे में रहने दो।

श्री नन्दलाल मीणा : पर्दे में रहने दो।

अध्यक्ष महोदय, उस लघु सिंचाई परियोजना का दोबारा उदघाटन हो गया परंतु दिसम्बर तक वहां पर काम नहीं चला, पैसा मंजूर नहीं हुआ। एक गांव बजंरगगढ़ ऐसा है, अध्यक्ष महोदय आप भी आश्चर्य करेंगी, ऐसा आपके राजनीतिक जीवन में कभी न सुना होगा न देखा होगा। उस बजरंगगढ़ की लघु सिंचाई परियोजना का उदघाटन माननीय अशोक गहलोत, राजस्थान के

(श्री नन्दलाल मीणा)

मुख्य मंत्री के कर कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ, पत्थर लगा। मुख्य मंत्रीजी आये ही नहीं वहां। एक बार आये थे, जब पवन ऊर्जा का उदघाटन करने के लिए आये थे, जब वापस भाग कर आना पड़ा था। परन्तु इन्होंने चुनाव के पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चाहे वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे हों, उदघाटन के पत्थर जरूर लगा दिये। यह हालत है। अब मैं, माननीय कटारियाजी, आप से निवेदन करना चाहता हूं, आज जनता चाहती है कि मूलभूत आवश्यकताओं का, समस्याओं का समाधान हो। इन्होंने जनता के साथ छलावा किया परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वहां की जनता अपेक्षा करती है कि फिर दोबारा उसके साथ छलावा नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद निवेदन है कि आजकल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का काम चल रहा है। माननीय कटारियाजी ने सुबह प्रश्नकाल के दौरान इसका जबाब भी दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अहम समस्या आपके सामने रखना चाहती हूं। उदयपुर सम्भाग आदिवासी क्षेत्र है और प्रदेश में वन क्षेत्र होने की वजह से वहां पर डामरीकरण नहीं हो सकता। कुछ गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृतियां भी आयी, परन्तु वन विभाग ने काम रूकवा दिया। इसके बारे में कटारियाजी से मेरा निवेदन है कि इसका कैसे रास्ता निकलेगा। यदि रास्ता नहीं निकला तो ग्यारहवीं विधान सभा में 14 में से कांग्रेस 11 विधायक, दो जनता दल के और एक मैं बीजेपी का, इस तरह तीन हम थे और 11 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। यदि हमने उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करायी, वन क्षेत्र की वजह से उपेक्षित हुए तो मैं समझता हूँ परिणाम और उलटे हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : काम के वोट नहीं देते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : हां, आपने ज्यादा काम कर दिया कांग्रेस वालों ने।

श्री नन्दलाल मीणा: अच्छा, ऐसे ही आते हैं। (व्यवधान) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उन आदिवासी क्षेत्रों में भी दूरदराज के जो गांव हैं, नोर्म्स के आधार पर वो उसमें कवर होते हैं, उन गांवों में भी

(श्री नन्दलाल मीणा)

डामरीकरण हो सड़कों का, यह कटारियाजी से मेरा व्यक्तिगत और उस क्षेत्र की समस्या के आधार पर निवदेन है।

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में माही डैम बना, गुजरात में कडाना बना। इधर सोमकमलाअम्बा, सोमकागदर बना, जाखम बना। इनके डूब क्षेत्र में कई आदिवासियों की जमीन चली गयी। माही डूब में जो लोग प्रभावित हुए, विस्थापित हुए वे लगभग दस हजार लोग उदयपुर जिले में या प्रतापगढ़ तहसील, चित्तौड़गढ़ जिले में आकर वन भूमि पर काबिज हो गये। उस क्षेत्र में और भी लोग हैं जो भूमिहीन थे जिन्होंने 1980 के पहले वन भूमि पर कब्जा करके खेती कर रहे थे। पिछली भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने शेखावत साहब के मुख्य मंत्रीत्वकाल में इन लोगों को जमीन का खातेदारी हक देने के लिए, नियमित करने के लिए पूरा सर्वे करवाया था। उस सर्वे के आधार पर उदयपुर जिला, सिरोही जिला, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़ और पाली का बूरिया बूमाड़ा का इलाका, इनके सारे केस भारत सरकार को भेज दिये गये। पिछले पांच सालों की सरकार कितनी संवेदनशील थी, उसका मैं एक नमूना बता रहा हूं। एक भी पत्र भारत सरकार के वन मंत्रालय को नहीं भेजा। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मामला ज्यादा पेचीदा हो गया। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में जैसा कि घोषण पत्र में भी बताया है कि दुबारा सर्वे करवाकर किन-किन आदिवासियों का अतिक्रमण वन भूमि पर है, दुबारा सर्वे करवाकर कार्यवाही की बात है, इस कार्य को तेज गति से करवाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने महाराष्ट्र पैटर्न के बारे में इस सदन में अपने विचार व्यक्त किये थे। जनजाति विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में सभी विभागों के काम उसकी देखरेख में हों, ऐसी व्यवस्था है। तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री केसरीजी ने असम में गुवाहाटी में एक सम्मेलन बुलाया। देश के सभी जनजाति विकास विभाग मंत्रियों का सम्मेलन था, उसमें उन्होंने घोषणा की कि जिन-जिन राज्यों में ट्राइबल सब प्लान इलाके हैं वहां पर, महाराष्ट्र में जो शासन/प्रशासन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू किया जाए। राजस्थान में यह व्यवस्था

(श्री नन्दलाल मीणा)

लागू हुई। मैं स्वयं गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह गया। मन्थन होकर विचार यह आया कि जिस राज्य की जितनी ट्राइबल की आबादी है, उस आबादी के अनुपात में राज्य का वार्षिक बजट का पैसा ट्राइबल सब प्लान के लिए ट्रांसफर किया जाए। अफसोस इस बात का है कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गुलाब सिंहजी शक्तावत की अध्यक्षता में कमेटी बनायी और उस महाराष्ट्र पैटर्न में एक मोडिफाई स्कीम के अन्तर्गत काफी परिवर्तन किया। 12.44 प्रतिशत यहां की आदिवासियों की आबादी है, 12.44 के बजाय इन्होंने 8 प्रतिशत पैसा निर्धारित किया ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न अक्टूबर, 1999 में राजस्थान की सरकार ने लागू किया। 12 प्रतिशत वार्षिक बजट के हिसाब से पैसा आबंटित हो जाना चाहिए था जनजाति विकास विभाग को, परन्तु 1999-2000 में एक भी पैसा आबंटित नही किया, 2000-01 में एक भी पैसा आबंटित नहीं किया। पूर्व वित्त मंत्रीजी, 2001-02 में आपने 30 करोड़ रुपये दिये थे और 2002-03 में आपने 40 करोड़ रुपये दिये। अब राज्य का बजट कितना था? 8 प्रतिशत का हिसाब भी आप देख लो तो यह पैसा बिलकुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यह क्या साबित करता है? अध्यक्ष महोदय, यह साबित करता है कि आदिवासियों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है।

श्री टीकमचंद कान्त : कुछ भी नहीं करती, साहब, सिर्फ वोट लेती है।

श्री जीतमल खांट : ज्यादा ही संवेदनशील थे ये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में अकाल राहत के बारे में आदिवासी सड़कों पर आ गये। भूखे, बिलखते रोजगार की तलाश में जब उनकी कहीं दाल नहीं गली, प्रशासन के पास गये, वहां पर धरना दिया। निहत्थे आदिवासियों पर कांग्रेस हुकूमत ने लाठीचार्ज करके उनको घायल कर दिया, उनको भगा दिया। उनको बेरोजगार किया। यह सोच का ही परिणाम है कि आज उस इलाके से बड़ी मुश्किल से एक आदमी जो मंत्री थे मिस्टर रघुवीर सिंह, वो जीतकर आये हैं, बाकी इतने मंत्री बनाये वे सब हार गये। आप दो तीन जने बैठे हो, पता नहीं आपकी किस्मत तेज थी कि आप इस

(श्री नन्दलाल मीणा)

चपेट में नहीं आये। बड़े-बड़े धुरंधर हमारे गुलाब सिंहजी शक्तावत, परसादी लालजी मीणा और न मालूम कौन-कौन, उप मुख्य मंत्री दो दो, ऐसे उखड़े कि इस आंधी में पता ही नहीं लगा कि वे कहां जाकर अटके।

मोहम्मद माहिर आजाद : उप मुख्य मंत्री हरिशंकरजी भाभड़ा भी थे।

श्री नन्दलाल मीणा : हां, हरिशंकरजी भाभड़ा भी हारे हैं न।

मोहम्मद माहिर आजाद : हरिशंकरजी भाभड़ा उप मुख्य मंत्री थे, ललित किशोर जी चतुर्वेदी भी थे, उनका भी नाम ले लो।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप कांग्रेस की बैशाखी लगाकर जो आप गये हो न, यह भविष्य में नहीं चलेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : 153 में से कितने आये हो आप?

श्री कालूलाल गुर्जर : माहिर साहब, आपकी स्वामी भक्ति कांग्रेस से बहुत हो गयी। ललितजी कभी नहीं थे। आपकी भक्ति तारीफे काबिल है। (व्यवधान) 153 में से कितने पुराने आये हो आप लोग? माहिर साहब, आप तो जाति बदलकर आये हो। आपने तो कांग्रेस सरकार की बहुत आलोचना की थी, आज उधर बैठ गये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र पैटर्न की बात कर रहा था। आबंटन नही किया, अन्याय किया। आदिवासी क्षेत्र में श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के शासन में जो छात्रावास लड़कों और लडकियों के लिए खोले थे, उनका पैसा दूसरी जगह लगा दिया। पांच-पांच वर्ष हो गये। जहां भैरोंसिंहजी शेखावत के राज में एक ईंट लगी थी, इनके पांच वर्ष के शासन में उसके आगे एक ईंट भी नहीं लगी।

अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का मामला था, ट्राइबल सब प्लान एरिया में एक से छः स्केल तक के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया। पिछले पांच वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई और जहां कुछ हुई भी पुलिस विभाग में, उनको यह कहकर अनिफट कर के भेज दिया कि आप फिजिकली फिट नही हैं। फिर आरक्षण का मतलब क्या है?

(श्री नन्दलाल मीणा)

इसी प्रकार से अन्य सर्विसेज में इन्होंने नौजवानों के साथ छलावा किया है। हम सभी जानते हैं कि 60 वर्ष से 58 वर्ष की आयु करके नौजवानों को आश्वासन दिया था कि हम आपको नौकरियां देंगे। पिछले पांच वर्षों में किसी को भी नौकरी नहीं दी। सुबह आज सवालों के जवाब आये कि इतने पद आज भी खाली हैं। जो सृजित पद थे उनको समाप्त कर दिया, यह स्थिति यहां पर थी। अब, कटारिया साहब, मेरा निवेदन है कि आप नयी नियुक्तियां कर रहे हैं, सबसे पहली हम सबकी मांग होगी कि आदिवासी क्षेत्र के लिए और आदिवासियों के लिए...

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : आप कटारिया साहब के पीछे क्यों पड़ रहे हो?

श्री नन्दलाल मीणा : वे दूसरे नम्बर के हैं इसलिए। आपके दूसरे नम्बर के दो-दो, तीन-तीन थे, पता नहीं था। हम तो एकेश्वरवादी हैं।

एक माननीय सदस्य : हम तो दो नम्बर का एक भी नहीं रखते हैं। ये तो धंधा दो नम्बर का करते हैं। (व्यवधान)। आप तो सब दो नम्बर के ही हैं। आप धन्धा दो नम्बर का करते हैं। दो नम्बर के सभी को निपटा दिया अबकी बार। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो नयी भर्तियां हो रही हैं, राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखे कि आदिवासी क्षेत्र में एस.टी.सी., बी.ए., बी.एड., एम.ए.एम.एड. कई प्रकार के लड़के-लड़कियां आज भी घरों पर बेरोजगार के रूप में बैठे हैं। समाज में और जनता में उसका यह मैसेज जा रहा है कि हम पढ़ा-लिखाकर क्या करेंगे। यह एम.ए. बी.एड. बैठा हुआ है, यह फलां बैठा हुआ है, नौकरी मिलती नहीं इसके बजाय तो गायें, भैंसें, बकरियां चराता तो ज्यादा अच्छा था, घर पर मजदूरी करके कुछ कमाकर तो ला सकता था। यह शिक्षा के प्रति उदासीनता पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने की वजह से इस इलाके में पनप रही है, उसको नष्ट करने की आवश्यकता है। उस अविश्वास को खतम करने की आवश्यकता है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहते हुए अब इतना ही निवेदन

(श्री नन्दलाल मीणा)

करना चाहता हूं कि जो जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस आशा से राजस्थान की जनता को आश्वस्त किया और उसके अनुरूप राजस्थान की जनता ने विश्वास प्रकट किया है, मैं तो यही कामना करता हूं कि राजस्थान की पौने छह करोड़ की जनता जिन मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, पांच साल के अन्दर-अन्दर उन समस्याओं का समाधान हो ताकि एक नई आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता में उतरे। मैंने जो प्रस्ताव रखा है, मैं माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा रखे गये राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का आप उसका समर्थन करें। धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय को कि उन्होंने इस सर्वोच्च सदन में पधारकर इस अभिभाशण के माध्यम से अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर आपको भी बधाई देना चाहता हूं, लम्बे राजनीतिक अनुभव और गौरवशाली राजनीतिक जीवन के कारण आप राजस्थान में पहली महिला के रूप में इस उच्चस्थ आसन पर आसीन हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सदन के नेता को बधाई देना चाहूंगा। सदन के नेता को इसलिए बधाई देना नहीं चाहूंगा कि वह सदन की नेता हैं, बल्कि इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान के निर्माण के पश्चात् वह पहली राजनेता हैं जिन्होंने एक दिन, दो दिन नहीं, लगातार 93 दिन विपरीत मौसम के अन्दर इस राजस्थान की धरती को नाप कर बाईस हजार किलोमीटर लम्बी परिवर्तन यात्रा की। परिवर्तन यात्रा का नतीजा सामने है, परिवर्तन यात्रा की नायिका वसुन्धराजी ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया और सत्ता में परिवर्तन करने के पश्चात् व्यवस्थाओं के परिवर्तन का आगाज भी उन्होंने कर दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा 100 दिन की कार्यकारी योजना को, 100 दिन की कार्यकारी योजना के माध्यम से राजस्थान के आम-अवाम को व्यवस्था परिवर्तन दृष्टिगोचर हो, इस पूरे कार्य को मूर्त रूप देने का काम प्रारम्भ हो गया। सबसे पहले राजस्थान की नव निर्वाचित मुख्य मंत्री ने राजस्थान के छह करोड़ लोगों को नव वर्ष पर तोहफा दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के अन्दर वर्षों-वर्ष पधारे हैं, आपने इस सदन के अन्दर पंचवर्षीय योजना को बनते देखा है, वार्षिक योजना को भी बनते देखा है, परन्तु यह पहली घटना है कि वार्षिक योजना समाप्ति की ओर है और वार्षिक योजना की समाप्ति के तीन महीने पहले वार्षिक योजना में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके, 1246 करोड़ की ऐतिहासिक, बढ़ोतरी करके सरकार ने अपनी मंशा जता दी। सरकार की मंशा है कि ये 1246 करोड़ रुपये अतिरिक्त आएं और इनसे राजस्थान के गांवों तक, राजस्थान के शहरों तक सारी आधारभूत सुविधाएं पहुंचें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस समय याद आता है वह समय जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसकी सदारत तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत कर रहे थे, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी कि राजस्थान जो बीमारू प्रदेश का कलंक माथे पर लगाये हुए है, वह बीमारू प्रदेश की परिधि से बाहर आए। उस समय राजस्थान के अन्दर गरीब को गणेश मानकर जो विकास के नये आयाम स्थापित करने की मुहिम छेड़ी थी, आज गांवों में लोग चर्चा करते हैं कि वह मुहिम जो बीच में कुंद पड़ गयी थी, वसुन्धराजी के नेतृत्व में और तेज होगी।

मैं इस मौके पर, अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को भी बधाई देना चाहूंगा। सदन में तो नहीं पर बड़े जोड़-तोड़ के बाद उन्होंने इस पद को हासिल किया। हालांकि मुझे तकलीफ जरूर है, क्योंकि सी. पी. जोशीजी मेरे मित्र हैं, पर मैं यह कामना जरूर करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता 15-20 साल तक इसी पद पर आसीन रहें। अध्यक्ष महोदय, आप साक्षी रहे हैं, इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर तत्कालीन मुख्य मंत्री जिनको अभी प्रस्ताव को मूव करने वाले विद्वान सदस्य अशोक महान कह रहे थे, उन्होंने विपक्ष को निकम्मा कहा था। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता जनार्दन ने फैसला कर दिया,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस विपक्ष को वह निकम्मा कहते थे उसको तो जनता ने आशीर्वाद देकर शासन सौंप दिया। अब मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अब विपक्ष आपके हाथ में है, आप बखूबी इस विपक्ष की भूमिका निभाते रहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह पचास पृष्ठ का अभिभाषण जो इस नई सरकार का पहला अभिभाषण है, मैंने इस अभिभाषण को पूरा पढ़ा है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में सरकार की आगामी रीति दिखती है, नीति दिखती है, दर्शन दिखता है और यह शानदार प्रारूप है सरकार के आगामी कार्यक्रम का। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का संसदीय कार्य प्रणाली में महत्व है। संसदीय कार्य प्रणाली में यह माना जाता है कि एक तरह से जनता का सरकार के साथ कमिटमेंट है। एक-एक शब्द जो महामहिम के मुख से निकलता है उसके पीछे सरकार की प्रतिबद्धता खड़ी रहती है। मुझे कल ही प्रतिपक्ष के नेता का साक्षात्कार पढ़ने को मिला, बड़ी वेदना प्रकट की इन्होंने कि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर एक पार्टी विशेष की बुराई की गयी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसी पवित्र सदन के अन्दर 15 जनवरी, 1999 को तत्कालीन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की तरफ दिलाना चाहता हूं, यह मैं लेकर आया हूं आपके पास अगर ज्ञान नहीं हो तो मेरे से ले लेना। 15 जनवरी, 1999 को तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने इस सदन के अन्दर अभिभाषण दिया। सी.पी. जोशी साहब जरा मुलाहिजा फहर्माएं, पृष्ठ तीन और उसमें पैरा आठ था, आज आप वेदना प्रकट कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार पर इस अभिभाषण के माध्यम से कटाक्ष किया गया। मैं उद्धृत करना चाहता हूं वे शब्द जो आपने इस पवित्र सदन में तत्कालीन राज्यपाल महोदय से कहलवाये। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहलवाया, पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार का शासन कुशासन था, उस शासन में कानून व्यवस्था चौपट हो गयी, बहन-बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। उस समय बहुमत के मद में चूर थे, 153 का बहुमत जो आ गया था। 153 का बहुमत आए और पूर्ववर्ती सरकार का शासन-कुशासन, और आज 120 के बहुमत से हम बैठे हैं, मैं क्या संज्ञा दूं आपके शासन को? मैं उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, पर मैं पूर्ववर्ती सरकार के दस्तावेज में दर्ज उन आंकड़ों को सदन में जरूर प्रस्तुत करना चाहता हूं जो आंकड़े मेरे नहीं पूर्ववर्ती सरकार के सरकारी दस्तावेज में दर्ज हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्ष 2003, डाक्टर जोशीजी, सरकार आपके हाथ में थी, इस राजस्थान के अन्दर एक वर्ष में 1276 हत्याएं हुईं, यानी लगभग प्रति दिन चार हत्या। इस राजस्थान के अन्दर उस वर्ष बलात्कार हुए 1051 यानी लगभग तीन रोज। अपहरण हुए 2587 यानि लगभग सात रोज। नकबजनी हुई 6661 यानी 25 रोज, 1,51,248 मामले भारतीय दण्ड संहिता के दर्ज हुए। आपका शासन बड़ा अच्छा शासन था, हमारा शासन कुशासन था।

(16.00 बजे)

मैं, प्रतिपक्ष के नेता, आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी सदन में आप बैठे थे, गंगापुर के अन्दर चर्चा चली थी, रामधुनी कर रहे थे, रामधुनी करने वाले भक्तों को गोली से भूनने का काम आपकी सरकार ने किया।

क्या आपके पास उत्तर है इस बात का? आप कह रहे हैं आपका शासन बड़ा अच्छा शासन था। मुख्य मंत्री निवास से दो सौ मीटर की दूरी पर बृजकिशोर हेड़ा की हत्या हो और हत्यारे फरार हो जाएं, कानून की परिधि से बाहर चले जाएं, इनका शासन कुशासन है। देवली के अन्दर एक सैनिक आया सेना की नौकरी पूरी करके अपने घर को सम्भालने के लिये। इनके शासन में उसने गलती कर दी। थाने के अन्दर एक टूटी लगी हुई थी, पानी पी लिया। थानेदार, सिपाहियों ने पीट-पीट कर उस सैनिक को मार दिया। अजमेर के अन्दर छात्र संघ के अध्यक्ष धर्मेन्द्र मेघवंशी की हत्या इसलिये पुलिस के थाने में हो गयी कि उसने छात्रों की मांगों को लेकर जुलूस निकाला।

आपका एक ही जुमला रहा, भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके शासनकाल के अन्दर इस राजस्थान में 66 जगहों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। आपके शासनकाल में आम व्यक्ति ही नहीं, और तो और भगवान सुरक्षित नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के अन्दर कांग्रेस के शासन में वर्ष 2001 में 109 मन्दिरों में मूर्तियां चोरी हुईं। 2002 में, जोशी साहब, 71 जगहों पर मूर्तियां चोरी हुई हैं। आप कह रहे हैं, आपका शासन बड़ा अच्छा शासन था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक बात कहकर आपने सोनियाजी को खुश करने का काम जरुर किया। भगवान शंकर के प्रतीकात्मक त्रिशूल पर पाबन्दी लगाकर बड़ी वाहवाही लूटी। प्रवीण भाई तोगड़िया जैसे राष्ट्र भक्त को जेल के सींखचों में देशद्रोही की धारा डालकर गिरफ्तार करने का आपने बड़ा क्रान्तिकारी काम किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसी सदन में 1999 में राज्यपाल महोदय के मुख से पृष्ठ 7 बिंदु 20 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अपने आपको किसान का हिमायती कह रहे हैं। आज किसानों की पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि आपने उस वक्त महामहिम राज्यपाल के मुख से कहलवाया था कि आप राज्य में नयी कृषि नीति लागू करेंगे? पांच वर्ष बीत गये, आपकी वह कृषि नीति कहां खो गयी? मेरी समझ से बाहर की बात है।

और तो और, इसी अभिभाषण के पृष्ठ 8 बिंदु 21 में इन्होंने घोषणा की थी, उस वक्त हम प्रतिपक्ष में थे, बड़े जोर से तालियां बज रही थीं, मेजें थपथपायी जा रहीं थीं और इन्होंने घोषणा की थी कि सांगानेर के अन्दर एशिया का सबसे बड़ा सब्जी टर्मिनल होगा। मैं समझता हूं, सांगानेर से आने वाले हमारे शिक्षा मंत्रीजी, ढूंढ रहे हैं वह सब्जी टर्मिनल कहां है, एशिया का सबसे बड़ा सब्जी टर्मिनल।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने घोषणा की, आपने घोषणाओं का पुलिन्दा बांधा और आपने राजस्थान के आम अवाम को सपना बेचने का काम किया। हम राजस्थान के आम अवाम का यथार्थ से परिचय कराएंगे। यह जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है 50 पृष्ठों के अन्दर, इसमें राजस्थान की तकदीर लिखी हुई है। आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है इन्होंने इसी सदन के अन्दर बजट में भी कई बार कहा, और 1999 में अभिभाषण के पृष्ठ बिंदु 10 पर कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को 58 से 60 वर्ष करके युवाओं को निराश कर दिया। आपने सेवानिवृत्ति की आयु को तो दो वर्ष कम कर दिया और राजस्थान के नक्शे पर 1150 करोड़ का भार लाद दिया। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं, आपने नौकरी कितने नौजवानों को दी? मेरा आरोप है सरकार पर, मेरा आरोप है पूर्ववर्ती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार पर, एक नहीं, दो नहीं, 80,000 वे पद जो सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए थे, राजस्थान का नौजवान टकटकी लगाये देख रहा था कि इस पद पर मैं पहुंचूंगा, उन पदों को समाप्त करने का काम आपने किया।

सी. पी. जोशीजी, आपको याद होगा, एक प्रसंग आया था उस वक्त। मैंने इस सदन में कागज भी पेश किये थे और मैंने कहा था आप नयी नौकरी दे नहीं सकते।

आपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम के नाम पर 1999 के अन्दर जिस एम.ओ.यू. पर दस्तखत किये और आप भारत सरकार को लिखकर देकर आये थे कि जितनी भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, हम इसको 30 प्रतिशत कम करेंगे। आप लिखकर आये और आपने कहा हम पदों को कम करेंगे, फिर आप ढोंग रच रहे थे कि हम नौकरी देंगे। मैं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 23 मार्च, 2000 के दिन आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में एक बात कहलवायी थी मुख्य मंत्री रोजगार योजना, 500 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना, और आपने कहा था, एक लाख नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देंगे। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, अब तो आपका मुंह बंद हो गया ...

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो प्रधान मंत्री की थी ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस वक्त आपने कहा है ...

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रधान मंत्री के लिये कहा ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मेरे पास है। मैं जिन बिंदु पर ...

मोहम्मद माहिर आजाद : कौन से पेज पर है? बताइये, कौनसे पेज पर कहा?

यह नहीं कहा। यह तो प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि एक लाख को प्रत्येक वर्ष देंगे। यह नहीं कहा। यह बताइये, कौनसे पेज पर है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 23 मार्च, 2000 राज्यपाल महोदय का अभिभाषण...

श्री कालूलाल गुर्जर : कांग्रेस में नहीं थे। उस समय आप कांग्रेस में नहीं थे। आपको मालूम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पृष्ठ संख्या 22 बिंदु संख्या 59...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह बहुजन में थे उस वक्त। यह बहुजन समाज पार्टी में थे और इनको मालूम नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह बहुजन समाज पार्टी में थे।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह उस समय बहुजन में थे। आपको मालूम नहीं है। आप कांग्रेस में नहीं थे। आपकी स्वामी भक्ति खूब दिख रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं सदन में थे, आप सदन में नहीं थे। सदन अन्दर से देखा जाता है, सदन में तो था मैं।

श्री अमराराम (पचपदरा) : और कुछ बदले हुए थे।

श्री कालूलाल गुर्जर : याद नहीं आपको। याद नहीं रख सकते आप...

श्री अध्यक्ष : उनके भाषण की ही तो कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके आशीर्वाद से मैं लगातार इस सदन में चौथी बार आ रहा हूं। मैं जो बात सदन में कहूंगा, प्रमाण के साथ कहूंगा। मैं टेबल करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय का वह अभिभाषण, उसका पृष्ठ नम्बर 22 मैंने आगे उसमें लगा भी रखा है जिसमें आपने यह घोषणा करवायी थी कि मुख्य मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से राजस्थान के नौजवानों को आप रोजगार देंगे। मेरा आरोप है, आपने राजस्थान के नौजवानों की बेरोजगारी को कोरपस किया। आपने नौजवानों के ऊपर एक तरह से अत्याचार किया...

श्री प्रधुम्न सिंह : एक लाख की सीमा को आप रोजगार पर आ गये। शुरू में आपने कहा कि एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात राज्यपाल महोदय से आपने कहलवायी। जब आपको चैलेंज किया तो आप रोजगार के ऊपर आ गये, मुझ सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से...

श्री अध्यक्ष : पूर्व में जो कहा वह अलग बात है। जब सदन में वह कह रहे हैं, आपको भाषण का पृष्ठ बता रहे हैं तो उस बात पर तो यकीन करना पड़ेगा।

श्री प्रधुम्न सिंह : पूछ तो रहे हैं, पढ़कर सुना दें न। साहब, पढ़कर सुना दें, कहां दिक्कत आ रही है?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : प्रूफ है, साथ में प्रूफ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, पृष्ठ 22...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष जी, आपने बता दिया, पढ़ आप लेना।

श्री प्रधुम्न सिंह : पढ़कर सुना दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने बता दिया, पढ़ लेना आप। पढ़ना आता है न आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पृष्ठ संख्या 22-एक लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की है जिसको मूर्त रूप दिया जाएगा। यह आप उधर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक हजार तो कहां, एक लाख कहा है यह तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं कहा था, अवसर प्रदान किये जाएंगे।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नोट करवा दो इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक काम जरूर किया, इनको पैरा से बड़ा प्रेम था। राजस्थान के ग्रामीणजन में जो हमारे नौनिहाल हैं, राजीव गांधी के नाम से पाठशाला खोलकर उनका भविष्य आठवीं पास उस अध्यापक को दे दिया जो आज किसी तरह पढ़ाने में सक्षम नहीं है। पैराटीचर, पैराडाक्टर, पैराइंजीनियर, मैं तो कहता हूं सरकार भी पैरा थी, क्योंकि इस सरकार को रोज दिल्ली से जाकर आज्ञा लेनी पड़ती थी। आपने किया क्या? आपने ग्राम सेवक लगाया 1200 रुपये में, आपने व्यवस्थापक लगाया 1200 रुपये में, आपने अध्यापक लगाया 1200 रुपये में। यह तो लग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा है सरकार वह है कि जिस तरह कहते हैं न हर माल मिलेगा, 1200 में अध्यापक ले लो 1200 में, व्यवस्थापक ले लो 1200 में, ग्राम सेवक ले लो 1200 में और आप बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उस अभिभाषण की।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने सौ दिन की कार्यकारी योजना बनायी। पूर्व वित्त मंत्रीजी, सौ दिन की कार्यकारी योजना में 31,000, आप लिख लें, 31000 बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषण सरकार ने की है। इसमें 16,000 नौकरियां योजना मद में और 15000 नौकरियां होंगी गैर योजना मद में। यह है सरकार। इसको कहते हैं सरकार। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह पहली सरकार है...

श्री श्रवण कुमार : राजेन्द्रजी, इम्प्लीमेंट करवाना। आश्वासन देती हैं सरकारें, इम्प्लीमेंट करवाना। इम्प्लीमेंट करवा दें मैं मान जाऊंगा, सरकार है।

श्री अध्यक्ष : आपसे सम्बन्ध नहीं है, आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं।

श्री श्रवण कुमार : इम्प्लीमेंट करवाना ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान निर्माण के बाद पहली लोकतांत्रिक सरकार है जिसने उस बेरोजगार के दर्द को समझा है। जो पढ़ाई तो कर लेता है परन्तु रोजगार की तलाश में शहर से गांव और गांव से शहर के अन्दर घूमते-घूमते जिसकी जवानी चली जाती है। सौ करोड़ रुपये का कोरपस बनाया है। बेरोजगारी नौजवानों को रोजगार गारंटी भत्ता देने वाली यह सरकार...

श्री हेमाराम चौधरी : पहले सरकार यूं ही थी क्या? भैरोंसिंहजी की सरकार यूं ही थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पहली सरकार है जिसने अपने घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने की बात की है। यही नहीं, यह हमारे घोषणा पत्र में है। हम उन लोगों में से नहीं हैं, डाक्टर साहब...

डा. सी. पी. जोशी : गवर्नर स्पीच में बोल रहे हैं, इसमें मेंशन ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप तो साक्षी रही हैं यहां पर कांग्रेस पाटी के घोषणा पत्र की। उस घोषणा-पत्र को कभी बाइबल कहा गया, कभी रामायण कहा गया। किस-किसकी उपमा नहीं दी गयी। जब भी हम खड़े हुए, हमेशा एक ही बात जोशी साहब और इनके नेता कहते रहे कि हमने घोषणा पत्र को चीफ सैक्रेटरी के पास भेज दिया। घोषणा पत्र चीफ सैकेटरी के दफ्तर में पहुंच गया तो न जाने आपने कौनसा तीर मार लिया। यह पहली सरकार है जिसने राजस्थान के बेरोजगारों के आंसुओं को पोंछने का काम किया है और इसके साथ-साथ 26 हजार साथियों को 500 रुपये माहवार में बाल विकास परियोजना के तहत नियुक्त करने की बात कही।

जोशीजी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके घोषण पत्र में आपने यह कहा था कि आपकी सरकार आएगी तो राजस्थान के कर्मचारियों को मान और सम्मान भी आप देंगे और उनकी न्यायसंगत मांगों को पूरा करेंगे। 6 लाख कर्मचारी हैं, सरकार सत्ता में आयी और 6 लाख कर्मचारी इनको नाकारा, बदमिजाज और कामचोर दिखने लग गये। कर्मचारियों ने अपनी न्यायसंगत मांगों को लेकर हड़ताल की 68 दिन की हड़ताल, कर्मचारियों को जेल के सींखचों के पीछे डाल दिया। आपने उनके टी.ए. पर कैंची चलायी, डी.ए.पर कैंची चलायी, ग्रेच्युटी और बोनस पर कैंची चलायी। आपने कर्मचारी पर लाठी चलायी। उसी कर्मचारी ने वोट की चोट से आपको ऐसा सबक सिखाया है कि आप मुंह उतार कर इधर बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वह कर्मचारी...

डा. सी. पी. जोशी : खुद इन्होंने मान लिया कि उन्होंने जिताया, धन्यवाद। यह भी मान लिया कि आपको कर्मचारियों ने जिताया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां इनके साथ बैठे इनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों ने तो यहां तक कह दिया कि कर्मचारियों से चुनाव मत करवा लेना। यह सरकार है वह सरकार जो कर्मचारियों को अभिन्न अंग मानती है। हमारी सरकार ने आते ही जिन मुकदमों से इन्होंने कर्मचारियों को लादा था, न केवल उन मुकदमों को वापस लिया बल्कि उनकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायसंगत मांगों को मानने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी। यानि विश्वास देना और विश्वास लेना प्रारम्भ हो गया, जोशी साहब और इसीलिए आज कर्मचारी जगह-जगह विजयोत्सव मना रहे हैं। यही नहीं, हमने सरकार में आते ही अराजपत्रित कर्मचारियों को अनाज, त्यौहार व बच्चों की शिक्षा सहित बैंकों से एडवांस दिलाने का निर्णय ले लिया, क्रांतिकारी निर्णय और इसी अप्रैल माह से जो दीपावली पर बोनस मिलता है, केन्द्र सरकार के समान ही बोनस देने की बात कही।

अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप साक्षी रही हैं, इसी सदन के अन्दर महामहिम राज्यपाल महोदय से, और आप कहें तो वह भी बताऊं कि कब-कब आपने कहलवाया, आप कोट कर लें, अभिभाषण 1999 बिन्दू संख्या 27, जिसमें आपने कहा कि जयपुर में पानी की बड़ी किल्लत है, 1100 करोड़ की योजना बनाओगे, बीसलपुर से जयपुर में पानी आएगा। पांच साल बीत गये, बन गई आपकी योजना। सी. पी. जोशी साहब? आपने इसी सदन में यह कहा, मानसी वाकल योजना से हम उदयपुर को जलमग्न कर देंगे, गधेली साहवा योजना से रेगिस्तानी चूरू, हनुमानगढ़ की प्यास बुझा देंगे। आपने जालौर-बाड़मेर को नर्मदा वृहत परियोजना से जोड़ने की बात कितनी बार कही? आपने कितनी बार यह कहा कि हम 6 हजार बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराएंगे? मैं समझता हूं कि अब आपकी सरकार चली गयी, राजस्थान की जनता ने देखा कि आपने जो कहा, आपने उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की, इसलिए आपकी हालत यह बना दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनका एकमात्र उद्देश्य था कि इस पवित्र सदन में राज्यपाल महोदय के मुख से कुछ कहलवा दो, बजट में कुछ घोषणा कर दो। बजट की घोषणा और राज्यपाल महोदय के मुख से कही गयी बात मूर्त रूप ले या नहीं ले, इन्होंने तो सिर्फ मेज थपथपाना जाना। काम इन्होंने किस तरह से किये हैं, उसके बारे में मैं इसलिए नहीं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपने तो झंझावत भी देखी है, बसंत भी देखा है, इस राजनीति के अन्दर जनता जनार्दन फैसला करती है, परीक्षक वह जनता जनार्दन है, उन्होंने परीक्षा के अन्दर इनको डबल जीरो नम्बर देकर भिजवा दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों में बसे एक लाख साठ हजार लोग जो 15 अगस्त 1998 के सर्वे के अनुसार कच्ची बस्तियों में रह थे, इन्होंने कितनी बार नहीं कहलवाया इसी सदन के अन्दर कि हम इनको नियमित करेंगे? मात्र 22 हजार लोगों के परिवार के अलावा आपने नियमन का काम नहीं किया। नियमन की आड़ में जिस तरह के काम उस सरकार में हुए, मैं उसकी चर्चा आगे चलकर करूंगा, परन्तु यह जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि आपके शासन में गरीब का आशियाना जरूर टूटा। आपने ऑपरेशन पिंक चलाया, गरीब के झोपड़े पर आपने बुलडोजर चलाया। शांति मीणा जैसी महिला जलकर मर गयी, एक माली नौजवान सोडाला के अन्दर फांसी के फंदे पर झूल गया और आप कहते रहे कि हम जयपुर के अन्दर हैरिटेज सिटी बनाएंगे। जोशीजी, अब जयपुर हाइटेक शहर बनेगा, जो घोषणा हमारी सरकार ने कर दी वह इच्छा शक्ति के साथ कर दी, वह घोषणा पूरी होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक दो कल्ला साहब को भी कहें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझाएं कि यह किसी को संबोधित नहीं करें, आपको सम्बोधित करें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता सही कह रहे हैं, आप नाम से किसी को सम्बोधित नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब मैं आसन को सम्बोधित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप तो आसन को कहे।।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिसका चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां उद्दत किया, पेज 22 का, इन्होंने सदन को गुमराह किया है। इसमें कहीं रोजगार नहीं है, स्वरोजगार दिया गया है कि कियोस्क देंगे, उनको स्वरोजगार प्रदान करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप देख लें, इसको पढ़ लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने पढ़ लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन में रख दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम भी ले लिया, इसको पटल पर रख... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको टेबल पर रख दें न तो...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य, आपका समय आए तब बोल लेना, अभी विराजें।

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डाले, उनको बोलने दें। आपको मौका मिलेगा तब कह दें बात, कुछ गलत कहा है तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस पवित्र सदन के अन्दर एक अच्छासा नाटक राजस्थान की जनता को देखने को मिला ढाई घण्टे तक लगातार, किसान को बिजली दो, किसान को बिजली दो। यहां आकर प्रतिपक्ष के नेता आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जो उस आसन को सुशोभित कर रहा है जहां भी भैरोंसिहजी शेखावत और गुलाबजी कटारिया बैठा करते थे, मैं समझता हूं कि आज जितनी बार आप इस आसन से खड़े हुए हो और जितनी बार आसन में आपको प्रताड़ित किया है, इस राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आसन ने उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। टोका जरूर होगा, प्रताड़ित नहीं किया है...(व्यवधान) प्रताड़ित नहीं किया है, टोका होगा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपको भी नहीं बख्श रहे... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज यूं लग रहा था जिस तरह कि राजस्थान के किसान की चिंता मात्र प्रतिपक्ष के सदस्यों को है।

श्री कालूलाल गुर्जर : कांग्रेस को है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिजली की मांग कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने इस मांग पत्र में जो 1998 में जारी किया, राजस्थान के आम अवाम को यह कहा था कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपका अगर शासन आ गया, आप 37 पैसे प्रति यूनिट की बिजली देंगे। आप 8 घंटे लगातार बिजली देंगे। 5 हार्स पावर तक जो कनेक्शन लेगा उसको खम्भे भी मुफ्त देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राजस्थान के निर्माण के बाद विद्युत की दरों में रिकार्ड बढ़ोतरी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने की। मैं समझता हूं कि आज अपराध बोध से ग्रसित वे लोग अपनी कुंठाओं को यहां जाहिर कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 116 प्रतिशत कृषि विद्युत की दरों में बढ़ोतरी करने का काम इन्होंने किया, 71 प्रतिशत घरेलू बिजली के दाम इन्होंने बढ़ाये, 1400 करोड़ रुपये उपभोक्ता की जेब से झटकने के पश्चात् यह सरकार जिसे विद्युत सुधार कार्यक्रम की बात कहती है, मैं तो उसको विद्युत बिगाड़ कार्यक्रम कहूंगा। उस विद्युत बिगाड कार्यक्रम में विद्युत कम्पनियों का घाटा आज 1200 करोड़ को पार कर रहा है। और यही नहीं, मैं जिम्मेदारी से निवेदन कर रहा हूं कि यह तो जनता ने फैसला कर लिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, अगर शासन इनके हाथ में आ जाता तो 21 मार्च, 2000 को इन्होंने जिस एफ.आर.पी.पर दस्तखत किये, जिस फाइनेंशल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम पर दस्तखत करके ये आये हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के लिए आपने लिखित में करार किया। मैं सदन के अन्दर उस वक्त वह कागज दिखा भी चुका हूं। आपने कहा है कि आप दिसम्बर, 2003 के पश्चात् विद्युत की दरों में लगातार बढ़ोतरी करेंगे। कृषि दरों में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी एक साल के अन्दर करने का लिखित करार आप करके आये थे। अगर आपकी बात रहती तो राजस्थान का किसान जो पहले हमारे शासन मे 54 पैसे प्रति यूनिट बिजली लेता था और जिससे आपने 94 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम वसूले, उससे आपने 2 रुपये 70 पैसे की कीमत से वसूलने की तैयारी कर ली थी। यह तो राजस्थान की जनता आपकी बात को समझ गयी, आपकी 2 रुपये 70 पैसे वसूलने की मंशा अब पूरी नहीं होगी। परंतु इसी सदन के अन्दर आज ये किसान की हिमायती बातें कर रहे हैं। नकली ट्रांसफार्मर और नकली केबल का मामला आया, इसी सदन में तत्कालीन उर्जा मंत्रीजी ने यह कहा कि मैं उस फर्म को तत्काल ब्लैक लिस्ट कर रहा हूं। चार अधिकारियों को निलम्बित करने का काम किया। सदन का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सत्रावसान हुआ और उसके तीसरे दिन आदेश निकल गये, उसी फर्म कोट्रांसफार्मर का आर्डर और केबल का आर्डर और सारे के सारे अधिकारी और कर्मचारी, उनको आपने बहाल कर दिया। अब इसके पीछे क्या आपकी मंशा रही, इसका अंदाजा सदन अपने आप लगाएगा।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए जनता ने उन्हें निलम्बित कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, अभी आप थोथी वाहवाही लूटने के लिए नौटंकी कर रहे थे, परन्तु राजस्थान का आम अवाम इस बात को जानता है। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना बनाई, योजना बनाते ही सबसे पहला काम एक ही किया कि रबी की फसल में किसान को आठ घण्टे बिजली मिले। विद्युत कम्पनियों को 180 करोड रुपये दिये। और तो और 20 हजार कृषि कनेक्शन, माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी, 100 दिन में जारी होंगे। आज कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार का कमिटमेंट है, खराब ट्रांसफार्मर 72 घण्टे में बदला जाएगा। 400 गांव और 75 हरिजन बस्तियों के अन्दर विद्युतीकरण का काम होगा। और तो और कुटीर ज्योति में जो आप 10 हजार 15 हजार कनेक्शन दिया करते थे, साल का अन्त है परंतु फिर भी मार्च तक कुटीर ज्योति में 45 हजार कनेक्शन देने की बात कही। घरेलू कनेक्शनों की वर्तमान दर जो 45 प्रतिशत है, उसको 75 प्रतिशत करने की बात कही।

श्री अध्यक्ष : 45 लाख नहीं, 45 हजार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 45 हजार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान न डालें।

श्री श्रवण कुमार : एक बार। प्लीज, राजेन्द्रजी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कहीं। राजस्थान की जनता पर बिजली के मामले में कुठाराघात हुआ, मैं मानता हूं। कुठाराघात मानते हो न आप?

श्री अध्यक्ष : तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो?

श्री श्रवण कुमार : दिल्ली में तेल का भाव बढ़ाकर, गैस का भाव बढ़ाकर किसानों के साथ कुठाराघात किया, यह सब बदल जाएगा न?

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजिए, कहने दीजिए उनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन जानता है कि मैं सीधा सादा आदमी हूं, मुझे क्यों टोकाटाकी करते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कांग्रेस पार्टी के उन वक्तव्यों की ओर दिलाना चाहता हूं जो चुनाव घोषणा पत्र से लेकर कई बार इन्होंने कहे। इन्होंने कहा कि हमारा राज आएगा, किसानों की फसल का बीमा तो कर ही देंगे। हम कृषि को उद्योग का दर्जा भी देंगे। प्राकृतिक आपदा से अगर फसल नष्ट हो जाए तो हम उसका मुआवजा देंगे और मवेशियों के लिए चारा बैंक स्थापित करेंगे। पांच वर्ष व्यतीत हो गये, हमने तत्कालीन प्रतिपक्ष के माननीय नेता के नेतृत्व में धरना दिया। यहां हमने इनको एक ही बात कही कि फसल बीमा योजना लागू करो, क्योंकि न जाने कौनसे मुहूर्त से आप आते हो, आपके पदार्पण के साथ अकाल आता है और आपके जाने के साथ अकाल जाता है। अब आपकी विदाई हो गई और अब के अकाल चला गया।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों की 25 हजार करोड़ रुपये की फसल स्वाहा हो गई। हमने मांग की कि फसल की बीमा योजना लागू करो, परन्तु इन्होंने तो एक ही बात कही कि बीमा की प्रीमियम का पैसा 20 प्रतिशत तो हम देंगे और 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार दें। 21 राज्यों में लागू है। प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप 19 कह रहे थे, उसके अतिरिक्त 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में और लागू हो गई, 21 राज्यों में यह योजना 50-50 के अंशदान से लागू है। परन्तु इनको तो सिर्फ प्रेम पत्र लिखकर तत्कालीन भारत सरकार पर उंगली उठाने की कोशिश करनी थी, इसलिए इन्होंने उस योजना को लागू नहीं किया। यह सरकार आई है और सरकार ने आते ही आदेश जारी किये हैं और रबी की फसल से फसल बीमायोजना कार्य रूप ले रही है राजस्थान के अन्दर। राजस्थान के गांव में बैठा हुआ किसान किन शब्दों में धन्यवाद दे रहा है, आप अगर इस बार दौरे पर पधारें तो स्वयं देखें। आप जाकर ठेठ गांव में जब बात करेंगे तो वह अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है, वह कहता है कि मेरी फसल का बीमा हो गया। इसके अलावा एक लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात और 15 हजार हैक्टेयर के अन्दर सिंचाई क्षमता बढ़ाने की बात इस सरकार ने अपने इस अभिभाषण के माध्यम से कही है। और आपने क्या किया? आपको मालूम है, अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, राजस्थान के अन्दर 25 हजार करोड़ की जब फसल नष्ट हो गई तो हमारे आज के सदन की नेता उस समय भारत सरकार में मंत्री थीं, किसानों का एक शिष्ट मण्डल दिल्ली गया, उन्होंने कहा कि हमारी फसल नष्ट हो गई, इनपुट सब्सिडी के अन्दर हमको पैसा मिलना चाहिए। लघु सीमान्त और सीमांत किसान को किसी तरह बीज खरीदने, खाद खरीदने के लिए कुछ सहायता मिल जाए। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने किसान का दर्द समझा, 340 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी राजस्थान सरकार को दी।

लेकिन मेरा आरोप है पूर्ववर्ती सरकार पर, एक साल तक उन पैसों को लिए बैठे रहे। दिल्ली की सरकार का पैसा, इनको कुछ लेना-देना नहीं, इनको पैसा बांटना, परन्तु चूंकि किसान के वास्तव में हिमायती हैं कि नहीं है, इनके मन में किसान के प्रति और अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दें तो, कुछ जाति विशेष के प्रति दर्द बहुत है, वह दर्द का इजहार इस तरह की योजना में किसान को मारकर इन्होंने किया।

अकाल प्रबन्धन के नाम पर सोनियाजी को राजस्थान में लेकर आये। संसदीय कार्य मंत्रीजी, मेरे इलाके में भी सोनियाजी गईं। मैं समझता हूं कि पांच मिनट के अन्दर उन्होंने पूरा इलाका देख लिया और जाकर तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी की पीठ थपथपाई कि अकाल प्रबन्धन में आपका सानी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं और चीज पर नहीं जाना चाहता, परन्तु आज इस हिन्दुस्तान के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अपने आप में महत्व रखती है। पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टी वर्सेज गवर्नमेंट आफ राजस्थान, इसमें न्यायमूर्ति लोहाटी की खण्डपीठ ने जो निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्थान की सरकार का अकाल प्रबन्धन लचर है। केन्द्र सरकार ने जो गेहूं दिया, उस गेहूं को उठाने में सरकार विफल रही, इस सरकार के चलते किशनगढ़ शाहबाद के अन्दर आदिवासी भूख से मर गया। बामनवास के अन्दर एक महिला पानी की प्यास से मर गई और सरकार कहती है कि हमारा अकाल प्रबन्धन बहुत अच्छा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार ने मदद नहीं की। संविधान में जिस तरह की व्यवस्था है, सी.आर.एफ और एन.सी.सी.एफ का फण्ड, उसमें जितना इनका हिस्सा था, उसमें एक पैसा भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इनको कम नहीं मिला। 600 करोड़ रुपये एन.सी.सी.एफ में और मिले और हमने तो कई बार मांग की कि अगर आप वास्तविक सामने लाना चाहते हो तो एक श्वेत पत्र जारी करो, पता लग जाए कि आपने अपनी खुद की योजना मद से इस राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता की सुविधा के लिए कितना पैसा खर्च किया।

हां, एक बात जरूर है, अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधीजी की बात को लेकर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आज बहुत उत्तेजित थे। पूर्व प्रधान मंत्री हैं, स्वीकार करते हैं परन्तु इस सरकार ने एक ही काम किया, सोनियाजी को खुश करने के लिए राजीव गांधी के नाम से मिशन और टास्क फोर्स बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजीव गांधी पेयजल मिशन, राजीव गांधी साक्षरता मिशन, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, राजीव गांधी जनसंख्या नियंत्रण मिशन, राजीव गांधी महिला एवं बाल विकास मिशन। मुझे इस बात पर ऐतराज नहीं कि राजीव गांधी का नाम क्यों लिया, इससे जरूर एतराज है कि हर मिशन के पीछे एक किताब छपवाई गई, उस किताब के अन्दर सोनियाजी की और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी की खड़े-खड़े तस्वीर उस तस्वीर को दिल्ली में बांटा गया और कहा कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। नम्बर वन मुख्य मंत्री इसी तरह बने हैं आप। आपने नारा दिया, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओं, वह पानी तो बच ही गया। अब इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता परन्तु एक बात कहना जरूर चाहता हूं कि शासन में आप आए थे तो किसान की बात कह रहे थे, आपने शासन में आते ही सबसे पहला क्या काम किया? सिंचाई दरों में शत प्रतिशत की बढ़ोत्तरी सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, 720 करोड़ रुपये का इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। एक्सिलरेटेड वाटर प्रोजेक्ट में त्वरित जल प्रदान योजना, विश्व बैंक से लोन लिया। इन्होंने लोन किन शर्तों पर लिया? संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह अपनी सरकार के सामने आएगा, इन्होंने कह दिया कि दिसम्बर, 2004 से किसान को सिंचाई के लिए जो पानी दिया जा रहा है, उसकी ओ. एण्ड एम. कॉस्ट किसान से वसूली करो। वह वसूल करने की बात तो अगर हमने मान लिया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान बरबाद हो जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परन्तु नई सरकार की कल्पना देखो आप, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की बात की जैसी घोषणा अभिभाषण के पृष्ठ 11 के बिन्दु 23 पर कही गयी, आगामी पांच वर्ष में, सुखाड़ियाजी के कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ, वह काम होगा। तीन बड़ी परियोजनाएं—माही बजाज सागर, बीसलपुर रतनपुरा, यमुना जल को भरतपुर-चूरू में और नर्मदा, इनसे सिंचाई और यह सारे काम होंगे।

यहां पूर्व शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, राजस्थान में शिक्षा के साथ शिक्षा के सार्वजनीकरण के नाम पर आपने जो खिलवाड़ किया, राजस्थान के लोग कभी भूल नहीं सकते। आपने कभी शिक्षा दर्पण, कभी सर्व शिक्षा अभियान, कभी शिक्षा आपके द्वार, न जाने कौन कौन से प्रयोग कर डाले। कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर गरीब छात्रों से 600 रुपये प्रति माह लिये मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता जिस बात की चर्चा इस सदन में हो चुकी है, कम्प्यूकॉम कम्पनी के बारे में, परन्तु एक बात जरूर कहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर राजस्थान के गरीब छात्रों से 600 रुपये लिए आपने जबकि वहां न कम्प्यूटर था, न कम्प्यूटर कक्ष था और न कम्प्यूटर पढ़ाने वाला। किस तरह की व्यवस्था आपने की? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी, आपको अपने इसी अभिभाषण में पृष्ठ 36 पर यह कहा कि एक किलोमीटर की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय होगा।

यह राजस्थान में पहली बार है और दो प्राथमिक विद्यालयों के बीच में आप एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि पहली से बारहवीं तक की छात्राओं को...(व्यवधान) मैं इस बात के लिए, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा...

श्री श्रवण कुमार : चुनाव भाषण नहीं होना चाहिए। राजेन्द्रजी, मैं मानता हूं आपकी बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन मैं कह रहा हूं चुनावों का भाषण नहीं होना चाहिए। यह आप कह रहे हैं वह इंप्लीमेंट होना चाहिए। लोक सभा में जो थोथे भाषण दे रहे हैं वह नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य, हमारे आश्वासन पक्के होते हैं, कच्चे नहीं होते, कांग्रेस की तरह।

श्री श्रवण कुमार : आपके अटलबिहारीजी बोलेंगे वह मानेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरी बात समाप्त करूं, मुझे दो चार बिन्दू और कहने हैं। शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं को निःशुल्क पाठय-पुस्तकें उपलब्ध कराने का फैसला लिया। यही नहीं, आपने एस.सी., एस.टी. और अब तो आपने कृपा करके ओ.बी.सी को भी शामिल कर लिया, इन विद्यार्थियों को भी 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक निःशुल्क पुस्तकें देने की बात कही। राजस्थान के अन्दर इस बार ऐतिहासिक प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय बनने जा रहे हैं, 1144 आपने पूरे कार्यकाल में नहीं बनाये। 2317 शिक्षा गारंटी केन्द्रों को आपने प्राथमिक विधालय में करने का फैसला किया, मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर शिक्षा के प्रति लालसा बढ़ रही है, अब हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है। वातावरण का निर्माण हुआ है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए कानून निश्चित तौर पर लेकर आएं, यह मेरा सुझाव है। आज आपने सदन के अन्दर जिस मजबूती से 40 हजार रिक्त पदों को भरने की बात, कही मैं समझता हूं यह स्वागत योग्य है।

मैं आपका ध्यान राजस्थान के औद्योगिकरण की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। पांच वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन, चांदी की थाली, चांदी का चमचा, चांदी की कटोरी और कहा कि बड़े उद्योग लगाएंगे, हमने राजस्थान के लोगों को आमंत्रित किया है। एक बड़ा उद्योग आप ला नहीं सके।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लैट मी करैक्ट दी रिकार्ड आफ दी हाउस, यह कभी मंशा नहीं थी। यह राजस्थानी कानक्लेव बुलाया गया था कि हिन्दुस्तान के सारे प्रान्तों में चाहे वह तमिलनाडु का हो, बंगाल का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो...(व्यवधान) प्लीज देखिए, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं कोई बुराई के बतौर नहीं कह रहा हूं। आप इस तरह टोकाटाकी करके अगर सही बात को सदन में नहीं आने देंगे तो, महावीरजी, बड़ी अनुचित बात होगी। जो कानक्लेव किया गया था उसके मूल में भावना थी कि राजस्थान के जो प्रवासी बाहर रह रहे हैं, डिफरेंट फील्डस में जिनका बहुत नाम है, उनको एक मंच के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नीचे एकत्र किया जाए यह भावना कभी नहीं थी कि उनसे औद्योगिकरण की अपील हमने यहां पर की। यह बात बार-बार सदन के अन्दर कही गई है। (व्यवधान) इस बात को दोहराया गया है, यह बात उचित नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : एक मंच पर बुलाने का उद्देश्य क्या था? एक मंच पर लाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : एक मंच पर लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने का ही था। उद्योग लगाने का ही था न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, यह नहीं था।

श्री कालूलाल गुर्जर : तो फिर काहे को खर्चा किया? करोड़ों रुपया खर्चा किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा नहीं है। हर प्रान्त का हो रहा है, कन्नड़ का हो रहा है, तमिलनाडु का हो रहा है, क्या सब जगह ही इंवेस्टमेंट आ रहा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जारी रखें अपना भाषण। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी भारत सरकार ने इतने बड़े दो प्रवासी सम्मेलन कर दिये, पिछली साल किया, इस साल किया, कितना इंवेस्टमेंट आया उसके अन्दर? आप यह कल्पना करके चलें कि हर कांफ्रेंस के जरिये प्रदेश के अन्दर इंवेस्टमेंट आएगा, यह कल्पना करना तो बिलकुल गलत होगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, आपकी भावना बहुत अच्छी थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बुलाया जाए, लेकिन इला अरूण को बुलाकर कौनसी इंडस्ट्री लगाना चाहते थे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इंडस्ट्रीज को नहीं बुलाया, सबको बुलाया था। डिफरेंट फील्डस के आदमियों को बुलाया था। (व्यवधान) बहुत से आदमियों को बुलाया था, विद्वानों को बुलाया था, क्या बात कर रहे हैं आप?

डा. एन. एस. गुर्जर : सरकारी खर्चे पर इला अरूण को बुलाकर कौनसी इंडस्ट्री लगाना चाहते थे?

श्री कालूलाल गुर्जर : कांग्रेसीकरण किया गया था उसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन, पूर्व वित्त मंत्रीजी, जब आप उस अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : गहलोत साहब अमरीका गये थे अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में, क्या लेकर आये वहां से? कितना इंवेस्टमेंट लेकर आये?

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिए, वह "राना" का सम्मेलन था, राजस्थानी एसोसिएशन आफ नॉर्थ अमरीका।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपकी पूरी सरकार गई थी "राना" के सम्मेलन में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : (व्यवधान) महाराष्ट्र का वहां हो रहा था। यह आप कह रहें । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह पूरी सरकार गई थी, सारे मंत्री गये थे, मुख्य मंत्री गए थे, सारे अधिकारी गये थे, कौनसे उधोग लेकर आये वहां से? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कहता हूं, तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी ने 10 करोड़ रुपये खर्च कर दिये, कितने उद्योग लगाये थे राजस्थान के अन्दर? अगर आप पिछली बातों को...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। यहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करते तो काफी लोग आ जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट नहीं किया आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप ले आना पांच साल में, देख लेंगे, क्या लेकर आएंगे।

श्री श्रवण कुमार : नाई-नाई बाल कितने, जजमान सामने आने वाले हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : इंफ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट करेंगी वसुन्धराजी, हमारी मुख्य मंत्री। खूब इंवेस्टमेंट आएगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण जारी रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, परन्तु जब पूर्व वित्त मंत्री ने बहस छेड़ दी है तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, आपने अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन बुलाया उसमें एल.एन मित्तल और राहुल बजाज आपको किस तरह का प्रमाण पत्र देकर गये? क्या वे यह कहकर नहीं गये कि उद्योग भावनाओं से नहीं आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने से आएंगे। आपके नेता जहां जाते हैं वहां कहते हैं, मेरा खजाना खाली है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास बिजली नहीं। आप राजस्थान के अन्दर इस अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन के माध्यम से उद्योगों को बुलाना चाहते हैं या उद्योगों को भगाना चाहते हैं? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) इसके बाद भी एक-दो नहीं 60 हजार छोटे और मझले उद्योगों ने पूर्ववर्ती सरकार की गलत औद्योगिक नीतियों के कारण दम तोड़ दिया। यह वो सरकार है जिस सरकार के हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने एक ऐसी घोषणा की, अध्यक्ष महोदय, भूतो न भविष्यति, दिन उगता है और शाम को अस्त होता है, उस समय तक एक दिन में सात गांव सड़क से जुड़ेंगे, 100 दिन के अन्दर 737 गांव। यह है सरकार। इसको कहते हैं सरकार और यह है वसुन्धराजी की सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री श्रवण कुमार : अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार ने तो पाकिस्तान के अन्दर ट्रेन चला दी, आपने देख लिया परिणाम?

एक माननीय सदस्य : आपके यहां भी आएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन ज्ञानियों से बचाओं, मैं मेरी बात खतम करूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर तत्कालीन सरकार ने एक श्वेत पत्र राजस्थान की आर्थिक हालत के ऊपर जारी किया था, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह श्वेत पत्र जिस अन्दाज में जारी किया वह श्वेत पत्र नहीं जैसे आरोप पत्र हमें दे रहे हों। हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि राज्य को ऋणग्रस्तता के जाल में हमने फंसा दिया। जब उस वक्त यह बात सदन के अन्दर आई तब तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भैरोंसिंहजी ने कहा था कि योजना के आकार को बढ़ाना हो तो ऋण लेना हमारी मजबूरी है। इन्होंने कहा हम कानून लेकर आएंगे, ऋण की एक निश्चित सीमा का निर्धारण करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूर्ववर्ती सरकार ने ऋण लिया, राजस्थान के अन्दर परिसम्पत्तियों का अर्जन किया, राजस्थान में गांव गांव में गरीब को गणेश मानकर जो सेवा हुई, सामाजिक सेवा वहां तक पहुंची, गांव-गांव में विकास के काम दिखने लगे। ऋण आपने भी लिया है, परन्तु आपने ऋण लिया 1560 करोड़ का, एशियन डवलपमेंट बैंक से किन शर्तों पर ऋण लिया? मैं समझता हूं आने वाले आम व्यक्ति को भुगतान करना पड़ेगा। सीवरेज टैक्स को बढ़ाओ, वाटर चार्जेज बढ़ाओ, आपने जिन शर्तों पर ऋण लिया है, मैं समझता हूं, राजस्थान के आम अवाम के साथ आपने एक तरह से अन्याय किया। आज हो क्या गया? आज हाई फिस्कल स्ट्रैस में राजस्थान को लाकर आपने खडा कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमने आठ वर्षों में 16 हजार करोड़ का ऋण लिया। बड़ा गुनाह कर दिया। आप बडे नाराज हुए। आपने ऋण लिया है पांच वर्षों में 28393 करोड़ का। मैं समझता हूं कि राजस्थान को आपने एक तरह से आर्थिक रूग्णता में डालने का काम, तत्कालीन वित्त मंत्रीजी, आपने किया है। आप भी धौलपुर से आते हैं और आज की मुख्य मंत्रीजी भी धौलपुर से आती हैं? आपने राजस्थान के अन्दर उस धौलपुर से आकर भी राजस्थान का बंटाधार किया, राजस्थान को आर्थिक रूग्णता दी, राजस्थान को विकास की दृष्टि से पीछे धकेल दिया। और ये हमारी मुख्य मंत्रीजी बैठी हैं, मुख्य मंत्रीजी का जो सपना है, राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का, सपना निश्चित तौर से पूरा होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी यह बात 'बजट एट ए ग्लांस' से मैंने देखी है, 1997-98 में जब हमने शासन छोड़ा था राजस्थान में प्रतिवर्ष ब्याज भार था 1896.67 करोड़ रुपये, प्रतिमाह ब्याज भार था, 158 करोड़ रुपये और प्रतिदिन ब्याज भार था 5.20 करोड़ रुपये। आपने शासन छोड़ा तब जो आपने ऋण लिया उस पर ब्याज भार है 4793.11 करोड़ रुपये, प्रतिमाह ब्याज भार है 397.47 करोड रुपये और सुबह से शाम होती है, संसदीय कार्य मंत्रीजी, 13 करोड़ 12 लाख रुपये तो पहले इन्होंने जो ऋण ले लिया उसके ब्याज देने पड़ते हैं। राजस्थान के विकास का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रास्ता रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो इन्होंने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रति व्यक्ति ऋण भार जो 1997 में राजस्थान की माली हालत को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहते हैं जो ऋण भार बढ़ाता है वह दुश्मन होता है।

श्री शांतिलाल चपलोत : यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के अन्दर आम व्यक्ति की हालत किस तरह की है, राजस्थान की हालत किस तरह की है, एक आर्थिक सूचकांक है प्रति व्यक्ति ऋण भार का। पूर्व वित्त मंत्रीजी, 1997-98 में हमने शासन छोड़ा था तब था प्रति व्यक्ति ऋण भार सिर्फ 4,377 रुपये और 2003-04 में जब आप शासन छोड़कर गये हैं तो 10,512 का भार है। मैं समझता हूं कि आज आपने और मैंने किसी ने ऋण लिया या नहीं लिया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पुश्तैनी काम है पूर्व वित्त मंत्रीजी का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने और मैंने किसी ने ऋण लिया या नहीं लिया, आज राजस्थान में कोई व्यक्ति गांव में बैठा हो, राजस्थान का कोई व्यक्ति किसी शहर में बैठा हो, हरेक व्यक्ति पर 10,500 का कर्जा आपने लाद दिया। यही नहीं, पूर्व वित्त मंत्रीजी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने इसी सदन के अन्दर वर्ष 2000 में जब बजट प्रस्तुत किया था तो आपने कहा था कि हम राजस्व घाटे को धीरे-धीरे कम करके शून्य पर लाने की कोशिश करेंगे, आपने क्या किया? आने वाले राजस्थान का जो आपने बंटाधार किया है, राजस्थान में अर्थशास्त्र को समझने वाले व्यक्ति आपको विलेन के रूप में देखते हैं क्योंकि आपने राजस्व घाटे को बढ़ाया। कितना? 1998-99 में राजस्व घाटा था 2996.30 करोड़ और आपने शासन छोड़ा तब बढ़कर हो गया 3,672 करोड़, यही नहीं, आपका वित्तीय घाटा भी बढ़ा है, मैं उन आंकडों में जाना नहीं चाहता परन्तु एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि राजस्थान की हालत क्या है इसको सबसे बड़ा इकोनोमिक इंडीकेटर है प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राजस्थान खुशहाली के रास्ते पर जाता है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो राजस्थान बदहाली के रास्ते पर जाता है। 1998-99 में प्रति व्यक्ति आय थी 8,630 रुपये और आपने शासन छोड़ा है बंटाधार करके तो प्रति व्यक्ति आय गिरकर रह गई 7,930 यानी सात सौ रुपये कम हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस रिकार्ड को सही कर लिया जाए। इस बारे में मैंने इस सदन में जवाब दिया था कि स्टेट की जी. डी. पी. का हिस्सा एग्रीकल्चर पर भी काफी तादाद में डिपेंड करता है। जिस स्टेट के अन्दर चार क्जीक्यूटिव ईयर्स में अकाल पड़ा हो, अकाल की वजह से निश्चित रूप से अपना उत्पादन गिरेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी गिरेगी। इस बात को भी मैं रिकार्ड के ऊपर लाना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, आप पीछा छोड़ो।

श्री अध्यक्ष : देखिये, कारण कुछ भी हों, वह बता रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन उन्होंने बताया कि पर कैपिटा इनकम घटी हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महादेय, आपका इतना बड़ा अनुभव है, कारण भी संग में हैं।

श्री अध्यक्ष : कारण बता रहे हैं न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एक तरफा इस प्रकार से कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कारण आपने बता दिया, पर कैपिटा इनकम कम हुई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कि जैसे कि यहां हमने ही नहीं, नहीं यह बात तो आनी चाहिए। जिस साल अकाल होता है उस साल निश्चित रूप से जी. डी. जी. नीचे जाएगी और जब अकाल समाप्त होगा, फसल अच्छी होगी तो स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसमें कहां क्या बात है ऐसी।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो किया उसी का वर्णन सुनना चाहिए इनको। आपने किया है तो अब उसको सुनने के लिए भी तो तैयार रहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने मेरे भाषण के प्रारम्भ में कहा था कि आप इस आसन पर विराजे हैं, आप सुशोभित नहीं, आसन आपसे सुशोभित है, आप जैसी विदुषी महिलाएं इन चीजों को समझ सकती हैं। आपने साफ-साफ कह दिया, कारण चाहे कोई रहा हो पर यह शाश्वत सत्य है कि इनके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय कम हुई। यही नहीं, देश और राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर भी बढ़ा। 1997-98 में 580 रुपये का अन्तर था वह बढ़कर हो गया 3,080 इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आज किसी भी प्रदेश की खुशहाली का आकलन कोई है तो वह है आर्थिक विकास दर। आर्थिक विकास दर बढ़ती है तो प्रदेश खुशहाल होता है, गिरती है तो बदहाल होता है। क्या हुआ आपकी विकास दर का? नकारात्मक लाकर छोड़ा है आपने, नकारात्मक, 1997-98 में 11.08 थी उसको, अध्यक्ष महोदय, माइनस 7.23 करके राजस्थान का सत्यानाश करने का काम इन्होंने किया है। आज बहुत बडा ढोंग रच रहे थे कि नाटक रच रहे थे. किसान की चिंता कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो बजट बनाया उसमें योजनागत व्यय कृषि पर कितना किया? आपको, अध्यक्ष महोदय, जानकर आश्चर्य होगा, कुल वार्षिक योजना का 2.44 प्रतिशत व्यय कृषि पर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन की नेता को कि इन्होंने जो 1230 करोड़ की वार्षिक योजना बढ़ाई है उसमें जो पहले पांच सौ कुछ करोड़ था उसको बढ़ाकर सात सौ करोड़ रुपये किया। और तो और, गरीबी की बात भी बहुत करते हैं, एक योजना है राजस्थान के सात निर्धनतम जिलों में चलती है, गरीबी उन्मूलन योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उस योजना में, मैं पीछे की बात नहीं करूंगा, 2003-04 की बात करूंगा, केन्द्र ने पैसा दिया 643 करोड़ रुपये और इन्होंने खर्चा किया सिर्फ 70 करोड़ रुपये और, अध्यक्ष महोदय, उसमें भी 58 करोड़ प्रशासनिक व्यय है। फिर ये गरीबों के हिमायती हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भी वे आंकडे कह रहे हैं जो आपके दस्तावेज में अंकित हैं।

मैं अब एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। आज, अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की प्रगति और उसकी उन्नति उसकी वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना पर खड़ी रहती है। आज मैं याद दिलाना चाहूंगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना, काल खण्ड था 85 से 90, आपका शासन था, कांग्रेस का शासन, पांच वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई। उसके बाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के आम व्यक्ति की खुशहाली की भावना रखने वाले विकास पुरूष भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए, आठवीं पंचवर्षीय योजना बनी 11,500 करोड़ की और खर्च हुए 11,865 करोड़ यानी, सातवीं योजना की साढ़े चार गुना आठवीं योजना और आठवीं योजना से नवीं योजना, प्रारम्भ में मुख्य मंत्रीजी विराज रहे थे भैरोंसिंहजी शेखावत, उनके मन में यह कल्पना थी कि राजस्थान के माथे से बीमारू प्रदेश का कलंक पूछे, जो आज की हमारी मुख्य मंत्रीजी के मन में भी बात है, और राजस्थान के विकास का स्वर्णिम काल वह उनका काल रहा और वह योजना उन्होंने बनाई 27,650 करोड़ की। अब शासन आपके हाथ में आ गया, 1998-99 में आप दिसम्बर में पधार गये। मैं सारी बात कहूं कि कौन से साल में आपने कितनी-कितनी कटौती की तो मैं समझता हूं काफी वक्त लग जाएगा, पर यह जरूर कहूंगा कि आपने 20,360 करोड़ में उस योजना को समेट दिया। 26 परसेंट योजना में कटौती करके राजस्थान के लोगों का विकास का रास्ता अवरुद्ध करने का काम आपने किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना आपने बनाई, सातवीं पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना चार गुना बढ़ी, आठवीं से नवीं ढाई गुना बढ़ी, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना आपने बनाई, योजना से राजस्थान का विकास होता है, कितनी प्रतिशत आपने बढ़ाई, आप जरा बताएं अगर आपने बढ़ाई हो तो? आपने योजना बनाई थी 31831 करोड़ की और उस योजना को बढ़ाने के बाद भी आपने किया क्या? आपने 2002-03 की योजना मंजूर कराई 5160 करोड़ रुपयों की, आप रिवाइज्ड एस्टीमेट में गये, लेकर आये, उसको कम करके कर दिया आपने 4370 करोड़ रुपये। एक्चुअल में जब आप आये, ये आपके आंकडे बोलते कि आपने खर्च किया 3800 करोड़ रुपये, यानी 1360 करोड़ रुपये काटे उसी तरह 2003-04 में आप तो राजस्थान को विकास की दृष्टि से पीछे धकेलना चाहते थे पर यह तो मुख्य मंत्रीजी आ गई, इन्होंने योजना के आकार को बढ़ा दिया। मैं समझता हूं कि आपने बजट में योजना का आकार कम किया। एक ही बात आप कहते रहे कि राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ गया, अकाल के लिए पैसों की आवश्यकता है। अकाल के बहाने योजना के आकार पर कैंची चलाते रहे, पर योजना मद का पैसा आपने अकाल में खर्च किया नहीं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज सदन में चर्चा हो रही थी मुख्य मंत्रीजी नम्बर वन, इंडिया टुडे 2003 तीन सितम्बर का अंक है उसमें इनको मुख्य मंत्री नम्बर वन के लिए लिखा, He is not a Visioner but he is an Achiever.

अब उन्होंने खुद ने बिजनरी तो माना नहीं, और अचीवर आप कैसे रहे? मुख्य मंत्री से पूर्व मुख्य मंत्री की यात्रा आपने पूरी कर ली। अध्यक्ष महोदय, नम्बर वन मुख्य मंत्री की पुस्तक पूरे राजस्थान में तो वितरित की ही गई, दिल्ली में भी सारे सांसदों और सब लोगों को दी गई, कि मुख्य मंत्री नम्बर वन तो एक ही है। मुख्य मंत्री नम्बर वन क्यों नहीं हो, क्योंकि आपके राज में...

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राजेन्द्रजी राठौड़ से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो मुख्य मंत्री नम्बर वन...

श्री अध्यक्ष : आप बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कौनसी मैगजीन ने नम्बर वन बनाया था? कौनसी मैगजीन ने नम्बर वन बनाया था और उसके पीछे क्या कारण था? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उनसे कैसे पूछ सकते हो? (व्यवधान)

राजेन्द्रजी से आप कैसे पूछ रहे हो? मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, ये अभी मंत्री नहीं है, आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक रुपया, दो रुपया नहीं, दो करोड़ से ज्यादा सजावटी विज्ञापन सरकार के खर्चे से दिये गये और तब यह बने हैं नम्बर वन। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता :...विज्ञापन दिये हैं। इंडिया टुडे को कितने विज्ञापन दिये गये हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नम्बर वन मुख्य मंत्री किसमें? नम्बर वन इनके राज में कानून व्यवस्था चौपट रही है। ये नम्बर वन रहे राजस्थान निर्माण के बाद राजस्थान को सब से ज्यादा कर्जे में डुबोने में। ये नम्बर वन रहे राजस्थान को आर्थिक और विकास की दृष्टि से बीमारू प्रदेश करने में ये नम्बर वन रहे हैं राजस्थान में राजकोषीय घाटे को बढ़ाने में। ये नम्बर वन रहे हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की वार्षिक योजना में कटौती करने में। और ये नम्बर वन रहे हैं राजस्थान को अंधेरे में डुबोने में, राजस्थान के गांवों के विकास के काम को बन्द करने में और आज दिखा रहे थे। अब अंधेरे से उजाले की ओर का रास्ता प्रारम्भ हुआ है. यह यात्रा प्रारम्भ हुई है। मैंने इसी सदन में कहा था कि वसुन्धरा एक्सप्रेस चल निकली है, अपनी मंजिल पर जाकर रुकेगी। वसुन्धरा एक्सप्रेस चल गई, राजस्थान के सचिवालय में जाकर रुकेगी। अब उसी तरह से विकास की यात्रा प्रारम्भ होगी, वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान की श्रेणी में आएगा, वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान के माथे से बीमारू प्रदेश का कलंक मिटेगा। ये सारी बातें जो मैंने रखी हैं, समझता हूं मैंने कोशिश की है कि तथ्यों के आधार पर सदन में अपनी बात रखूं। इन बातों को रखने के पश्चात् अच्छा यह रहे, प्रतिपक्ष के नेता खड़े होकर यह कह दें कि हमने गुनाह किया, जनता ने सजा दे दी। आप प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करके यह कहें कि दुबारा इस तरह का गुनाह नहीं करेंगे तो 15 साल, 20 साल बाद आपका नम्बर आएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के इस ऐतिहासिक अभिभाषण, जो मैं कहूंगा राजस्थान में गांवों के लोग इस अभिभाषण की प्रति को गीता और महाभारत के साथ रखेंगे, क्योंकि यह अभिभाषण राजस्थान के आम अवाम के लिए एक नया संदेश लेकर आया है, मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी। माननीय सी. पी. जोशीजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप कितना समय लेंगे, ताकि सदन का समय या तो बढ़ाया जा सके या सदन का समय जब समाप्त हो जाए तो कल के लिए स्थगित किया जाए? आप कल बोलें। कितनी देर लगाएंगे आप?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मेरे बोलने तक रख लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके बोलने तक बढ़ा दिया जाए। समय पहले बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 4.54 तो हो ही गये। समय पहले बढ़ा दिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल ही कर लेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : कल काहे को? अभी सुनने में क्या तकलीफ है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज पहला दिन है। आज ही बोलें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन का समय क्या माननीय सी. पी. जोशी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय सी. पी. जोशी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है, लेकिन समय आधा घंटा से अधिक नहीं हो। आधा घंटा बहुत होता है आपके जैसे विद्वान् के लिए। आधा घंटा बहुत होता है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आई एम सॉरी, आप रेस्ट्रिक्शन कर दें...(व्यवधान) फिर हम तो बोलें ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप जैसे विद्वान् के लिए आधा घंटा बहुत है।

डा. सी. पी. जोशी : आप बोलें तो नहीं बोलें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये तो सही, आधा घण्टा बहुत हो गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आई डोंट वांट ए सर्टिफिकेट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन में हमारे नेता और पार्टी जीती है उनको बधाई देना चाहता हूं। लोकतंत्र की यह परम्परा है कि लोकतंत्र में पांच साल में चुनाव में जाएं और जनता जो समर्थन दे उसको हमें मानना चाहिए। मैं उसी दृष्टि से हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, उनकी पार्टी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जिन भावनाओं से अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस सदन में सदस्य रहे हैं, मैं भी इस सदन का सदस्य रहा, मंत्री भी रहा, पिछले पांच साल तक। जो भाषण मैंने चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का सुना, उन भाषणों का एब्स्ट्रैक्ट आज वापस उन्होंने रिपीट कर दिया। हमारे मन में कल्पना थी कि माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी हैं, पहली बार महिला मुख्य मंत्री बनी हैं जिससे हमें गर्व है, आप पहली अध्यक्ष बनी महिला के रूप में, इसका हमें गर्व

(डा. सी. पी. जोशी)

है, तथा हमारे मन में कल्पना थी कि नई सदी में नये राजस्थान को बनाने की जो हम कल्पना कर रहें हैं, 50 साल के लोकतंत्र में हमने कुछ किया है, चाहे पक्ष में रहें, चाहे विरोध में रहें, चाहे इनको राज करने का मौका मिला, चाहे हमें राज करने मौका मिला, हम कुछ इतिहास से सीखेंगे और सीखने के बाद नई सदी में राजस्थान को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिससे हम गर्व से कह सकें कि राज हमें करने का अवसर मिला या इन्हें अवसर मिला लेकिन राजस्थान को हमने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे कहते हुए ताज्जुब और तकलीफ है, आपने पढ़ा होगा कि आज हिन्दुस्तान में 54 प्रतिशत पापुलेशन की एज 25 साल से कम है। 25 साल से कम है 54 प्रतिशत पापुलेशन। इस डाकूमेंट में जो विजन की बात कही हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 दिन की चर्चा की गई है, 10 दिन की चर्चा की गई है, पांच साल की चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक भी बताएं, नौजवान आदमी के मन में कल्पना है कि कैसे मैं राजस्थान को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं परिवार को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं, क्या उसमें एक भी लाइन मेंशन की हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, कि इतिहास में चुनावों में जीतने के लिए एक-दूसरे के लिए लोकतंत्र में आकर डिबेट कर लो लेकिन लोगों के बीच में जाकर क्या कहना चाहते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे ताज्जुब हुआ, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वे बातें इस गवर्नर की स्पीच में नहीं लिखी हुई हैं। मुझे यह भी जानकर आश्चर्य हुआ कि इनका जो विजन डाकूमेंट है जो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने प्रजेंट किया, वो डाकूमेंट वापस ले गये। वो डाकूमेंट बताया ही नहीं गया कि डाकूमेंट है क्या? वह डाकूमेंट केवल मात्र चीफ मिनिस्टर महोदया जानती हैं, वो सैकेट्री जानते हैं। हमने अखबार में पढ़ा कि उनका विजन है, हमें बहुत खुशी हुई कि एक नई एजुकेटेड, एलीट, समझदार महिला कुछ बनने की कल्पना लेकर के इस राजस्थान का विकास करेगी। उनके मन में विजन होगा और उस विजन का कुछ रिफ्लेक्शन होगा इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस अभिभाषण को देखिये आप। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें

(डा. सी. पी. जोशी)

लिखी हैं उसमें आप उठाकर देखिये, केवल मात्र सड़क के सम्बन्ध में कि सड़क के सम्बन्ध में 2004 में क्या करेंगे, 2005 में क्या करेंगे, 2007 में क्या करेंगे। वो भी इनको नहीं करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत किस प्रदेश में क्या क्या होगा, उसका उन्होंने यहां पर उल्लेख किया हुआ है। बाकी किसी हैड में आप उठाकर देखें, 2004 में क्या करेंगे, 2005 में क्या करेंगे, 2006 में क्या करेंगे, यही बताया है। (व्यवधान) आप सुनिये अभी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी महीना चल रहा है, 31 मार्च तक लोग आशा कर रहे थे कि 100 दिन में राजस्थान का एक रोड मैप बनेगा, अगले 4 साल में रोड मैप के आधार पर जो कल्पना करके राजस्थान के विकास की कल्पना करेंगे। अब वह रोड मैप कैसा बना, माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं इस पर आने से पहले केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से यह बात कहना चाहता हूं, इन्हें बडा गर्व है, इन्हें बड़ा घमण्ड है कि हम चुनाव जीत गये, पर चुनाव जीते कैसे, उसकी भी चर्चा यहां पर निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। यदि हम यह चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोकतंत्र के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। हमार चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े अच्छे ढंग से कह दिया कि कर्मचारियों की हमने मांग नहीं मानी, कर्मचारियो का हमने काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी तो किसी भी सरकार के अंग रहेंगे। सरकार में आप मुख्य मंत्री बने, आपकी पार्टी के मुख्य मंत्री बनें, दूसरी पार्टी का मुख्य मंत्री बने, सरकार का काम करने का अंग सरकारी कर्मचारी होते हैं। उन कर्मचारियों को डिसिप्लीन में करने के लिए कर्मचारियों के काम करने के लिए सरकार नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, वह तो सरकार के अंग है। वे 5 करोड़ लोग जो ढाणी में रहते हैं, मजरे में रहते हैं, जिनके आने-जाने का रास्ता नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसका छोटा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नही जा सकता, उसकी जो तकलीफें हैं उन तकलीफों को दूर करने के लिए लोकतंत्र में सरकार बनती है, 5 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर उनके विश्वास की कल्पना करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है इस चुनाव में क्या हुआ है। राजस्थान में चुनाव में एक जो घटना हुई है उसको ऐतिहासिक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं

(डा. सी. पी. जोशी)

आर.एस.एस. के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बी.जे.पी. के लोगों को कि उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनैस मालूम थी। उन्हे मालूम था कि राजस्थान में यदि भैरोंसिंह शेखावत के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज आर.एस.एस. के लोगों को दे दिया गया तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। यह उनको जानकारी थी, यह उनका स्ट्रेंथ और वीकनैस का मालूम था इसलिए उन्होंने एक सोची-समझी रणनीति के अन्तर्गत वसुंधराजी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? आपको भी मालूम है, कितने सीनियर आदमी जिन्होंने पार्टी की सेवाएं कीं, कितने पार्टी के प्रति समर्पित रहे, उन्होंने वसुंधराजी के प्रति क्या व्यवहार किया। पार्टी में क्या हुआ वो बातें मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह चुनाव जीतने के पहले...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सीधे बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डाले। लेकिन नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, इनकी पार्टी के इंटरनल मामले में आप भी क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान) आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

(17.00 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी पार्टी की इनको चिंता है, मैडम। तीन-तीन मुख्य मंत्रियों की क्या हालत है, इनके बारे में कुछ कहते तो अच्छा रहेगा।

एक माननीय सदस्य : इनको पूछिये कि अशोक गहलोत जी, मुख्य मंत्री को क्यों हटा दिया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मुझे एकेडेमिक इंटरेस्ट है, आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं मैं, और क्योंकि लोक सभा के चुनाव होने वाले हैं, सारा हिन्दुस्तान लोक सभा के चुनावों की तरफ देख रहा है। ये तीन स्टेट जो जीते हैं, इन तीन स्टेट के जीतने के बाद जिस तरह से फील गुड का एंवायर्नमेंट बनाकर सत्ता में आना चाहते हैं,

(डा. सी. पी. जोशी)

इसलिए इन बातों की चर्चा करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। यदि हम इन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम नहीं पडेगा कि यह राज कैसे आया। यह राज कैसे आया, इस कहानी को भी समझने की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 में जो चुनाव हुए, 1998 के चुनावों में बीजेपी को वोट मिला 33.31 प्रतिशत और 33 सीटें मिली। स्टार लीडर भैरोंसिंह शेखावत, लोकतंत्र के इतने बड़े मजबूत नेता और वह चुनाव होने के बाद 33.31 प्रतिशत वोट मिला। अब कितने वोट मिले, अध्यक्ष महोदय? सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद, वोट मिला केवल 39.36 प्रतिशत। माननीय अध्यक्ष महोदय, 39.36 प्रतिशत वोट मिला है बीजेपी को जिसकी नेता वसुन्धराजी को बनाया है। जिसमें आर.एस.एस. के लोगों को मालूम था कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या और किसी नाम पर वोट कैसे ले सकते हैं, उसके बाद में वोट मिला है 39.36 प्रतिशत और कांग्रेस को वोट मिला है 35.77 प्रतिशत। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पिछला वोट था हमारा 40.67 प्रतिशत, इस वोट को स्प्लिट करने के लिए दूसरे प्रदेश के लोगों को, दूसरे प्रदेश के नेताओं को राजस्थान में लाकर एक सोची समझी साजिश के अन्तर्गत चुनाव करवाने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 प्रतिशत, इस बात को समझना पड़ेगा कि 24 प्रतिशत वोट है उन लोगों के जिन लोगों ने वोट बीजेपी को नहीं दिया, जिन लोगों ने वोट कांग्रेस को नहीं दिया है। वह जो 24 प्रतिशत वोट है, उस वोट को स्प्लिट कराया गया इस ढंग से कि कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे हारे, कैसे चुनाव के परिणामों को हम प्रभावित करें। इस कारण राजस्थान में सरकार बनी है। भाजपा के मेनिफेस्टो के आधार पर, भाजपा के मेंडेट के आधार पर, भाजपा के क्रियाकलापों के आधार पर, पांच साल को इनको विरोधी पक्ष की भूमिका के आधार पर राजस्थान में यह निर्णय नहीं हुआ। राजस्थान में चुनाव के प्रबन्धन में तोड़-फोड़ बंगलिंग के नाम पर ऐसी व्यवस्था करके, संसाधनों का दुरुपयोग करके, धर्म के नाम पर, हिन्दुत्व के नाम पर, तोगड़िया को आगे करके, तोगड़िया को पीछे करके, जाति को आगे कर-करके, जाति को पीछे कर-करके, इनेलो को लाकर, इनेलो को जोड़कर जिस तरह से साजिश की है, उसका परिणाम राजस्थान के अन्दर यह चुनावों का परिणाम आया है।

श्री मदन दिलावर : तोगड़ियाजी सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए ठीक तरह से बोलिये। माननीय तोगड़िया साहब बोलें। राष्ट्रीय पुरुष हैं।

डा. सी. पी. जोशी : आपसे नहीं सीखूंगा। यह आपकी पार्टी को सिखाना, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। आपको सीखना है। आप बोलें जो आपको बोलना है। आप अपनी बात रखिये।

श्री बंशीलाल खटीक : तोगड़ियाजी एक इज्जतदार शख्स हैं। तोगड़ियाजी के लिए आप ऐसे अपमानित शब्द नहीं कहें।

डा. सी. पी. जोशी : हमने तोगड़ियाजी कहा है, कोई अपमानित शब्द नहीं कहा है। आपके दिमाग में कुछ भरा हो तो बात अलग है, मैंने तोगड़िया जी कहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सदस्य, आप तोगड़ियाजी बोलें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सदस्य, तोगड़िया साहब बोलें। तोगड़ियाजी हमारे नेता हैं, भगवान हैं, तोगड़ियाजी के बारे में कैसे कोई अपमानित शब्द कहे, यह हमें बरदाश्त नहीं है। तोगड़ियाजी के बारे में हम कुछ भी कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : जोशीजी, आपको सपने में भी तोगड़ियाजी याद आते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : तोगड़ियाजी आपको सपने में भी दिखते हैं। तोगड़ियाजी हमारे भगवान हैं, तोगड़ियाजी के बारे में कभी अपमानित शब्द सहन नहीं करेंगे। हिन्दुत्व हमारा प्राण है, राजनीति हमारा माध्यम है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करिये, स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें। लेकिन नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में कुछ कहिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : हम क्या बन्द कर दें, आपको पसन्द नहीं है? आपको पसन्द नहीं हो तो मैं बैठ जाऊं। आप मना कर दीजिये यदि कोई नहीं सुनना चाहें तो। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो विपक्ष को

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रोटेक्शन देना चाहिए। आपको अधिकार है, हमारी बात को जनता के बीच में जाने का मौका देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक भी बात...

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, देखिये, पहले आप मेरी बात सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी : इरलेवेंट बात नहीं की है, मैंने तो बात कही है, टोटल रेलेवेंट बात कही है। एक भी बात मैंने इर्रलेवेंट नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप मेरी बात सुनिये। देखिये, मैं क्या कह रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि उन्होंने बोला, उन्होंने यह कहा कि आपकी सरकार के ऊपर कटाक्ष करते रहे हैं, वह बराबर है, लगातार है, लगाते हैं। लेकिन आप उनके संगठन पर कर रहे हैं। आप सरकार पर करिये, मैं आपको नहीं टोकूंगी, मैं किसी को नहीं टोकूंगी। लेकिन आप संगठन की बात कर रहे हैं, इसलिए आप संगठन की बात नहीं करें। आप बाकी सरकार के ऊपर अपनी बात करें, जो कुछ आपको कहना है, वह आप कहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने तोगड़िया जी के बारे में और संगठन के बारे में, आर.एस.एस. और कई संगठनों के बारे में टिप्पणी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर सब अधिकार प्राप्त हैं और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, परन्तु हम नियमों में बंधे हुए हैं...(व्यवधान) जो पार्टी और जो सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है, जो उसका जवाब नहीं दे सकता, उनके बारे में सोच-समझकर बोलें। जो बाहर हैं, जो इस सदन में आकर जवाब नहीं दे सकते। इसलिए आप सोच समझकर बोलें और किसी की आस्था को, किसी की आस्था के ऊपर...

डा. सी. पी. जोशी : मैंने क्या बोला? बताओ न, मैंने क्या बोला?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कहा कि तोगड़ियाजी को लेकर। अब आप यह कहें तोगड़ियाजी को लेकर, यह तोगड़ियाजी का इश्यु किसने बनाया? कांग्रेस ने तोगड़ियाजी को गिरफ्तार किया, पांच लाख रुपये अपने व्यक्ति को, एक वकील को देने के लिए। इसमें दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया।

श्री बंशीलाल खटीक : तोगड़ियाजी का नाम ले रहे हैं तो आपको पेट में दर्द हो रहा है क्या?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं दें। माननीय सदस्य, बोलिये आप। प्लीज कंटींयू। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप कंटीन्यू करिये।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, गवर्नर स्पीच की दो लाइन पढ़ लेना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गवर्नर स्पीच के पेज एक की लाइन के ऊपर, "राजस्थान की महान जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से परिवर्तन पथ की पाथेय बनकर जनपथ पर शासन की बागडोर सौंपी, उसके लिए मैं जनता के विवेक की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह परिवर्तन मूल्यों का परिवर्तन है, अंधियारे से उजाले की ओर हुए इस परिवर्तन से राज्य में खुशहाली आएगी, सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा।"...इस पर तो बोल सकता हूं, अध्यक्ष महोदय? लोकतंत्र में इसमें तो मैं बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। आप बोलिये।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था, सम्पूर्ण देश में लोकतांत्रिक दुनिया के लोग हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की तरफ आंख गड़ा कर देख रहे हैं। संविधान में हमने समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इन बातों की कल्पना की थी। हमने और कल्पना की कि हम इन चुनावों में वोट के आधार पर सत्ता का परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करने के बाद देश के भाग्य का निर्माण करेंगे। लोकतांत्रिक पद्धति के अन्दर चुनाव कैसे हुए, परिणाम कैसे आये, उसकी चर्चा भी सदन में नहीं की जाए तो मैं समझता हूं कि हम लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर सकेंगे। हम भी चुनाव जीतकर आये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो प्रयोग राजस्थान में हुआ है, यह एक

(डा. सी. पी. जोशी)

अभिनव प्रयोग है, गुजरात में प्रयोग के बाद। गुजरात में प्रयोग क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय, यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्रीजी ने क्या कहा गुजरात में जाकर, फिर प्रधान मंत्रीजी ने कल परसों जाकर क्या कहा, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर इस देश में लोकतंत्र में सत्ता में आने के लिए किस तरह से हम काम करें, किस तरह से हम सत्ता में आएं, इसका एक प्रयोग हिन्दुस्तान में 50 साल के बाद गुजरात में हुआ। 50 साल के बाद गुजरात में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या के बारे में, सड़क के सम्बन्ध में, बिजली के सम्बन्ध में वोट नहीं लिये गये थे। वहां धर्म के नाम पर वोट लिये गये और सत्ता पर काबिज होने का काम किया गया था, यह प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग जब हिमाचल में फेल हो गया तो मेरी समझ में आया कि इस देश में धर्म के नाम पर, लोकतांत्रिक लोगों के जो मूल्य हैं, उनके आधार पर हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जब राजस्थान में यह प्रयोग किया गया, राजस्थान में वसुन्धराजी के नेतृत्व में परिवर्तन की यात्रा निकाली गई। परिवर्तन की यात्रा के नाम पर जाति और सम्प्रदाय के लोगों को एक तरह से पोलराइज किया गया। इसके पीछे उस संगठन का हाथ रहा जो संगठन मन में राजस्थान में सत्ता की कल्पना करना चाहता है। आज वे सत्ता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है, आप तो अध्यक्ष बन गईं, पार्टी ने आपको निर्वाचित कर लिया, आपको मुबारकबाद। पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को मालूम है, सदस्य कौन बनेंगे मंत्रिमण्डल के, पोर्टफोलियो क्या मिलेगा, कैसे व्यवस्था चल रही है, यह जानकारी तो आपको भी है। इस देश के अन्दर राजस्थान के अन्दर जो प्रयोग किया गया, यह प्रयोग आने वाले 4-5 सालों में यदि यह प्रयोग सफल नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि सरकार तो पांच साल पहले भी थी राजस्थान में, अशोक गहलोत मुख्य मंत्री थे राजस्थान में। विकास उन्होंने क्या करवाया, सड़क इन्होंने क्या बनवाई, पानी की व्यवस्था इन्होंने क्या की, बिजली की व्यवस्था इन्होंने क्या की, शिक्षा की व्यवस्था क्या की इन्होंने, किस नाम के वोट लेकर सत्ता में आये हैं। यह तो कहते हैं कि गवर्नेंस के नाम पर आये हैं। गवर्नेंस तो पांच साल के बाद होगी। पांच साल की गवर्नेंस के बाद वोट लेकर आएं तो समझ

(डा. सी. पी. जोशी)

में आएगा कि वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान में इन्होंने काम किया और लोगों से वोट मांगे। यहां तो वोट होते हैं गवर्नेंस के वोट, ये पांच साल में कौनसे गवर्नेंस में जाकर वोट लेकर आये हैं? जो मैंने आपसे बातें कहीं हैं अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र में चिंता का सवाल है। यह लोकतंत्र में इस बात का सवाल है कि हम अपने हिडन एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कैसे कोर्सेज को इकट्ठा करें और सत्ता में आएं। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में आज 545 में से 162 एम.पी. बीजेपी के हैं, उनके 250 सदस्य नहीं हैं, एन.डी.ए. सरकार बनाई, कौनसा एजेंडा लागू कर रहे हैं? आज वे क्या कर रहे हैं?

धारा 370 खतम कर दी? सिविल कोड का मामला खतम कर दिया? अयोध्या का मामला खतम कर दिया? यह आपका एजेण्डा है उस एजेण्डा को प्राप्त करने के लिए एन.डी.ए. बनाकर हम सत्ता में आये। वही प्रयोग, वही प्रयोग माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर किया गया। राजस्थान का यह प्रयोग, राजस्थान का यह प्रयोग, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह राज्यपाल के अभिभाषण में... (व्यवधान) सुनिये, सुनिये, आपको भी मौका मिलेगा, सुनिये आराम से।

अंधियारे से उजियारे की ओर, अध्यक्ष महोदय, आप भी इस पार्टी का चुनाव लड़ी हुई हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि अंधियारा से उजियारे में प्राथमिकताएं कौन-कौन सी थीं। मैं प्राथमिकताएं हैं इनको पढ़ देता हूं, ठीक रहेगा, कि यह प्राथमिकता का उल्लेख इस गवर्नर की स्पीच में है कि नहीं है। हम लोगों के वोट लेने के लिए आये, कटारियाजी पिछली बार सदन में कह रहे थे, हमने लोगों को, बेरोजगारों को मूर्ख बना दिया, लोगों को विश्वास में लेकर वोट ले लिये, सत्ता में आ गये। आज आपने क्या किया, यह प्राथमकिता है, मैं बताना चाहता हूं प्राथमिकताओं को, याद दिलाना चाहता हूं आपको। पहली प्राथमिकता – 175 करोड़ के किसान कल्याण कोष की स्थापना, मेंशन है इसमें दोबारा पढ़कर बता देना आप लोग। 250 करोड़ का किसान सहायता कोष, इसमें मेंशन है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और बताना चाहता हूं। बीमार के इलाज के लिए 25 करोड़ का किसान जीवन कल्याण कोष, इसमें मेंशन है, अध्यक्ष महोदय?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है।

डा. सी. पी. जोशी : बहुत अच्छा, है तो आप बताना मुझे, आप बोलें तब। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों की भाजपा काल की सुविधा बहाल। राज्य कर्मचारियों की भाजपा काल की सुविधा बहाल। कर्मचारियों की सुविधा क्या थी? माननीय अध्यक्ष महोदय? एल.टी.सी., बोनस, जो हमने हड़ताल की उसका करना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया ? 14 केस जो क्रिमिनल केस थे उनको विथड्रा कर लिया। दीपावली पर हम बोनस देंगे। यह माननीय अध्यक्ष महोदय, वोट मांगने के लिए हमने कहा। यह वोट मांगने के लिए है। हमने लिखा है, राज्य कर्मचारियों की भाजपा काल की सुविधाएं, भाजपा काल की सुविधाएं क्या थीं, यह इनको मालूम है। लेकिन इसमें एक भी मेंशन नहीं है। और धन्यवाद दे दिया चूरू से आनेवाले माननीय सदस्य ने कि सरकार बदलने में कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। धन्यवाद, आपने माना, साहब, कि उनकी भूमिका थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह आपकी प्राथमिकता का इसमें कोई मेंशन नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और बताना चाहता हूं विद्युत वितरण की छीजत को नियंत्रण कर उपभोक्ताओं को अनावश्यक बोझ से मुक्ति। मुझे, घनश्यामजी तिवाड़ी साहब, बहुत खुशी होगी, आप बताएं कि कैसे ट्रांसफर करेंगे इस छीजत को। 52 प्रतिशत छीजत बता दी आपने, उस छीजत की कॉस्ट को आप ट्रांसफर करेंगे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बताऊंगा।

डा. सी. पी. जोशी : उपभोक्ता पर नहीं करेंगे, वह ट्रांसफर करेंगे कम्पनी पर। वह कम्पनी पर ट्रांसफर करके लॉसेज कितने होंगे, लोसेज होने के बाद उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, इसमें आपने मेंशन नहीं किया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वृद्धजनों को मुफ्त चिकित्सा देंगे, उच्च तकनीकी उपकरणों से युक्त मेडिकल सिटी की स्थापना करेंगे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेडिसिटी।

डा. सी. पी. जोशी : हर जिले में महिला बैंक, छात्राओं को सभी स्तर पर मुफ्त गैर तकनीकी शिक्षा, बारह तक नहीं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, आगे भी कर देंगे।

डा. सी. पी. जोशी : वह आप ए.पी.जी. तक, यू.जी. एण्ड पी.जी. तक..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : कहीं मेंशन नहीं है इसमें कि यू.जी. और पी.जी. तक हम शिक्षा मुफ्त करेंगे। आप सुनिये, यह पांच साल का डाकूमेंट है। मैं यह भी निवेदन करूंगा, इसमें लिख रखा है कि यह पांच साल का डाकूमेंट है, यह भी पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 250 करोड़ रुपये का अकाल प्रबंधन, पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता का विकेन्द्रीकरण। एक शब्द नहीं है इस पंचायत राज के लिए। सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, पंचायत राज के सम्बन्ध में एक शब्द नहीं है कि पंचायत सशक्त कैसे करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन, पशु बीमा योजना, रेगिस्तान विकास बोर्ड, रेगिस्तान विकास बोर्ड बनाकर विशेषज्ञ रेगिस्तानी क्षेत्र का दर्जा, गृह कर समाप्त, गृह कर समाप्त कर दिया? सौ दिन की घोषणा है, सौ दिन में घोषणा कर देंगे, गृह कर समाप्त कर देंगे, गृह कर तो आपने समाप्त कर दिया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह इसमें लिखा था कि चालीस दिन में कर देंगे?

डा. सी. पी. जोशी : यह आप जो मैम्बर हैं, नाम भी पढ़ देता हूं मैं, कुछ भी नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप स्वयं जानते हो कि कोई भी घोषणा पत्र होता है वह सरकार का पांच साल का कार्यकाल का एक लक्ष्य होता है। आप अपने घोषणा पत्र को भी देवीजी की फोटो के साथ लेकर एक बार मिलान कर लो, क्या आपने कहा था और क्या उसमें किया है।

डा. सी. पी. जोशी : मुझे बहुत खुशी है, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, यह आपने लिखा है पेज चार के सात पर, सरकार के पांच साल के विकास कार्यक्रम व दिशा-दर्शन का विवरण माननीय सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, यह आपका डाकूमेंट है, गवर्नर से कहलवाया है। यह पांच साल का दिशा-दर्शन है, ये आपकी प्राथमिकताएं हैं। मैंने इसमें देखा कि इसमें मैम्बर कौन-कौन हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि घोषणा पत्र बनाने वाली मैम्बर कमेटी में हरिशंकरजी भाभड़ा, गुलाब चन्दजी कटारिया, घनश्यामजी तिवाड़ी, सुनील भार्गव, डाक्टर रामप्रतापजी, नन्द लालजी मीणा, मदन दिलावरजी, विष्णु मोदीजी, सरोज कंवर। ये आपकी प्राथमिकताएं मैंने नहीं बनाई। यह प्राथमिकता आपने जनता को बांटी हैं और जनता को आपने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो इन प्राथमिकताओं, आपने घोषणा पत्र अलग बनाया, प्राथमिकता अलग बनाई है। मुझे खुशी होती कि जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं का रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं, जो आज पांच साल की आपकी सरकार है, जिस सरकार के आधार पर जनता को कहना चाहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन यह रहेगा, उसका कहीं न कहीं उल्लेख होना चाहिए था। आपकी कुल 61 प्राथमिकताएं थीं, अच्छा होता, उनमें से उन प्राथमिकताओं का जिनका सीधा सम्बन्ध है, आप उसमें मेंशन करते। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, मैं जानता हूं कि जब सरकार में नहीं होते हैं तब हमारे मन में कल्पनाएं अलग होती हैं, जब सरकार में हम आते हैं तब सरकार की क्या बाध्यताएं हैं उनको भी हम समझते हैं। आज शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि मार्च तक पद भर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी महीना चल रहा है जनवरी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मार्च तक।

डा. सी. पी. जोशी : जनवरी चल रहा है, मार्च तक। और आप सब को, माननीय अध्यक्ष महोदय, मालूम है कि लोक सभा भंग होने वाली है, लोक सभा के चुनाव होने वाले हैं, लोक सभा के चुनाव होने के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी, 31 मार्च तक हम प्रयास करेंगे, कैसे भर लेंगे? क्या आपको मालूम नहीं लोक सभा के चुनाव हो रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कि आर.पी.एस.सी. के रिक्विजिशन में कितना टाइम लगता है? क्या

(डा. सी. पी. जोशी)

आपको मालूम नहीं कि कोर्ट का टाइम क्या है? आपको मालूम है कितने पद हैं? लेकिन चूंकि लोगों के बीच में हमें जाकर कहना है कि हम यह काम कर लेंगे, तीस हजार पद भर देंगे, ये बातें कहना है। जिन बातों का सम्बन्ध 2004 तक, मार्च, 2004 तक आप क्या कर सकते थे और अगले पांच साल में क्या करते उनका उल्लेख होता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती और जो विजन होता उसका रिफ्लेक्शन होता तो बहुत ही खुशी होती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको प्रसन्न करना...

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है, यह सारी चीजें जो पिछली सरकार ने की हैं अलग-अलग विभागों में, उनको केवल मात्र कम्पाइल करके कह दिया। काहे की सरकार है?

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, स्टेट के एनुअल प्लान की साइज हमने बढ़ा दी, बढ़ा दी, साहब, बहुत खुशी हुई, स्टेट के एनुअल प्लान की साइज बढ़ी। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, एनुअल प्लान की साइज बढ़ी उसमें माननीय जो हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने क्या कहा, उसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि सरकार तो बदली थी दिसम्बर में और उसके बाद हम प्लान की साइज बढ़ाने के लिए गये थे। प्लान में जो कमेंट्स किये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं—के. सी. पंत साहब ने कहा क्या-

``Utilization of plan funds by the State Government have been satisfactory so far. The more development works in States the better it is.''

This is the certificate given by the Chairman of the Planning Commission Mr. K. C. Pant.

सरकार किस की थी? अशोक गहलोत की। प्लानिंग का मैनेजमेंट कौन कर रहा था? सरकार कर रही थी। इसके इस मैनेजमेंट के आधार पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्लान की साइज बढ़ने में एक राइडर डाला गया है। राइडर यह डाला गया है कि आपको अपने खुद के रिसोर्स मोबिलाइज

(डा. सी. पी. जोशी)

करने पड़ेंगे। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने प्लान की साइज बढ़ाने की बात कह दी और आपने कह दिया कि 1420 करोड़ की हमने प्लान साइज बढ़ा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह दिया, पर 1420 करोड़ रुपये की साइज बढ़ाने के लिए आपने अभी तक प्लान का रिसोर्स क्या मोबिलाइज किया है? प्लान का रिसोर्स मोबिलाइज किया है कि नवम्बर महीने के अन्दर सेल्स टैक्स की बहुत बढिसा रिकवरी हो गई है, यह इनका अचीवमेंट है। नवम्बर महीने में सरकार कांग्रेस की थी, आप बताएं कि दिसम्बर में और जनवरी में आज के दिन तक...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धीरे-धीरे बोलें, समझ में आ जाए थोड़ा, धीरे-धीरे बोलें।

डा. सी. पी. जोशी : अच्छा, कोई बात नहीं है। बीच में वे दो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आराम से बोलो।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती, इसमें विजन में यह बताते हुए कि हमने जो प्लान की साइज बढ़ाई, जिसमें इन्होंने लिखा है कि प्लान की साइज बढाई, कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था कि हम पर कैपिटा इनकम जो कम है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि प्लान की साइज बढ़ेगी एवं राजस्थान में इसका फायदा मिलेगा, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय अभी तक आपने एडीशनल रिसोर्सेज क्या मोबिलाइज किये? आपको जो एडीशनल इंसेंटिव मिला है वह इंसेंटिव भी मिला है पिछली सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट के अच्छे आधार पर। यदि यह सरकार अच्छा फिस्कल मैंजमेंट नहीं करती तो आपको इंसेंटिव कैसे मिलता? आज पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब वहां गये है, वहां जाकर पी. डब्ल्यू. डी. की 2004–05 की एक हजार करोड़ की स्कीम सैंक्शन करा लाये, आपको धन्यवाद। पर यह स्कीम कैसे सैंक्शन हो गई? क्या यह सत्य नहीं है कि दूसरे स्टेट के मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सड़क योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है? आप इसका भी धन्यवाद मत दीजिये। सरकार कोई काम नहीं कर

(डा. सी. पी. जोशी)

रही थी इसलिए सब आपको पैसा मिल गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन की पार्टी सैंटर गवर्नमेंट से पैसा मांगे तो यह तो हमारा अधिकार है, इनकी पार्टी सरकार में आ गई तो इनको उपहार मिल रहा है। यह उपहार है या अधिकार है? यह अधिकार पिछली सरकार ने चार सालों में जो काम किया है रोड सैक्टर में, जो काम किया है बिजली के सैक्टर में, कहां से पैसा मिल गया बिजली के सैक्टर में यदि बिजली जनरेट नहीं करते? यदि व्यवस्था नहीं करते तो बिजली के फण्ड से पैसा कैसे मिलता? रोड सैक्टर में पैसा कैसे मिलता? प्लान की साइज कैसे मिलती? इसका भी श्रेय इस सरकार को नहीं देना चाहते हैं। वह हम कहना चाहते हैं कि नहीं, यह काम तो सब हमने कर लिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 2000 मार्च तक जनता के बीच में...

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह पैसा केन्द्र सरकार ने दिया है आपको। यह केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है।

डा. सी. पी. जोशी : आप पढ़कर आ जाना। पढ़कर आना, ठीक रहेगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी और कहना है मैं आपका समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्रिमिनल आंकड़े कितने थे, क्या-क्या हो गया राजस्थान में पांच साल में, क्राइम की रेट भी इतनी बढ़ गई। अभी तो सरकार बदले कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, क्राइम की रेट कितनी बढ़ी है अपने राजस्थान में, अभी कौन-कौन से क्राइम हुए, उनका भी जिक्र करना ठीक रहेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महिलाओं पर।

डा. सी. पी. जोशी : कि यहां पर कौन-कौन से क्राइम बढ़े हैं, उन क्राइम्स के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। जयपुर में किस तरह के क्राइम बढ़े हैं। एक मुख्य मंत्री महिला बनी हैं उसके बाद किस तरह के क्राइम बढ़े हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब राज्य के जो लोग हैं, प्रेस, जो मेन अखबार हैं...उनमें किसी भी क्राइम की रिपोर्ट नहीं आ रही हो, आप उठा कर देख लें। जब से यह सरकार बनी है तब से लालेसनैस बढ़ गयी है। लोगों का विश्वास उठ

(डा. सी. पी. जोशी)

गया है कि सरकार कानून-व्यवस्था के अन्तर्गत लोगों के साथ न्याय कर पाएगी। जिस तरह की व्यवस्था यहां पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हुई है उसको मुझे कहते हुए तकलीफ है, कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में जो कुछ बातें हमने इसमें लिखी हैं उसके आधार पर यदि हम कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहेंगे तो राजस्थान की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। राजस्थान की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें अपनी मानसिकता में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें अपने टैक्स की रेवेंयू की जो क्लेक्शन है उसका तरीका बदलना पड़ेगा। हमारी आबकारी नीति को बदलना पड़ेगा। क्या यह सरकार आबकारी नीति को बदल सकती हैं? क्या यह सरकार टोल टैक्स की नीति को बदल सकती है? यह सरकार यह काम नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार के सत्ता में आने में इन लोगों की पूरी भागेदारी रही है, इसलिए ये हिम्मत करके राजस्थान में क्राइम कम नहीं कर सकते। ये क्राइम को पैट्रोनेज कर सकते हैं, यह मेरा आरोप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में आपके सामने बातें आएंगी कि किस तरह क्राइम बढ़ा है, क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे क्राइम की व्यवस्था बन रही है। इस सम्बन्ध में मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि समय आ गया है, इस समय के अन्तर्गत यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें जब मालूम ही नहीं था कि राज कैसे आएगा तो भैरोंसिंहजी शेखावत का जो 98 का घोषणा पत्र था, मेरे मन में खुशी हुई कि भैरोंसिंहजी शेखावत के 98 के घोषणा पत्र के बाद जो यह सरकार वसुन्धराजी के नेतृत्व में बनने वाली है उसके घोषणा पत्र में कोई अन्तर आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी-जल्दी में नकल ही तो करनी थी, भैरोंसिंहजी के आइटम को इसमें इनक्लूड करना था। आप 1998 के घोषणा पत्र में से कुछ चीजें देख लें, आज भी इन्हें मालूम नही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें घोषणा कर दी कि हम टैक्निकल यूनिवर्सिटी बचायेंगे और घोषणा पत्र में लिख रखा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मुझे पता नहीं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे और गवर्नर स्पीच में कह दिया कि हम टैक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी तो बनाएंगे ही। जोधपुर के अन्दर विधि विश्वविद्यालय बनाएंगे। इनको मालूम ही नहीं कि

(डा. सी. पी. जोशी)

जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय बन चुका है। लेकिन भैरोंसिंहजी के घोषणा पत्र में ये बातें लिखी हुई थीं, उस घोषणा पत्र को ऐसे के ऐसे जल्दी में लिखा। मैं पढना चाहता हूं, जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय, जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी। यह भैरोंसिंह जी शेखावत का 1998 के चुनावों का है, उसी को आप उठा कर देख लें। आपने जो अभी घोषणा पत्र दिया अंधियारे से उजियारे की ओर, उस अंधियारे के उजियारे में वो ही बातें निकलीं। माननीय अध्यक्ष महोदय इतनी जल्दी में इनको तो कम्पाइल करना था, राज आने की सम्भावना थोड़े ही थी। इनको तो किसी तरह सत्ता में आने का काम करना था, यह काम कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी भी बोलेंगे, परन्तु राज्यपाल महोदय ने जो आखिरी बात कही है उस पर ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, "हमारी मंत्रणा में, समितियों में, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, सदभावना हो, विषमता और दुर्भावना न हो।" माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में इच्छा थी कि इस सरकार के सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहूं। मेरे मन में एक कल्पना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संस्कृत में पढ़ो आप। संस्कृत में पढ़कर हृदय में मनन करके अर्थ करो इसका।

डा. सी. पी. जोशी : हां, इसको भी करूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में कल्पना है, आज राजस्थान में आप भी जानते हैं कि राजस्थान की पूरी इकोनोमी एनीमल हस्बेंडरी बेस्ड है। हमने 50 साल मे डवलपमेंट करके सारी एग्रीकल्चरल बेस इकोनोमी बनाने की कोशिश की। क्या 50 साल में हमारे मन में यह कल्पना नहीं हो रही है कि राजस्थान में पानी विशेष एक बहुत ही कीमती चीज हो गयी है, इस पानी को हम खेती के काम में लेंगे, इस पानी को हम पीने के काम में लेंगे, इस पानी को किस-किस काम में लेंगे। यदि राजस्थान की इकोनोमी के सम्बन्ध में आपने यहां चर्चा नही की, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आने वाली सदी हमें माफ नहीं करेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सामंत साहब की सैक्रेटरी

(डा. सी. पी. जोशी)

लेवल पर एक कमेटी बनाकर सारे पानी के महकमों को एक साथ किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, पर इसके साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार देती है, राजस्थान में आज आवश्यकता है कि हम किसानों को मोटिवेट करें कि किसान कम पानी की कौन-सी फसल पैदा करे। उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे तो किसान डाइवर्ट होगा उस तरफ खेती करने के लिए, जहां पर पानी की ज्यादा आवश्यकता हो उस तरफ खेती करने के लिए डाइवर्ट नहीं होगा। पंजाब में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पंजाब के जो मुख्य मंत्रीजी हैं उन्होंने देखा कि पंजाब में पानी बहुत ज्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो उन्होंने पहली बार हिम्मत करके कहा, यदि पंजाब के किसान को आगे बढ़ाना है तो पंजाब के किसान को क्रोप पैटर्न को बदलना पड़ेगा। यह साहस किया पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने। आज राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को भी यह साहस करना पड़ेगा, राजस्थान में यदि हमें इकोनोमी सुधारनी है, पानी का जुडीशियस उपयोग हम कैसे करें। नहीं तो आने वाले समय में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की भयंकर समस्या पैदा हो जाएगी। राजस्थान कैनाल जिसकी हमने एग्रीकल्चरल के लिए कल्पना की थी, आज वो कैटर कर रही है। केवल मात्र राजस्थान की ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था के लिए इसलिए आवश्यकता है कि हम कैसे इस पानी के सम्बन्ध में राजस्थान में अगले पचास साल की योजना बनाएं जिससे किसान पानी का उपयोग भी कर सके। उसकी इकोनोमी सैटल नहीं हो, लेकिन उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके उस फसल का जिसको कम पानी में उगा सके, यदि यह हम काम कर सके तो इसका बहुत बड़ा इफैक्ट पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के सम्बन्ध में कटारियाजी की भावना से मैं सहमत हूं और मुझे खुशी है। आप राजीव गांधी पाठशाला को क्रिटिसाइज करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप घोषणा करें, कि एक किलोमीटर की डिस्टेंस में हम व्यवस्था करेंगे। पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में विरली ही कोई जगह बची होगी जहां एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है। यह राजीव गांधी पाठशाला

(डा. सी. पी. जोशी)

पांचवीं क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाने की व्यवस्था है। आप जानकारी कर लें, ठीक कर लें। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निश्चित तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, जो अजीम प्रेमजी हैं उनकी इस बात को मैं जरूर कोट करना चाहता हूं कि राजस्थान में यदि हमें हमारी इकोनोमी को सुधारना है, जी.डी.पी. को हमें बढ़ाना है तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डवलमेंट है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं यहां कोट करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन आपकी परमीशन से, जो अजीम प्रेमजी हैं इन्होंने क्या बातें कहीं, वो आपके नोटिस में जरूर लाना चाहता हूं—

"For sure, there needs to be millions of actions and factors on the ground for this scenario of economic transformation to become reality. Infrastructure development, geopolitical stability, fiscal discipline, healthcare, access to water are just a few of these factors. But the one factor that will crucially determine whether we seize this moment in history as our own or fritter it away is how we deal with the education of our children."

उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दो बातें कही हैं—एक तो उन्होंने कहा है, Quality of learning and accessibility.

ये दो बातें उन्होंने कही हैं, यदि हम राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं आंकड़े लेकर आया हूं, इस बात की तो खुशी है कि आपने भी प्रयत्न किये, हमने भी किये, आज मेल शिक्षा में राजस्थान आगे हैं, गर्ल्स चाइल्ड शिक्षा में भी...

श्री जोगेश्वर गर्ग : आठवीं पास मास्टर लगाकर आपने क्वालिटी आफ लर्निंग तो बढ़ा दी।

डा. सी. पी. जोशी : आपकी जानकारी के लिए फिर करैक्ट कर लें, 23 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं में मात्र 1300 आदमी आठवीं पास हैं, बाकी सब बी. एड. और एस. टी. सी. हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : 1300 कम होते हैं क्या?

डा. सी. पी. जोशी : शिक्षाकर्मी में तीन हजार हैं, ध्यान रखना। आपकी सरकार ने शिक्षाकर्मी चलायी है उनमें तीन हजार आदमी आठवीं पास हैं, तब ध्यान नहीं दिया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : शिक्षाकर्मी की क्वालिटी चैलेंज करता हूं मैं, देख लीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : गांव में जाकर चैलेंज कर लीजिये। ऐसे नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 6 से 14 साल के कुल एक करोड़ दस लाख बच्चे हैं उनमें से 62 लाख 80 हजार बच्चे हैं और 47 लाख 53 हजार बच्चियां हैं। पर क्लास नाइंथ टू टैंथ में आकर यह रेशो छात्र का 7.56 लाख है और बच्चियों का है 2.99, नवीं और दसवीं का। इलेवंथ और ट्वेल्थ में हम देखे तो 3.48 बॉयज का है और 1.37 बच्चियों का है। इसका मतलब राजस्थान में एक करोड़ दस लाख जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनमें से 12वीं क्लास तक केवल मात्र 4 लाख 86 हजार बच्चियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बुक बैंक चला दें, बुक का इंसेंटिव दे दें, इससे राजस्थान का भविष्य नहीं सुधरेगा। राजस्थान के भविष्य को सुधारने के लिए, आप मुझसे डिफर कर लें, आप स्कीम लागू कर दें, पर कैसे राजस्थान में ये जो बच्चे हैं एक करोड़ 10 लाख जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, जिसमें एस. सी. और एस. टी. का तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि अनुसूचित जाति को तो केवल मात्र 9.14 लाख बच्चियां है और अनूसूचित जनजाति की 6.33 लाख बच्चियां हैं। यदि राजस्थान में हमें इन वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना है तो महाराष्ट्र पैटर्न की बात कर लें या शिड्यूल्ड एरिया के अलावा जो आदिवासी हैं उनके भले की बात कर लें या इंडिविजुअल बेनीफिशियरीज की स्कीम की बात कर लें या सड़क बनाने की बात कर लें, बिजली पहुंचाने की बात कर लें, ऐजुकेशन एसेसेबिलिटी के साथ क्वालिटी आफ ऐजुकेशन एस. सी. एस. टी. के बच्चों को हम कैसे दें, जिससे आने वाले समय में वो अपना जीवन स्तर बढ़ा सकें और कह सकें कि सरकार जो आयी है लोकतंत्र में उसने हमारा जीवन सुधार करके हमारा क्वालिटी आफ लाइफ सुधारने का काम किया है। यह बड़ा काम है, यह कठिन काम है, यह दुरूह काम है। आपके विजन में हो या न हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, पर मेरी इच्छा है कि आपके विजन के अन्दर यह कल्पना साकार होनी चाहिए कि राजस्थान को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो एक ही तरीका बचता है वो यह तरीका बचता है

(डा. सी. पी. जोशी)

कि हम कैसे इन चीजों के सम्बन्ध में आगे बढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और आपके सामने कोट करना चाहता हूं—

"In 2016, India will have two–fifths of the population as voters in the 19-39 bracket........"

मैं अनकोट कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में 19 से 39 के ब्रेकिट की वन फिफ्थ पापुलेशन होगी।

".....Society will go through a psychological evolution hinging on their aspirations. Even our Parliament and State Assemblies will look different from the old-age homes they look like now"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्रेकिट है 19 से 39 साल का, इस ब्रेकिट एस्पीरेशन को ठीक करने के लिए इसमें कोई विजन है? आपने विजन की कल्पना की, पांच साल हम क्या करना चाहते हैं, पांच साल में हम इस पापुलेशन एस्पीरेशन के सम्बन्ध में कल्पना नहीं करें? उनको कम्प्यूटर विषय पढ़ाना चाहेंगे, उसमें कमियां और खामियां हो सकती हैं। कम्प्यूटर शिक्षा मुफ्त कर देंगे, मुफ्त कर दें पर क्या ये 19 से 39 साल के बच्चों के भविष्य के लिए आपके मन में कोई कल्पना नहीं है? कैसे हम कल्पना को साकार करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसमें सौ करोड़ के कोरपस का मेंशन नहीं है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, पता नहीं अपने घोषणा पत्र से कह रहे थे या विजन से जो इन्होंने मुख्य मंत्रीजी या इनको दिया होगा उससे कह रहे थे। इसके अन्दर कोई मेंशन नहीं है पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, एम. एस. एस. का सर्वे कहता है कि यहां पर जो 21 परसेंट पापुलेशन है वह रूरल अनएम्प्लायमेंट की है और 13 परसेंट अरबन पापुलेशन की है। अब आप बताएं, आप बेरोजगारी भत्ता किसको देंगे? गांव का वह गरीब नौजवान आदमी जिसको पढ़ने का अवसर नहीं मिला उसके बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करेंगे या शहर में जो बी. ए. पास बेरोजगार घूम रहा है उसके बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करेंगे? केवल मात्र वोट लेने के लिये। आपको मालूम ही नहीं है कि यदि हमें रूरल इलाके में बेरोजगारी दूर करने की बात करनी है तो महाराष्ट्र की तरह हमें रोजगार गारंटी स्कीम की कल्पना करनी पड़ेगी। जब तक हम

(डा. सी. पी. जोशी)

यह कल्पना नहीं करेंगे, रूरल का जो नौजवान आदमी है, जो नौजवान खेती करता है उसको रोजगार के साधन नहीं मिलेंगे। जो शहर के 13 परसेंट लोग हैं उनके लिये लिखा, माननीय अध्यक्ष महोदय-

The latter fear more by the politicians because of its.......

शहर के नौजवान आदमी के सम्बन्ध में हम बातें करें लेकिन गांव का नौजवान आदमी बेरोजगार घूमे, उसके सम्बन्ध में हम कल्पना नहीं करें, यह बेरोजगारी का आपका विजन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है कि किस तरह की कल्पना करके हम आगे जाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से अंत में निवेदन करना चाहता हूं, जिस पर भी आज गम्भीरता से चर्चा करें। मैं भी दिल्ली गया था, वेंकैया नायडू जी रूरल मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्रीजी वहां पर एड्रस करने के लिये आये थे ग्राम सभा से लोक सभा तक। उन्होंने मीटिंग की थी। इस सरकार के मन में पंचायती राज की कल्पना नहीं है। हम फार्चुनेट हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज 73वां और 74वां अमेंडमेंट हो गया। आज भारत सरकार में जो हमारा कांस्टीट्यूशन बना हुआ है उस कांस्टीट्यूशन में केवल मात्र तीन तरह का शिड्यूल बना हुआ है कि सेंट्रल लिस्ट क्या बनी हुई है, स्टेट लिस्ट क्या बनी हुई है, कांकरेंट लिस्ट क्या बनी हुई है, लेकिन वहां पंचायती राज की कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। यदि हम चाहते हैं कि पंचायती राज के माध्यम से लोगों के जीवन में हम कल्पना करें, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें तो समय आ गया है कि हम भारत सरकार से मांग करें कि जिस तरह से संविधान में कांकरेट लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, सेंट्रल लिस्ट बनी हुई है उसी तरह से पंचायती राज की भी लिस्ट बननी चाहिये। पंचायती राज की लिस्ट बने, उसमें काम करने वाले आदमी हों...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने आधे घंटे के लिये कहा था, इनका भाषण 5-10 मिनट का हो तो आप समय बढाइए। (व्यवधान) बढाने के लिये कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : समय इनका भाषण खतम होने तक बढ़ गया था, आधा घण्टा थोड़े ही बढ़ाया था। इनका भाषण कंटीन्यू रहेगा, आप इंटरप्ट कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आप कनक्लूड करने की कोशिश करें, आप कनक्लूड करें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज में जो 73वां अमेंडमेंट है वह हमें एक मौका देता है नई सर्विस कंडीशन बनाने का। आज आपकी सरकार है, आप 30 हजार जॉब की बात कर लें, पर इस देश में एस्टेब्लिशमेंट कास्ट इतनी ज्यादा है कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां हैं वे आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे नये सिरे से। जिस तरह से गवर्नमेंट आफ इण्डिया में काम करने वाले एम्प्लाई की सर्विस कंडीशन अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले आदमी की सर्विस कंडीशन अलग है, वैसे ही पंचायत में काम करने वाले आदमियों की सर्विस कंडीशन अलग बने जिससे हम कर सकें। प्राइमरी ऐजुकेशन का काम किया होगा...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि आप पंचायत मंत्री रहे हैं और मैं भी रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। आपने सर्विस कंडीशन की बात कही वह बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको क्या पता है...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न तो नहीं पूछिए, प्रश्न के अलावा कुछ इंफोरमेशन देना चाहें तो वह दे सकते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : क्वेश्चन नहीं है इंफोरमेशन सीक कर रहा हूं, जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। क्या आपको पता है, हमारी सरकार ने, 98 तक जो हमारी सरकार थी हमने, रूरल डवलपमेंट सर्विसेज बनाने की घोषणा ही नहीं की उसकी क्रियान्विति शुरू कर दी थी? लेकिन आपने आते ही उसको रोक दिया, 5 साल तक नहीं किया और आज आप यहां भाषण दे रहे हो हमको।

डा. सी. पी. जोशी : अब कर लेना, आपको मालूम ही नहीं क्या हुआ है? आपने जो स्कीम बनाई, सुनना चाहते हो न कड़वी बात! (व्यवधान) सुनिए, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, 96 अमैंडमेंट एक्सटेंड एक पंचायती राज का भारत सरकार ने 96 में पास कर दिया। 96 के अंतर्गत एक क्लाज डाला था कि एक साल में आपने रेलेवेंट क्लाज में परिवर्तन नहीं किया तो एक्स्टेंडेड लागू होगा। शिड्यूल्ड एरिया में 96 के एक्सटेंड को आपने लागू किया था, आप तो पंचायती राज मंत्री थे न।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह नहीं है, यह इसलिए हुआ था इसका सारे स्टेट ने विरोध किया था।

डा. सी. पी. जोशी : संविधान में संशोधन हो गया उसकी क्या बातें कर रहे हैं आप?

डा. एन. एस. गुर्जर : आप मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे हैं तो सारी स्टेट ने इसलिए विरोध किया था, एक्चुअली में जो पूर्वी उत्तरी राज्य थे उनके लिये यह एक्सटेंशन आफ शिड्यूल्ड एरियाज एक्ट बना था। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रभावित हो रहे थे, उससे हमारी इकोनोमी पर एडवर्स इफैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि उन एरियाज में न माइंस पर, न वन पर, न और किसी पर राज्य सरकार का कोई अधिकार रह जाता। इसलिए सारे राज्यों ने मिलकर केन्द्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करने के लिये कहा था।

डा. सी. पी. जोशी : अब करवा लेना।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप सुनिए, आपने उठाया तो बोल रहा हूं। इसलिए इसमें देरी हुई। और लगातार हर मीटिंग में हम इसी को उठाते रहे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया तो उसके बाद हमने ही, सारी स्टेट ने, मिलकर उस लॉ को बनाकर उसको पुटअप किया, हमने ही पास किया। आपने आते ही केवल उसकी घोषणा कर दी और आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : क्या घोषणा कर दी? भाषण दे रहे हैं आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : मेरे पास डाकूमेंट मौजूद हैं, मैं बता दूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई, इस सरकार की प्रायोरिटी ई-गवर्नेंस है। अध्यक्ष महोदय, आज आई. टी. का जितना परिवर्तन हुआ है, आज समय आ गया, मेडिकल के क्षेत्र में टेली मेडिसिन की व्यवस्था उपलब्ध हो गई। टेली मेडिसिन से हमारे जयपुर की जो बैस्ट एक्सपरटाइज अवेलेबल है यदि हम उसको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के साथ लिंक कर दें तो बैस्ट एक्सपर्ट की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के साथ उपलब्ध हो सकती हैं। यदि हम वहां की पी. एच. सी. को हमारे सब सेंटर से लिंक कर दें तो उसकी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में कल्पना है, सरकार

(डा. सी. पी. जोशी)

सोचे, यदि हम टेली मेडिसिन के माध्यम से राजस्थान की हैल्थ सर्विसेज को जोड़ना चाहें तो मैं समझता हूं राजस्थान की हैल्थ सर्विसेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आने वाले समय मे जो बैस्ट डाक्टर उपलब्ध हैं उनका गांव के गरीब आदमी को भी लाभ मिल सकेगा। इस सम्बन्ध में भी चर्चा की जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं या तो मेरी जानकारी ठीक नहीं है या पता नहीं मैं मेवाड़ के जिस क्षेत्र से आता हूं, माननीय कटारिया जी मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं, मुझे पता नहीं क्या बात हो गई, या मावली से आने वाले माननीय सदस्य के मन में कुछ कल्पना है लेकिन हमारी नेता सोनिया जी के करकमलों से हमने बागरी की नाका की योजना का शिलान्यास करवाया। इस योजना का उसमें कोई मेंशन नहीं है। आप उसको लागू करें या नहीं करें पर उसके बारे में भी चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, गुलाब चंदजी कटारिया जो मेवाड़ से आने वाले हैं, आपके मन में कल्पना है, वर्षो से आप संघर्ष करते रहे, मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना आपकी प्राथमिकता में होनी चाहिये। मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना का इसमें कोई मेंशन ही नहीं है पर्यटन नीति में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : एक सैकण्ड, मेवाड़ काम्प्लेक्स पूरा का पूरा ही केन्द्र सरकार ने अपने पास ले लिया है और सारा विकास वही कर रहे है। उनके पास सारा अपने जो तीनों स्थान हैं वे उन्होंने ले लिये हैं और पूरा विकास का जिम्मा भी उन्होंने ले लिया।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं उस विधान सभा क्षेत्र में करीब 30 हजार आदिवासी हैं, गोगुन्दा में भी हैं, मावली में भी हैं, शिड्यूल्ड एरिया से बंधा हुआ है, उसका कोई भी लाभ हमारे इलाके के आदिवासियों को नहीं मिलता है। जैसा प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उन सब की भावनाओं से अवगत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दो तरह के आदिवासी मेवाड़ में नही हो, इसलिए मेहरबानी करके जो माडा और जो आपकी स्कीम के नियम बने हुए हैं, 50 परसेंट पापुलेशन का

(डा. सी. पी. जोशी)

बना हुआ है, उसमें उन सब आदिवासियों को शामिल करें। वह चाहे गोगुन्दा में रहता है, चाहे नाथद्वारा में रहता है, चाहे वह कुम्भलगढ़ में रहता है, चाहे वल्लभनगर में रहता है, चाहे बड़ी सादड़ी में रहता है, उस आदिवासी को भी वही लाभ मिलना चाहिये जो आपके ट्राइबल सब प्लान के लोगों को मिलता है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी यह सरकार निश्चित तौर पर कोई निर्णय करेगी जिससे आने वाले समय में महाराणा प्रताप के साथ जो आदिवासी लड़ा था उसकी जनरेशन के लोग भी कह सके कि आदिवासियों के लाभ का हमने कोई काम किया।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार ने जो विजन बनाया है वह विजन वही विजन होगा जो माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन है। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्रीजी अटल बिहारी वाजपेयी इनके मास्क हो सकते हैं पर देश को आगे बढ़ाने के लिये काम कर रहे है। शायद वसुन्धराजी भी राजस्थान में इन लोगों को साथ लेकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने की कल्पना करेंगी। ऐसी मन में कल्पना लेकर हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में नई सदी में राजस्थन विन-विन सिचुएशन में हो, यह भी सरकार करे। सरकार चलाये और अपना श्रेय लें, हम भी अपोजिशन में हैं, हम भी अपना विरोध करें। विन-विन सिचुएशन में सकारात्मक सोच के आधार पर इस राजस्थान को नई सदी में आगे बढ़ाने की कल्पना करें, ऐसी मेरे मन में कल्पना है। अध्यक्ष महोदय, जब तक यह कल्पना साकार नहीं हो तब तक राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और जिसका समर्थन चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने लिखा है, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक कल बुधवार, दिनांक 21.1.2004 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.38 बजे बुधवार, 21 जनवरी, 2004 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

गोगुन्दा (उदयपुर) के आदिवासी क्षेत्र को अनुसूचित जाति उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव

4. **श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर की आदिवासी बाहुल्य तहसील गोगुन्दा को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि तहसील गोगुन्दा को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये थे एवं अतिरिक्त सूचना भी भारत सरकार को भेजी गई थी? यदि हां, तो कब व इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति बाहुल्य तहसील गोगुन्दा की कुल जनसंख्या 105282 है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 41796 है जो कुल जनसंख्या का 39.70 प्रतिशत ही है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किये जाने वाली पंचायत समिति/तहसील की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

(2) जी हां। यह सही है तहसील गोगुन्दा को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रस्ताव विभागीय पत्र संख्या एफ. 5(3) (1) माडा लघु/टीएडी/94-95 दिनांक 23.1.1995 को भारत सरकार को भिजवाये गये थे। भारत सरकार द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचना भी विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 10.4.1996 द्वारा भिजवा दी गई है।

अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में प्रवेश

5. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को इस वर्ष में प्रवेश देने के लिये चयन परीक्षा कब आयोजित की गई? परीक्षा होने के कितने समय बाद तक परिणाम घोषित किये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या परिणाम घोषित कर दिया गया? यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तथा कुल कितने विद्यार्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक परिणाम घोषित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिये इस बार प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया दिनांक 24.08.2003 को आयोजित की गई। परीक्षा परिणाम सचिव राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, जयपुर के अनुमोदन के पश्चात् ही घोषित किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी, हां। इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 7 व 8 में कुल 277 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है व प्रवेश के लिये लक्ष्य 436 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया था।

(3) जी, नहीं। परीक्षा परिणाम दिनांक 5.1.2004 को जारी किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नेशनल हाईवे नम्बर 76 का निर्माण

6. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नेशनल हाइवे नम्बर 76 का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। यदि हां, तो यह विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कहां–कहां होकर निकलेगा?

(श्री हेमराज मीणा)

(2) क्या नेशनल हाईवे नम्बर 76 पर योजनानुसार सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नेशनल हाईवे नम्बर 76 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में पड़ने वाले कौन-कौन से कस्बों में बाइपास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है?

(4) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में उक्त हाइवे निर्माण हेतु किन-किन कस्बों व गांवों की कितनी-कितनी कृषि व आवासीय भूमि अवाप्त की जावेगी? विवरण मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। नेशनल हाईवे नम्बर 76 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के अधीन है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

जिला हनुमानगढ़ में नवीन विद्यालयों का निर्माण एवं क्रमोन्नयन

7. **श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

क्या सरकार ने नये स्कूल खोलने एवं क्रमोन्नत करने के कोई मानदण्ड निश्चित किये हैं? यदि हां, तो मानदण्डानुसार जिला हनुमानगढ़ में कब तक स्कूल खोल दिये जावेंगे तथा क्रमोन्नत कर दिये जावेंगे?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार बजट प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के खोलने/क्रमोन्नत हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार कर विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत

(शिक्षा मंत्री)

करने की स्वीकृति दी जाती है। हनुमानगढ़ जिले में नये विद्यालय खोलने/क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ बजट प्रावधान उपलब्धता के आधार पर सम्भव हो सकेगा।

राज्य के विद्यालयों में रिक्त पद

8. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के जिलेवार कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) रिक्त पदों वाले विद्यालयों में अध्यापन की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है?

(3) जिन विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है वहां अप्रशिक्षित अध्यापक को लगाने की सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में माध्यमिक शिक्षा में संस्था प्रधानों एवं अध्यापकों की जिलेवार रिक्त पदों की संख्या सूची परिशिष्ट "क" पर तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की जिलेवार रिक्त पदों की संख्या सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर भरे जा सकेंगे। वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद विभागीय पदोन्नित समिति से एवं माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटने पर भरे जा सकेंगे। अध्यापकों के रिक्त पद माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन हटाये जाने पर भरे जा सकेंगे।

(2) व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापकों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैक्ल्टी योजना तथा शैक्षिक व्यवस्था के तहत अध्यापन की व्यवस्था है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) अप्रशिक्षित अध्यापकों को लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

परिशिष्ट—क

सन्दर्भ तिथि 1.12.2003

क्रंसं	जिले का नाम	प्राचार्य	प्रधाना-ध्यापक	व्याख्याता	अध्यापक	अध्या-पक
1	2	3	4	5	6	7
1.	चूरू	21	34	175	264	105
2.	बीकानेर	9	23	144	245	63
3.	गंगानगर	21	31	126	137	76
4.	हनुमानगढ़	25	33	111	204	78
5.	झुंझुनूं	10	16	204	175	127
6.	जयपुर	10	20	197	327	224
7.	भरतपुर	3	8	139	152	96
8.	अलवर	18	2	266	234	199
9.	सीकर	12	18	214	248	234
10.	दौसा	5	5	59	97	63
11.	धौलपुर	6	5	19	84	79
12.	जोधपुर	10	32	188	227	113
13.	पाली	10	21	138	81	185
14.	सिरोही	5	22	75	64	83
15.	जालौर	14	34	99	172	114
16.	बाड़मेर	9	37	142	170	77
17.	जैसलमेर	6	10	43	56	11
18.	कोटा	5	5	67	43	104
19.	झालावाड़	8	6	120	97	87
20.	बून्दी	5	5	41	69	55
21.	बारां	12	11	85	69	52

1	2	3	4	5	6	7
22.	करौली	5	11	32	71	52
23.	सवाई माधोपुर	8	10	42	89	54
24.	उदयपुर	3	47	176	254	107
25.	बांसवाड़ा	–	26	133	127	103
26.	डूंगरपुर	2	28	132	66	64
27.	राजसंमद	3	36	157	162	51
28.	चितौड़गढ़	8	26	198	204	90
29.	अजमेर	5	14	141	250	94
30.	नागौर	16	37	310	392	178
31.	भीलवाड़ा	5	55	141	313	91
32.	टोंक	4	8	138	155	72
योग		283	696	4252	5298	3181

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले	रिक्त पद प्र.अ	तृतीय श्रेणी	शा.शि
1	2	3	4	5
1	अलवर	117	57	93
2.	धौलपुर	15	373	4
3.	भरतपुर	69	726	16
4.	सीकर	56	643	2
5.	दौसा	42	267	18
6.	जयपुर	243	1341	90
7.	उदयपुर	64	835	60
8.	चितौड़गढ़	136	1078	2
9.	बांसवाड़ा	25	515	15
10.	डूंगरपुर	9	265	3
11.	राजसंमद	35	650	6

1	2	3	4	5
12.	अजमेर	179	895	29
13.	भीलवाड़ा	106	465	23
14.	नागौर	134	1138	65
15.	टोंक	60	500	33
16.	कोटा	39	325	2
17.	बूंदी	–	388	–
18.	बारां	21	229	14
19.	झालावाड़	13	675	12
20.	करौली	38	343	1
21.	सवाईमाधोपुर	6	219	5
22.	बीकानेर	158	802	29
23.	चूरू	101	654	–
24.	झुंझुनूं	180	638	–
25.	हनुमानगढ़	71	361	12
26.	श्रीगंगानगर	146	927	73
27.	जोधपुर	14	604	7
28.	जालौर	36	816	58
29.	जैसलमेर	11	554	25
30.	पाली	47	640	20
31.	सिरोही	16	417	66
32.	बाड़मेर	25	1359	6
		2212	28999	800

वरीयता सूची में चयनित अध्यापकों की नियुक्ति

9. **श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हेतु वरीयता सूची बनाई गई थी?

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त वरीयता सूची पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 30 जुलाई 2002 व माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 द्वारा इन्हें नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे व उपरोक्त की अनुपालना में प्रारम्भिक शिक्षा विधि प्रकोष्ठ विभाग द्वारा अपने आदेश संख्या एफ. 13 (244) प्रा.शि वि.प्र./99 जयपुर दिनांक 1 जुलाई, 2003 द्वारा इनकी नियुक्ति कर अनुपालना 15 जुलाई 2003 तक सुनिश्चित करने को कहा गया था?

(3) क्या उपरोक्त आदेशों की अनुपालना हो गई? यदि नहीं, तो माननीय सर्वोच्च व उच्च न्यायालय तथा विभागीय आदेशों की अनुपालना नहीं किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 30-07-02 को पारित किया गया। दिनांक 10-10-2002 का माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय नियुक्ति प्रदान करने से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-07-2002 की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आदेश दिनांक 10-10-2002 से निर्देश दिए गए। जी हां। दिनांक 1-7-2003 को आदेश जारी कर दिनांक 15-7-2003 तक नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

(3) जी नहीं। एक अन्य रिट याचिका शम्भुदयाल व अन्य बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 18-9-2003 को निर्णय पारित कर यह आदेशित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30-7-2002 के क्रम में मात्र उन्हीं को राहत दी जानी है जो दिनांक 18-11-1999 से पूर्व माननीय न्यायालय में आ चुके थे, ऐसे अभ्यार्थी जो न्यायालय में नहीं आये हैं उनके लिए वरीयता सूची को नवीन तरीके से नहीं खोला जाना चाहिए। अन्य निर्णय के क्रम में अभ्यावेदन भी इस निर्णय के अनुरूप निष्पादित किये जावे।

जिला अलवर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

10. **श्री रमेश खींची (कठूमर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में शिक्षकों के विभिन्न श्रेणी के कितने पद कब-कब से व किस-किस विद्यालय में रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 100 दिन की योजना के तहत रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं?

उत्तर

(1) अलवर जिले में शिक्षकों के विभिन्न श्रेणी के विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध कराने पर तथा वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद माननीय न्यायालय द्वारा रोक हटने पर ही भरे जा सकेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा

11. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय कब लिया गया और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई?

(2) प्रत्येक विद्यार्थी से कम्प्यूटर शिक्षा के लिये कितना शुल्क लिया जाता है और राज्य में माध्यमिक शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा का दायित्व निर्वहन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? इस जिम्मेदारी को प्रदत्त करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। इस सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षण के लिये शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(4) क्या सरकार विद्यार्थियों से लिये जा रहे कम्प्यूटर शिक्षण शुल्क को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य के चुने हुये विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। उक्त निर्णय के अनुसरण में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा लागू करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा वर्ष 2000-01 से राज्य के जिला/उपखण्ड/पंचायत समिति/नगरपालिका मुख्यालयों पर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा स्ववित्त घोषित आधार पर लागू करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा सम्बन्धित कम्प्यूटर एजेंसियों के साथ दिनांक 27/12/2000 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। प्रक्रिया में हुये विलम्ब एवं शिक्षा सत्र के निकल जाने के कारण राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा राज्य के ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें विज्ञान अथवा वाणिज्य संकाय संचालित है, में वर्ष 2001-02 से कम्प्यूटर शिक्षा लागू करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं चयनित कम्प्यूटर एजेंसियों के बीच दिनांक 18-5-2001 को पूरक अनुबन्ध किया गया। इस अनुबन्ध के तहत राज्य के 624 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा स्ववित्त घोषित आधार पर वर्ष 2001-2002 से संचालित है।

राज्य के शेष माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें विद्युत कनेक्शन एवं कक्षा 9 से 12 तक की कुल विद्यार्थी संख्या 50 या इससे अधिक हैं, ऐसे विद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के माध्यम से वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाकर जिलों की उक्त श्रेणी के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा लागू की गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रति विद्यार्थी से कम्प्यूटर शिक्षा के लिये 50 रु. प्रति माह, 12 माह हेतु कुल 600 रु. प्रतिवर्ष किया जाता है।

राज्य के 624 उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें विज्ञान अथवा वाणिज्य संकाय संचालित हैं, में कम्प्यूटर शिक्षा के क्रियान्वयन का दायित्व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तथा राज्य के शेष माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कम्प्यूटर शिक्षा इस शैक्षिक सत्र से प्रारम्भ की गई है, में कम्प्यूटर शिक्षा के क्रियान्वयन का दायित्व निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं इनके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को जिम्मेदारी प्रदान की गई है।

कम्प्यूटर शिक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं कम्प्यूटर शिक्षा एजेंसियों के मध्य हुये अनुबन्धों की प्रतियां परिशिष्ट "क" पर तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के अधीन जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कम्प्यूटर एजेंसियों के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रतियां परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। कम्प्यूटर शिक्षा योजना स्ववित्त पोषित योजना के आधार पर संचालित होने व कम्प्यूटर एजेंसियों के साथ तदनुसार किये गये अनुबन्ध के कारण कम्प्यूटर शिक्षण शुल्क को समाप्त करने का फिलहाल विचार नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के सड़क विहीन ग्राम

1. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर में किस-किस पंचायत मुख्यालय का गांव दूसरी पंचायत मुख्यालय के गांव से सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत मुख्यालयों के गांवों को अब कब तक सड़क से जोड़ दिये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित पंचायत मुख्यालय का गांव दूसरे पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़ा हुआ है

1. मेहरासर उपाधियान
2. मेहरी राजवियान
3. कीकासर
4. बेजासर

(2) उक्त पंचायत मुख्यालयों के गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु कीकासर एवं बेजासर पंचायत मुख्यालय के गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पेज तृतीय में स्वीकृत है, मेहरासर उपाधियान व मेहरी राजविधान डामर सड़क से तो जुड़े हुए है लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के दूसरे पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़े हुए है न ही अभी तक इनको दूसरे पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की कोई योजना है तथा डामर सड़क से जुड़े होने के कारण ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित करना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

2. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में गत पांच वर्षों में मिसिंग लिंक सड़कों के कौन–कौन से कार्य कब–कब स्वीकृत हुए ? कब–कब उनके टेण्डर हुए, कब कार्यादेश जारी हुए और कार्य पूर्ण करने की क्या अवधि निश्चित की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों के टेण्डर और कार्यादेश जारी होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से कार्य शुरू नहीं किये गये हैं अब उक्त कार्य कब तक शुरू हो जायेंगे ?

(3) उक्त कार्य किन–किन ठेकेदारों को शुरू करने थे और निश्चित समयावधि में काम शुरू नहीं करने के क्या कारण थे ?

(4) क्या सरकार कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में गत पांच वर्षों में परिशिष्ट "क" के अनुसार तीन मिसिंग लिंक सड़क के कार्य दिनांक 4.9.2003 को स्वीकृत किये गये। इन कार्यों के टेण्डर दिनांक 25.9.2003 का आमंत्रित किये गये तथा कार्यादेश दिनांक 12.12.2003 को जारी किये गये। कार्य पूर्ण करने की अवधि 6 माह है। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) नहीं। सभी कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

कार्य का नाम	कार्य आदेश	वास्तविक प्रारम्भ तिथि
(अ) उदासर से बुकनसर	5174 दिनांक 12.12.2003	7.1.2004
(ब) जैतसीसर से रायपुरा	5183 दिनांक 12.12.2003	7.1.2004
(स) बुकनसर छोटा गाजुसर	5192 दिनांक 12.12.2003	7.1.2004

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उक्त कार्य जिन-जिन ठेकेदारों को आबंटित किये गये, का विवरण निम्नानुसार है:

कार्य का नाम	संवेदक का नाम
1. मिसिंग लिंक रोड उदासर से बुकनसर छोटा वाया मोलुसर किमी 0/0 से 4/0	मैं. एस.एम सप्लायर्स सरदार शहर
2. मिसिंग लिंक रोड जैतसीसर से रायपुरा किमी. 0/0 से 8/0	मैं. इूडी कं.कं. बीकानेर
3. मिसिंग लिंक रोड बुकनसर छोटा से गाजुसर किमी. 0/0 से 3/0	मैं. इूडी कं.कं. बीकानेर

सभी कार्य निश्चित अवधि में शुरू हो चुके हैं।

(4) नहीं। चूंकि उक्त कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य आदेश की राशि	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की सम्भावित तिथि
1.	मिसिंग लिंक रोड फ्रोम उदासर से बुकनसर छोटा वाया भोलुसर किमी 0/0 से 4/0	3510762.00	21.12.2003	20.06.04
2.	मिसिंग लिंक रोड फ्रोम जैतसीसर से रायपुरा किमी 0/0 से 8/0	6944243.00	21.12.2003	20.06.04
3.	मिसिंग लिंक रोड फ्रोम बुकनसर छोटा से गाजुसर किमी 0/0 से 3/0	2768951.00	21.12.2003	20.06.04

कुरल नदी (बून्दी) की पुलिया निर्माण में अनियमितता

3. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खटकड़ केशवरायपाटन (बून्दी) सड़क का हिस्सा घोषित राज्य राजमार्ग में है ? यदि हां, तो किस राज्य राज मार्ग का ?

(2) क्या उक्त सड़क में कुरल नदी पर निर्मित पुलिया की सामान्य स्थिति ठीक नहीं है तथा पुलिया की विंग वाल एवं स्लेप का कार्य घटिया स्तर का एवं तकनीकी दृष्टि से सही नहीं है ? तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पुलिया तथा उसके दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के मानदण्ड के तहत पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। खटकड़ (बून्दी) सड़क का हिस्सा घोषित राज्य राजमार्ग 34 है जो टोंक नगर नैनवां खटकड़ केशवरायपाटन सड़क का हिस्सा है।

(2) पुलिया की सामान्य स्थिति सही है। पुलिया पूर्णतया सुरक्षित है विंग वाल एवं स्लेप का कार्य तकनीकी दृष्टि से सही है।

(3) उक्त पुलिया के दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का कार्य केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

जखाना-रायथल (बून्दी) सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा

4. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जखाना से रायथल (बून्दी) सम्पर्क सड़क निर्माण की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृत कार्यों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु सड़क निर्माण के काम आई भूमि विभाग के नाम पर अभी तक अंकित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब इस बाबत कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

(3) क्या सरकार द्वारा सड़क निर्माण के काम आई (अवाप्त) भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब मुआवजा राशि अदा करने की कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत कार्यों की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सड़क निर्माण के काम में आई भूमि विभाग के नाम अंकित नहीं है। भूमि अवाप्ति कार्यवाही स्वीकृति पश्चात आरम्भ की जावेगी।

(3) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही स्वीकृति पश्चात ही की जा सकेगी।

परिशिष्ट–अ

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From :

Secretary to Govt.
Public Works Department
Rajasthan Jaipur — No . F.2 (14)PW/AS/84

To :

The Chief Engineer
P.W.D. Rajasthan
Jaipur.

Dated the 14th June 1984.

Sub :- Sanction for construction of New Road Works in Rajasthan under minimum needs Programme.

Sir,

I am directed to convey Administrative and financial sanction of the Governor for construction of new road works in various district of Rajasthan at an estimated cost of Rs. 7329.50 Lacs as per details contained in the enclosed statements.

The expenditure will be charged to the Budget head 537-capital outlay on roads & Bridges (KN) distt. & other road (iv) Minimum Needs Programme (plan) and expenditure shall be restricted within the overall plan ceiling of roads sector during the year 1984-85 and subsequent years.

This issues with the concurance of Planning & Finance Department vide their ID No. PA/SS/Plan/718/84 dated 11.6.84 and No. 1775/FS/84/ dated 13.6.84 /respectively.

Enclosed 39 Nos.

Yours faithfully,
Sd/-
(J.M.Malhotra)
Secretary PWD

Name of District : BUNDI

Name of P.S	S. N	Name of Work	Length in km	Cost in Lacs.	Job no.
TALERA	1.	Jakhana upto Raithal	10.5	15.75	965/537/ MNP/ Paln /84-85
	2.	Garda to Bhupatpura	4.0	6.00	966/-do-
HINDOLI	3.	Upgradition to B/T Shakar-garh to SHW at Satur.	29.0	29.00	967/-do-
NAINWAN	4.	Bhajneri to Dugari Via Bansi.	7.0	10.50	968/-do-
	5.	Bamangaon to Samidhi Ku-luda upto Karwar (Part length)	6.0	9.00	969/-do-
	6.	Upgradation to B/T Nainwan to District Border.	8.0	10.00	970/-do-
	7.	Nainwan to Dugari.	8.0	12.00	971/-do-
	8.	Nainwan Nagar Road (Upgradation to B/T)	4.00	4.00	972/-do-
KAISORAIPATAN	9.	Papri to Barkhera from Kai-soraipatan Lakheri Road	7.0	10.50	973/-do-
	10.	A/R to Bhiya Kaisoraipatan Lakheri Road.	3.0	4.50	974/-do-
		Total		111.25 Lacs.	

Copy of letter No. F.2(29) PW/AS/96/D.2298 dated 22.10.96 received from Dy. Secretary (Works) Addl. Secy. to Govt, Public Works Deptt., Raj. Jaipur addressed to the Chief Engineer (R-I) PWD, Raj., Jaipur.

Sub :- Administrative and Financial sanction for construction of New Road Work under M.N.P. (General) in various Distt. of Rajasthan during the year 1996-97.

Sir,

I am directed to convey Administrative & Financial sanction of the governor for construction of road under M.N.P. (General) in various districts of Rajasthan at an estimated cost of Rs. 7739.25 lacs as per details contained in the Annexure-I enclose.

The expenditure will be charged to the Budget Head "5054-Capital Outlay on Roads & Bridges-04 Distt. and other Roads-800 M.N.P. (I) Distt. Roads (Plan Expenditure) and Expenditure shall be restricted within the over all plan ceiling of Road Sector during the year 1996-97 and subsequent year.

This issues with the concurrence of Planning & Finance (Exp. III) department vide their I.D.No. 1022/SS/Plan/96 dated 17-09-96 and I.D.No. 2356 dated 10.10.96 respectively.

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJ. JAIPUR.

No. F.9 (920) Sec. II/96/D. 3/58 Dated : 31 Oct., 1996

Copy alongwith list of sanctioned work forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The Addl. Chief Engineer, PWD, Region Ajmer / Bikaner/ I,II, Jaipur/ Jodhpur/Kota/Udaipur.
2. The Superintending Engineer, PWD Circle-I, Ajmer/Nagaur/Bhilwara/ I-Bikaner/Chuur/Sriganganager/III-IV-V-VII, Jaipur/ I,II, Jodhpur/ Pali/ Bharatpur/I-II-, Kota/Sawai Modhopur/I-II-III Udaipur.
3. Executive Engineer, PWD, Distt. Dn I, Ajmer/Nagour/I,II,Bhilwara/ Distt. Dn. I,II, Bikaner / Churu / Dn. I,II Sriganganagar/Hanumangarh/ Distt. North Jaipur/ Distt. South Jaipur/ Sikar/ Jhunjhunu/ I,II Alwar/ Tonk/ Distt. Dn. I,II Jodhpur/ Barmer/ Jaisalmer/ Pali/ Sirohi/ Jalore/ City Dn. Bharatpur/ Distt. Bharatpur/Distt. I,II Dholpur/ Dausa/ Tonk/ Distt. Dn. Kota/Baran/ Distt. Dn. Bundi/ Jhalawar/ Sawai Madhopur/ Distt. Dn. Udaipur/ Rajasamand/ I,II Chittorgarh.
4. PA to CE (R-I) SE (R-I) CE (P&M-I/II)/ Statistical Cell/ AA/Budget Clerk/ Compilation Clerk/D.A. (Plan), CE's Office, PWD, Raj.

In the estimate and all other future reference in regard to this sanction and also while making any expenditure against the sanctioned works and showing the same in the monthly account of the division the Job Nos. as assigned and show against each works should invariably be written against the nomenclature of the sanction works.

The sanctioned cost is invlusive of percentage charges.

Encl. : As above.

CHIEF ENGINEER (ROADS-I),
PWD, RAJASTHAN, JAIPUR.

पत्र क्रमांक एफ. 2(29) पी. डब्ल्यू. /ए. एस./96/डी./2298 दिनांक 22-10-1996 का संलग्न पत्र

5054 एम. एम. पी. (सामान्य) के नये कार्यों की सूची

एम. एन. पी. (सामान्य) **जिला-बून्दी**

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी में)	अनुमानित लागत (लाखों में)	जोब नम्बर
1.	रामेश्वर महादेव सड़क से डाबेटा (471) पंचायत मुख्यालय सड़क निर्माण	2.00	4.00	762/5054/ एम. एन. पी./प्लान 96–97
2.	जखाना से रामथल सड़क 4/0 से 0/0 निर्माण पं.मु (896/71) बी.टी.	4.00	10.00	763/ "
3.	खडकड के पाटन सड़क में कुरल पुल पर अप्रेच एवं प्रोटेक्शन का कार्य।	2.00	60.00	764/ "
4.	राजीपुरा बॉसी किमी. 8/0 से 11/0 पर सडक एवं पुलियाओं का निर्माण कार्य बी. टी.।	3.00	15.00	765/ "
5.	डीगाहेड़ी से पचीपला के मध्य मेज नदी पर रपट का शेष निर्माण कार्य	0.20	6.00	766/ "
6.	बरूधन नमाना सड़क पर घोड़ा पधाड़ नदी पर पुलिया का शेष निर्माण कार्य	0.40	10.00	767/ "
7.	कोटा लाखेरी सड़क से चरडाना (पं.मु.) किमी 2/0 से 2.5 तक सड़क निर्माण।	0.50	3.00	768/ "
8.	दबलाना से भवानीपुरा सड़क किमी 2.50 से 3.0 तक सड़क निर्माण (पं.मु.) 1170/71 बी.टा.	0.50	3.00	769/ "
9.	भवानीपुरा से रानीपुरा किमी 5/0 से 10/सड़क निर्माण पं.मु. 1440/71 बी.टी.	5.00	15.00	770/ "

बनास नदी पुल के टोल टैक्स से प्राप्त आय

5. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही से आबूरोड के मध्य बनास नदी पर पुल का निर्माण कब व कितनी लागत से हुआ था ?

(2) इस पर टोल टैक्स कब से शुरू किया गया एवं अब तक वर्षवार वसूल किए गए टोल टैक्स का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त टोल टैक्स कब तक समाप्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिरोही से आबूरोड के मध्य बनास नदी पर पुल का निर्माण वर्ष 1997-98 में किया गया एवं इस कार्य की कुल लागत रुपये 345.30 लाख है।

(2) इस पुल पर टोल टैक्स वसूली नवम्बर, 1997 से प्रारम्भ की गई एवं इस पर वर्षवार वसूली निम्न प्रकार है:-

वर्ष 1997-98	15.91 लाख रुपये
वर्ष 1998-99	26.48 लाख रुपये
वर्ष 1999-00	36.67 लाख रुपये
वर्ष 2000-01	35.30 लाख रुपये
वर्ष 2001-02	30.05 लाख रुपये
वर्ष 2002-03	30.46 लाख रुपये
वर्ष 2003-04 (दिसम्बर 2003 तक)	29.63 लाख रुपये

कुल 204.50 लाख रुपये

(3) लागत राशि एवं ब्याज राशि पूर्ण वसूल होने पर टोल टैक्स समाप्त किया जाना सम्भव होगा।

अलवर-दिल्ली राजमार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण

6. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अलवर दिल्ली सड़क का रामगढ़ कस्बे का कतिपय हिस्सा वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सड़क को डामरीकृत अथवा सीमेंटेड कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ओर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। क्षतिग्रस्त हिस्से की डब्ल्यू.बी.एम. द्वारा मरम्मत करा दी गई है। उपरोक्त सड़क के किमी. 130/400 से 162/500 के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय मंत्रालय को प्रस्तुत किये हुए हैं जिसमें रामगढ़ कस्बे में सीमेंटेड सड़क बनवाने का कार्य भी शामिल है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य करवाया जाना सम्भव होगा।

विधान सभा सभा क्षेत्र रूपवास की स्वीकृत अपूर्ण सड़कें

7. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2003-04 में कुल कितनी सड़कें नवीन मरम्मत के लिये स्वीकृत हुई ? अब तक कितनी सड़कों पर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितना बकाया है, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों को पूरा करने एवं और नई सड़कें स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 2003-04 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के अन्तर्गत 18 नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं जिनमें से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

17 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है एवं एक सड़क पर भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। विवरण प्रपत्र "अ" में दर्शाया हुआ है।

(ब) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 2003–04 में मिसिंग लिंक सड़क योजना के अन्तर्गत 9 सड़क के कार्य स्वीकृत हुये हैं एवं इन सभी सड़क कार्यों के निर्माण हेतु कार्यादेश माह जनवरी, 2004 में जारी कर दिये गये हैं। विवरण प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

(स) वर्ष 2003–04 में अति वृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त करने हेतु लघु कार्य स्वीकृत हुये जिन्हें पूर्ण कर दिया गया है।

(द) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष-2003-04 में राष्ट्रीय मार्ग/मुख्य जिला सड़कें अन्य जिला सड़कों की साधारण मरम्मत (पेच रिपयेर) का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

(2) (अ) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज–3 में स्वीकृत सभी 17 सड़कों के कार्य को माह जून 2004 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

(ब) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूपवास के 7 गांवों (2001 की अनुमानित जनसंख्या 877 एवं इससे अधिक) को जोड़ने के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 के लिये अनुमोदित कर दिया है। इन सभी कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। विवरण प्रपत्र 'स' में दर्शाया गया है।

(स) शेष 500 एवं 500 से अधिक (2001 की अनुमानित जनसंख्या) के गांवों को आबादी की प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2007 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है। विवरण प्रपत्र "द" में दर्शाया गया है।

प्रपत्र—अ

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 2003-04 में पी. एम. जी. एस. वाई. सड़क योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्रं. सं.	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	रूपवास जगनेर सड़क से नोहरदा	14.29	
2.	उच्चेन बारेठा सड़क से हाडोली	10.78	
3.	सम्पर्क सडक खेरली से ढाना	8.81	
4.	पुरा भाखोनी सड़क से पुरा	11.73	यह सड़क भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं की जा सकी है।
5.	रूपवास नया गांव से बाउण्ड्री	24.87	
6.	मिल्लवा यू. पी. बोर्डर से खेरिया विर्लोच	18.47	
7.	सेवर उच्चैन से फतेहपुर सड़क	15.16	
8.	सम्पर्क सड़क कुरका से सोनोठी	16.40	
9.	उच्चैन से खरका	55.76	
10.	सहना से मामटौली	29.67	
11.	रूपवास से सिंधावली	38.41	
12.	रूदावल रूपवास सड़क से रसीलपुर	10.70	
13.	बारहबांकी से गहलठ	35.51	
14.	भरतपुर धौलपुर सड़क से जिन्दपुरा	24.55	
15.	रूदावल रूपवास सड़क से गूजर बलाई	42.83	
16.	खानुआ फतेहपुर सीकरी से बुराना	53.55	
17.	भरतपुर धौलपुर रोड से खेरिया जाट	32.66	
18.	उच्चैन बयाना सड़क से न. तेहरियाबांकी	20.27	

प्रपत्र-ब

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 2003–04 में मिसिंग लिंक सड़क योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्रं. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	लम्बाई किमी	वि.वि.
1.	रूदावल से जटमासी	12.07	0.95	
2.	ढाना खेरली सड़क से पहाडपुर	18.94	2.25	
3.	वारहबांकी सेगदरियापुरा	1.50	0.20	
4.	न झीना से वरकोली	13.95	1.80	
5.	उच्चैन से चुरारी गूजर	34.13	2.60	
6.	कंजौली से मॉडापुरा	11.63	1.40	
7.	रूपवास से यूपी बार्डर वाया चकसामरी	20.19	1.80	
8.	सहना से धौर	23.10	2.00	
9.	दौरदा से जटमासी सड़क	22.70	2.00	

प्रपत्र-स

विधान सभा ग्राम सड़क योजना फेज 4 में विधानसभा क्षेत्र रूपवास के अन्र्तगत प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्रं. सं.	जुड़ने वाले गांव का नाम	आबादी वर्ष 01 के अनुसार	सड़क की लम्बाई (किमी में)	राशि लाखों में	वि. वि.
1.	खंदरूपवास	3874	0.680	13.15	
2.	दौलतगढ़	1223	0.700	10.51	
3.	विरुआ	959	0.600	12.74	
4.	एलैउ	934	4.750	77.97	
5.	गहनौली	929	0.800	15.32	
6.	नगलावीजा	916	0.550	13.32	
7.	राजपुरा	878	0.550		- तकमीना स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है।

प्रपत्र-द

500 एवं 500 से अधिक (2001 की अनुमानित जनसंख्या) के गांवों की सूची

ब्लॉक रूपवास

क्र.सं.	गांवों का नाम	जनसंख्या (2001 अनुमानित)
1.	बारबर	854
2.	खिजुरी	838
3.	चकसामरी	832
4.	नगला कल्याण	817
5.	ऑडेल जाट	793
6.	चुरारी गूजर	782
7.	रहीमपुर	779
8.	तेहरा ब्राह्मण	773
9.	मोरोली ढाहर	751
10.	रतुआ	748
11.	चंदेली	732
12.	सेमरा माफी	712
13.	सिकरोदा	661
14.	सेटी कला	642
15.	मुर्रीका	642
16.	खोरी	609
17.	सोपरा	584
18.	चन्दनपुरा	564
19.	रानपुर	512

विधान सभा क्षेत्र नोहर में सड़कों का निर्माण

8. **श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) साधारण मरम्मत का कार्य सड़कों पर पूर्ण करा दिया गया है। विशेष मरम्मत का कार्य वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। संसाधनों की व्यवस्था होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आबादी की प्राथमिकतानुसार 500 व 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सन् 2007 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

चित्तौड़गढ़ बेगूं सड़क का निर्माण

9. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ बेगूं रोड वाया महेसरां, झरिया महादेव, नन्दवाई रोड बन जाने पर चित्त्तौड़गढ़ बेगूं सड़क मार्ग की दूरी वर्तमान सड़क मार्ग से कम हो जाती है ? यदि हां, तो कितनी? क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। उक्त मार्ग बन जाने से दूरी 8.00 किमी कम होती है। सड़क का निर्माण कार्य वर्तमान में राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों की वजह से प्रस्तावित नहीं है।

जिला पाली के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

10. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला पाली में गत 5 वर्षों में विभाग के कितने कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पाये गये ? उनमें से कितने लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ? सूची नाम व पद सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली जिले में गत पांच वर्षों में इस विभाग के एक अधिकारी श्री के. आर. भादू पूर्व अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग पाली के विरुद्ध ठेकेदार से रिश्वत लेने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिनांक 17.2.1999 को छापा डाला एवं अपराध संख्या 46/2000 केस दर्ज किया तब जाकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर के न्यायालय मे चालान पेश किया गया।

कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश क्रमांक प. 2 (6) का\क-3\2000 दिंनाक 21.3.2000 द्वारा श्री भादू निलम्बित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा श्री भादू को दिसम्बर, 2003 में सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा पाली जिले में अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ विगत पांच वर्षों में भ्रष्टाचार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विद्यालयों में रिक्त पद

11. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी विद्यालयों में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय प्राथमिक/उच्च/प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर तथा अध्यापक ग्रेड–II एवं ग्रेड–III के रिक्त पद माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटने पर भरे जाने सम्भव होंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शारीरिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति

12. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में शारीरिक शिक्षकों के जिलेवार कितने–कितने पद कब कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हाल ही में राज्य में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की गई ? यदि हां, तो जिलेवार कितने–कितने शिक्षकों की भर्ती की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शारीरिक शिक्षकों का चयन पूर्व में बनी मेरिट सूची के आधार पर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश मा. उच्च न्यायालय में दिया हुआ है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(5) उक्त स्थगन आदेश का निपटारा करने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) राज्य में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है। पद कब से रिक्त है कि सूचना विस्तृत एवं समय साध्य होने के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। शारीरिक शिक्षकों की जिलेवार भर्ती किये पदों की सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) न्यायिक वाद के कारण नियुक्ति की कार्यवाही स्थगित है।

(4) जी हां। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश की प्रति परिशिष्ट "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) स्थगन आदेश का निस्तारण करवाने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.9.2003 को जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रकरण महत्वपूर्ण व नीतिगत होने के कारण अतिरिक्त महाधिवक्ता से पैरवी करने हेतु भी निवेदन किया गया है। प्रकरण का निस्तारण करने हेतु विभाग लगातार प्रयासरत है एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा चुका है।

परिशिष्ट-क

क्रं.सं.	जिले का नाम	रिक्त पद
1	2	3
1.	जयपुर	21
2.	अलवर	11
3.	भरतपुर	-
4.	सीकर	08

1	2	3
5.	दौसा	05
6.	धौलपुर	-
7.	जोधपुर	02
8.	पाली	02
9.	सिरोही	18
10.	जालौर	03
11.	बाड़मेर	03
12.	जैसलमेर	02
13.	कोटा	-
14.	बारां	04
15.	बूंदी	-
16.	झालावाड़	-
17.	सवाईमाधोपुर	02
18.	करौली	05
19.	उदयपुर	21
20.	बांसवाड़ा	04
21.	चितौड़गढ़	16
22.	डूंगरपुर	-
23.	राजसमन्द	03
24.	चूरू	09
25.	झुंझुनु	01
26.	हनुमानगढ	12
27.	श्रीगंगानगर	10
28.	बीकानेर	10
29.	अजमेर	02
30.	भीलवाड़ा	02
31.	नागौर	18
32.	टोंक	-
		194

परिशिष्ट-ख

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्रं.सं	जिला	शा. शिक्षक रिक्त पद
1	2	3
1.	अलवर	93
2.	धौलपुर	04
3.	भरतपुर	16
4.	सीकर	02
5.	दौसा	18
6.	जयपुर	90
7.	उदयपुर	60
8.	चितौड़गढ़	21
9.	बासंवाड़ा	15
10.	डूंगरपुर	03
11.	राजसंमद	06
12.	अजमेर	29
13.	भीलवाड़ा	23
14.	नागौर	65
15.	टोंक	33
16.	कोटा	02
17.	बूंदी	-
18.	बारां	14
19.	झालावाड़	12
20.	करौली	01
21.	सवाईमाधोपुर	05
22.	बीकानेर	29
23.	चूरू	-
24.	झुंझुनूं	-

1	2	3
25.	हनुमानगढ़	12
26.	श्रीगंगानगर	73
27.	जोधपुर	07
28.	जालौर	58
29.	जैसलमेर	25
30.	पाली	20
31.	सिरोही	66
32.	बाड़मेर	06
		800

परिशिष्ट-ग

क्रं.सं	जिले का नाम	शा.शिक्षक पद पर की गई नियुक्ति
1	2	3
1.	जयपुर	44
2.	अलवर	14
3.	भरतपुर	08
4.	सीकर	24
5.	दौसा	07
6.	धौलपुर	05
7.	जोधपुर	94
8.	पाली	33
9.	सिरोही	02
10.	जालौर	20
11.	बाड़मेर	40
12.	जैसलमेर	10
13.	कोटा	21
14.	बारां	28
15.	बूंदी	10
16.	झालावाड़	28
17.	सवाईमाधोपुर	06

1	2	3
18.	करौली	-
19.	उदयपुर	-
20.	बांसवाड़ा	09
21.	चित्तौडगढ़	44
22.	डूंगरपुर	08
23.	राजसमन्द	29
24.	चूरू	12
25.	झुंझुनू	-
26.	हनुमानगढ़	19
27.	श्रीगंगानगर	34
28.	बीकानेर	61
29.	अजमेर	27
30.	भीलवाड़ा	72
31.	नागौर	45
32.	टोंक	15

परिशिष्ट-घ

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR.

D.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5207/2003
(PUBLIC INTEREST LITTIGATION)

1. Ashish Saxena, Son of Dr. Dheerendra Saxena, aged about 24 years, resident of 326, Ladpura, Kota (Raj.)

2. Smt. Tanu Gupta, Wife of Shri Deepak Gupta, D/o Sh. Moti Lal Gupta. aged about 27 years, resident of Loharu Chopar, Beawar (Raj.)

.... Petitioners

Versus

1. The State of Rajasthan through the Secretary. Education (Gr.2) Department of Secretariat, Jaipur

2. The Drector, Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.

.....Rospondents

D.B.Civil Writ Petition No. 5207/2003

Ashish Saxena Vs. The State of Raj.
Hon'ble Mr. Justice Y.R. Meena
Hon'ble Mr. Justice Shashi Kant Sharma

8-9-2003

Mr. Manish Bhandari for the petitioners

Mr. Bhandari, learned counsel for the petitioners submits that in appointments the decision for awarding the bonus marks on the basic of training has been taken and the discrimination has been made between the candidates. Who has taken training inside the Rajasthan and who has taken training outside the Rajasthan. If a candidate has taken training outside the Rajasthan, them no bonus marks shall be give to him. This is discriminatory.

Issue notice to the respondents of the main petition as well as of the stay application.

Meanwhile the operation of order dated 27.08.2003 (Annexure-1) as well as order dated 28.08.2003 (Annexure-1) shall remain stayed.

(Shashi Kant Sharma) Justice

(Y.R. Meena) Justice

जिला परिषद बीकानेर द्वारा अध्यापक पद पर नियुक्ति

13. **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिला परिषद द्वारा वर्ष 1999 में जिले में रिक्त अध्यापकों के पदों की भर्ती हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि, हां तो उक्त पदों पर क्या किसी को नियुक्ति दी गई। यदि नहीं. तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 की नियुक्तियां नहीं हुई ? यदि हां, तो बोनस अंक देने के सम्बन्ध में वर्ष 1999 की नियुक्तियों से सम्बन्धित न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है ? यदि नहीं, तो इन नियुक्तियों पर रोक किस आधार पर लगाई गई तथा ये नियुक्तियां कब तक करने का सरकार विचार रखती है ? स्थगन आदेश की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर जिला परिषद् के अंतर्गत आने वाली शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में जारी विज्ञप्ति के आधार पर रिक्त पदों को भरने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां। वर्ष 1998-99 के लिए जारी दिशा निर्देश के आधार पर जिला परिषद् बीकानेर द्वारा वर्ष 1999 में रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए थे। पंचायतीराज विभाग के पत्र दिनांक 7-12-99 के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के कारण नियुक्तियां नहीं हुई।

(2) जी हां। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 1-7-2003 के क्रियान्वयन पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकल पीठ द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था, क्योंकि बीकानेर जिला परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन सत्र 1998-99 से सम्बन्धित था इसलिए स्थगन आदेश का प्रभाव जिला परिषद्, बीकानेर की नियुक्तियों पर भी प्रभावित माना गया। शम्भूदयाल बनाम राज्य की रिट याचिका का निर्णय भी दिनांक 18-9-2003 को हो चुका है, न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सत्र 1998-99 के विज्ञापन के आधार पर मान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राहत उन्हीं याचकों को दी जावे जो 18-11-1999 से पूर्व न्यायालय में आ चुके थे। ऐसे अभ्यार्थी जो न्यायालय में नहीं आए हैं उनके लिए वरिष्ठता सूची को नवीन तरीके से नहीं खोला जाना चाहिए। स्थगन आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-2 के अनुसार।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला हनुमानगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

14. **श्री गुरजंट सिंह (संगरिया):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील सगरिया, जिला हनुमानगढ़ एवं तहसील सार्दुल शहर, जिला श्री गंगानगर में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(श्री गुरजंट सिंह)

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से वर्तमान में कितने पद भरे हुये है एवं कितने पद रिक्त हैं ?

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ एवं तहसील सार्दुल शहर, जिला श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षान्तर्गत संचालित विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत संचालित विद्यालयों मे स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त विद्यालयों में कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) माध्यमिक शिक्षान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पर न्यायालय स्थगन है। न्यायालय निर्णयोपरान्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट-क

माध्यमिक शिक्षान्तर्गत तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ एवं तहसील सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर में अध्यापकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है

क्रं सं	अध्यापकों के नाम	तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़			तहसील सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	प्रधानाचार्य	4	2	2	6	4	2
2.	प्रधानाध्यापक	13	12	1	13	9	4
3.	व्याख्याता	42	27	15	58	46	12

4.	व. अध्यापक	100	85	15	97	85	12
5.	अध्यापक	44	31	13	40	31	9
6.	शा. शिक्षक ग्रेड–1	1	-	1	1	-	1
7.	शा.शिक्षक ग्रेड–II	1	-	1	4	4	-
8.	शा.शिक्षक ग्रेड–III	13	13	-	12	12	-

परिशिष्ट-ख

प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ एवं तहसील सार्दुलशहर, जिला श्रीगंगानगर में अध्यापकों स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार हैं

क्रं सं	अध्यापकों के नाम	तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़			तहसील सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त	रिक्त पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	अध्यापक-II	38	32	6	47	35	12
2	अध्यापक-III	435	365	70	376	347	29

अनुसूचित जाति/जनजाति क छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति

15. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के विद्यालयों में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति, नूतन छात्रवृत्ति की परीक्षा 2003-04 के लिए कब आयोजित की गयी ? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों का परीक्षा परीणाम घोषित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त परीक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थियों

(श्री बाबूलाल नागर)

को लाभ देने का निर्णय लिया गया और इस वर्ष में अब तक कितने लोगों को लाभ दिया जा चुका है और कितने लोगों को लाभ देना शेष है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में संचालित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति-जनजाति विशेष छात्रवृत्ति योजना और जनजाति विभाग के तत्वाधान में संचालित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति विशेष योजना की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 23.2.2003 (वर्ष 2003–04) को किया गया। प्रथम प्रकार की छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा परिणाम पहले से निर्धारित विद्यार्थी संख्या अधिक होने से घोषित नहीं किया गया।

(2) अनुसूचित जाति के 933 विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति योजना के अतंर्गत पूर्व में ही विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत होने से इस वर्ष किसी भी छात्र को उक्त परीक्षा के माध्यम से लाभ नहीं दिया गया। 350 अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभान्वित करने का प्रकरण विचाराधीन है।

क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

16. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में विद्यालयों में पद स्वीकृति के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार द्वारा क्रमोन्नत किये विद्यालयों में आवश्यक पद स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं तो पद कब तक स्वीकृत कर दिये जाऐंगे ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में विद्यालयों में पद स्वीकृति के मानदण्डों की सूची परिशिष्ट-क सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा में वर्ष 1999–2000, 2000–01 में क्रमोन्नत

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयों के लिये मानदण्डानुसार पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 में क्रमोन्नत विद्यालयों के लिये द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पद मानदण्डानुसार स्वीकृत किये जा चुके हैं। किन्तु तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद प्रावधान उपलब्ध होने पर स्वीकृत किये जायेंगे। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 1999-2000 से 2003-04 तक क्रमोन्नत किये विद्यालयों में कक्षावार एवं सेक्शनवार निर्धारित मानदण्डानुसार क्रमोन्नत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद स्वीकृत किये हुये नहीं है। वर्षवार बकाया शेष रहे अध्यापकों के पदों के सर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

(1) प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत विद्यालयों में पद स्वीकृति के मानदण्ड निम्नानुसार हैं-

1. प्राथमिक विद्यालय खोलने पर-

न्यूनतम 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक

2. प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत पर-

(अ) प्रथम वर्ष 1 द्वितीय श्रेणी अध्यापक
(ब) द्वितीय वर्ष 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक
(स) तृतीय वर्ष 1 तृतीय श्रेणी अध्यापक

(2) माध्यमिक शिक्षान्तर्गत विद्यालयों में पद स्वीकृति के मानदण्ड निम्नानुसार हैं-

1. उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत पर-

	पदनाम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष कक्षा 10 का स्टाफ
1.	प्रधानाध्यापक	1	-
2.	अध्यापक श्रेणी-II	3	2
3.	शारीरिक शिक्षक श्रेणी-III	1	2
4.	वरिष्ठ लिपिक	1	-
5.	कनिष्ठ लिपिक	-	1
6.	सहायक कर्मचारी	1	1

2. माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति पर-

	पदनाम	प्रथम वर्ष
1.	प्रधानाचार्य	1
2.	व्याख्याता	5
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-II	1
4.	शारारिक शिक्षक श्रेणी-II	1
5.	कनिष्ठ लिपिक	1
6.	सहायक कर्मचारी	1

जिला बारां के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अध्यापक

17. **श्री प्रमोद जैन** "भाया" (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा कर्मी व राजीव गांधी पाठशालाओं के कितने-कितने अध्यापक वेतन आहरण करने वाले मूल पदस्थापन विद्यालय से भिन्न अन्य विद्यालयों या राजकीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगाए हुए हैं ? प्रतिनियुक्त अध्यापकों का नाम, मूल पदस्थापन विद्यालयों का नाम व प्रतिनियुक्ति पद स्थापित विद्यालय। कार्यालय का नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रतिनियुक्तियां अध्यापक वार किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस आदेश क्रमांक/दिनांक से की गई है एवं प्रतिनियुक्त अध्यापकों को किस दिनांक को मूल पदस्थापन विद्यालय से प्रतिनियुक्ति वाले विद्यालय या कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया गया? अध्यापकवार व विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा राज्यादेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(5) अब सरकार प्रतिनियुक्ति आदेशों को निरस्त कर कब तक प्रतिनियुक्त अध्यापक को मूल पदस्थापन विद्यालय में भिजवा कर अध्यापन कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत बारां जिले में कोई भी अध्यापक वेतन आहरण करने वाले मूल पदस्थापन विद्यालय से विभाग के अन्तर्गत अन्य विद्यालयों या कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न के भाग एक के अनुसार

(4) प्रश्न के भाग एक के अनुसार

(5) प्रश्न के भाग एक के अनुसार

राजस्थान सरकार

शिक्षा ग्रुप-2 विभाग

क्रमांक : प.6(5) शिक्षा-2/2001 जयपुर, दिनांक 21-09-2002

समस्त अधिकारीगण,
शिक्षा विभाग।

विषय : प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः यह देखा गया है कि अधिकारीगण अपने स्तर पर निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर अपने विभाग में लगाते हैं, जिससे निदेशालय का कार्यालय/सम्बन्धित कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होने में बाधा उत्पन्न होती है। अतः आपके विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए इन्हें तत्काल कार्यमुक्त करें, साथ में भविष्य के लिये निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी कर्मचारी/ कार्मिक को शासन सचिव महोदय के बिना अनुमति

के सीधे ही प्रतिनियुक्ति व कार्यमुक्त आदेश जारी नहीं करें।

हस्ताक्षर

शासन सचिव

प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर के विरुद्ध जांच

18. **डा. एन. एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर के विरुद्ध जांच करवाई गई ? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में ? इनमें से कितने प्रकरणों के जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ? जांच प्रतिवेदनों कि प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रतिवेदनों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी।

(3) क्या यह सही है कि अनुदानित विद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी भारी अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो इसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. जयपुर के विरुद्ध तीन प्रकरणों में विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है। दो प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट "क-ख" संलग्न है।

(2) विभाग को प्राप्त जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) जयपुर द्वारा जुलाई 2001 से सितम्बर 2002 तक की अवधि की जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) जयपुर के कार्यालय में लेखों के निरीक्षण के वक्त गैर सरकारी संस्थाओं के पदों की समीक्षा नहीं करने के कारण अधिक भुगतान का आक्षेप लिया गया।

(शिक्षा मंत्री)

विभाग द्वारा आक्षेपों के सम्बन्ध में जांच की गई जिसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) जयपुर द्वारा अनुदान जारी करने में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

परिशिष्ट-क

श्री उमाकान्त ओझा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर एवं प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर के विरुद्ध श्रीमती सीमा वर्मा, व्याख्याता को स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं करने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रार/संस्था/रामू/16205/2002 दिनांक 24/05/2005 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार श्रीमती सीमा वर्मा, व्याख्याता, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला) जयपुर का पदस्थापन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक 10/9/2001 के द्वारा खेडली, अलवर किये जाने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य, जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर द्वारा कार्यमुक्त नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) जयपुर के पत्रावली मंगवा कर गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एस. टी. सी. (महिला) जयपुर को राज्य सरकार द्वारा बंद किये जाने के कारण उक्त संस्थान से कार्यमुक्त स्टाफ को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अन्यत्र पदस्थापित किया गया। उक्त स्टाफ में से श्रीमती सीमा वर्मा, व्याख्याता का पदस्थापन राजकीय सीनियर बालिका माध्यमिक विद्यालय, खेडली, अलवर में अपने आदेश दिनांक 10-09-2001 द्वारा किया गया, परंतु उमाकान्त ओझा, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक जयपुर ने श्रीमती वर्मा को समय पर कार्यमुक्त नहीं करके आवश्यक कार्य का निष्पादन करने हेतु कुछ समय के लिए कार्यमुक्त नहीं करने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया, परंतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिलने के बाद श्रीमती वर्मा को अनुचित रूप से रोके रखा तथा श्रीमती वर्मा ने माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में विभाग के विरुद्ध एक वाद दायर कर उक्त

स्थानान्तरण आदेश पर माननीय अपील अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 24-12-2001 को स्थानान्तरण आदेश पर क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई।

उक्त स्थानान्तरण आदेश पर माननीय अपील अधिकरण ने रोक लगाते हुए निर्णय दिया तथा निर्णय की अनुपालना में श्रीमती वर्मा ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने श्रीमती वर्मा के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए पुनः अपने आदेश दिनांक 15-2-2002 के द्वारा पदस्थापन राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा में पदस्थापित किया। परन्तु आदेश समय पर प्राप्त होने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, जयपुर श्रीमती सुशीला रावत ने कार्यमुक्त नहीं करके शासकीय आदेश की अवहेलना करते हुए फ्लाउटिंग की, और अनुचित एवं अनियमित कार्यवाही करके श्रीमती वर्मा को अपील अधिकरण में विभाग के विरुद्ध वाद दायर करने का अनुचित अवसर प्रदान किया तथा श्रीमती वर्मा ने अपील अधिकरण में वाद दायर करके विभागीय आदेश दिनांक 15-2-2002 के विरुद्ध स्थगन आदेश दिनांक 5-3-2002 को प्राप्त करने में सफल रही।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक जयपुर ने श्रीमती सीमा वर्मा को अपने कार्यालय से दिनांक 11-4-2002 को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया जबकि माध्यमिक शिक्षा सिविल अपील सेवा अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 5-3-2002 के द्वारा ही विभागीय आदेश दिनांक 15-2-2001 की क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई थी उस प्रकार स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी श्रीमती वर्मा को कार्यमुक्त माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के बाद श्रीमती सीमा वर्मा को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) जयपुर के लिए क्यों कार्यमुक्त किया। यद्यपि जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र दिनांक 1-4-2002 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर यह निवेदन किया था कि श्रीमती वर्मा को पिछले कई महीनों से वेतन नही मिल रहा है और इस कार्यालय पदस्थापन भी नहीं किया जा सकता अत: माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने

हेतु स्वीकृति चाही। उक्त सन्दर्भ में मैंने रिकार्ड का भली भांति अवलोकन और यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती रावत ने विभाग को अन्धेरे में रखकर अनुचित रूप से कार्यमुक्त करने हेतु स्वीकृति चाही है और दिनांक 11-4-2002 को कार्यमुक्त कर दिया गया।

निष्कर्ष

पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार.) जयपुर की उमा कान्त ओझा ने श्रीमती सीमा वर्मा को जिन कार्यों के लिए रोका गया था वह कार्य इतना महत्वपूर्ण एवं तकनीकी नहीं था जिसे किसी अन्य कर्मचारी से सम्पादित नहीं किया जा सकता था। अतः मेरी राय में श्री ओझा ने विभागीय आदेश दिनांक 10-9-2001 की जानबूझकर अवहेलना करते हुए शासकीय आदेश की फलाउटिंग करते हुये श्रीमती वर्मा को विभागीय आदेश विरुद्ध अपील अधिकरण के बाद दायर कर सफलता प्राप्त करने का अनुचित अवसर प्रदान किया जिससे विभागीय आदेश पर स्थगन मिला और जिस स्थान पर श्रीमती वर्मा का पदस्थापन जिस उद्देश्य से किया गया वहां भी बालिकाओं को अध्यापन से वंचित होना पड़ा जिसके लिए श्री उमा कान्त ओझा पूर्वरूपेण दोषी है।

विभागीय आदेश दिनांक 10-9-2001 पर माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने श्रीमती सीमा वर्मा व्या. का पुनः पदस्थापन राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा में अपने आदेश दिनांक 15-2-2002 द्वारा पदस्थापन किया गया परन्तु पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार.) जयपुर के कार्यालय में समय पर प्राप्त होने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने श्रीमती वर्मा को कार्यमुक्त नहीं किया और पुनः सिविल सेवा अपील अधिकरण में श्रीमती वर्मा को विभाग के विरुद्ध वाद दायर करने का अनुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश दिनांक 15-2-2002 पर स्थगन आदेश प्राप्त करने में श्रीमती वर्मा सफल रही। अतः मेरी राय में श्रीमती सुशीला रावत ने जानबूझकर श्रीमती वर्मा को शाहपुरा विद्यालय के लिए कार्यमुक्त नहीं करके प्रशासनिक पेचीदगिया उत्पन्न की तथा स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद

भी श्रीमती वर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) जयपुर के कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश की अवहेलना की दोषी है।

हस्ताक्षर
शिक्षा उप निदेशक
(प्रारम्भिक, जयपुर सम्भाग, जयपुर)

परिशिष्ट-ख

कार्यालय उपनिदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : उनि/प्राशि/जय/संस्था-2/156 दिनांक 5-12-2002

उप शासन सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा
पंचायतीराज (प्रारं.शि.) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय : अल्पभाषायी उर्दू अध्यापकों के अनियमित स्थानान्तरण निरस्त करने के क्रम में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक पं. 17(10) प्रा.शि./2002/जयपुर दिनांक 15/11/2002

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दार्भत पत्र को पालना में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) जयपुर द्वारा उर्दू अध्यापकों के किए गए स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच की गई जिसकी बिन्दूवार टिप्पणी निम्नानुसार है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. जयपुर के आदेश क्रमांक जि.शि.अ./जय/प्रारं/शिक्षा/संस्था/2/फा. स्था/149/02 दिनांक 31-10-2002 के द्वारा चार उर्दू अध्यापकों के स्थानान्तरण जयपुर शहर से बाहर किए गए है जो निम्नानुसार हैं-

(1) अब्दुल सत्तार, अ.राप्रावि मेहरान से रा.उ.प्रा.वि. नटाटा

(2) अकलीमजहां अ.रा.प्रा.वि. साम्भरियान से रा.उ.प्रा.वि. ढण्ड

(3) रईस अहमद अ.रा.प्रा.वि. तोपखानादेश से

(4) अबीला यास्मीन, अ. रा.प्रा.वि. तोपखानादेश से रा.प्रा.वि. सोहनसेठ की धर्मशाला।

उक्त अध्यापक उर्दू विषय के होते हुए भी इनका स्थानान्तरण सामान्य अध्यापक के पद पर कर दिया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त अध्यापकों के संस्थापन रिकार्ड में उर्दू विषय लिखा हुआ नहीं था। इस कारण से इनका स्थानान्तरण सामान्य अध्यापक के पद पर किया गया।

अध्यापकों के संस्थापन सम्बन्धी सूचना वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती अनुसूया शर्मा द्वारा जि. शि. अ. को उपलब्ध करवाई गई थी एवं उसी के आधार पर जि. शि. अ. द्वारा उक्त स्थानान्तरण किए गए है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को उक्त संस्थापन रिकार्ड के सम्बन्ध में पूर्णतया आश्वस्त होकर ही स्थानान्तरण करने चाहिए थे।

(2) जांच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त चारों अध्यापकों की नियुक्ति पूर्व में उर्दू विषय के विषय अध्यापक के पद पर ही हुयी है जिनके नियुक्ति आदेशों की फोटो प्रतियां उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न की जा रही है। (देखे एनेक्सर-1)

(3) उक्त अनियमित स्थानान्तरणों के क्रम में इस कार्यालय को जानकारी होने पर जि.शि.अ. को कार्यालय के पत्रांक 143 दिनांक 21-10-2002 के द्वारा वांछित रिकार्ड उपलब्ध करवाये जाने बाबत लिखा गया था परंतु ज.शि.अ द्वारा उक्त स्थानान्तरणों को निरस्त नहीं किया गया एवं उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक जि.शि.अ./जय/प्रारं/संस्था-2/फा. स्था./203/2002 दिनांक 26-11-2002 के द्वारा जयपुर शहर के उर्दू के अन्य विद्यालयों में संशोधन आदेश जारी किए गए है, जिनको प्रतियां संलग्न को जा रही है। (देखे एनक्सर-2)

(4) जांच के दौरान जि.शि.अ. प्रा.शि. जयपुर के द्वारा उपलब्ध करवाये रिकार्ड के अनुसार उनके अधिनस्थ उर्दू अध्यापकों के कुल 85 पद

स्वीकृत हैं उक्त पदों पर नियमानुसार अध्यापक कार्यरत है-

(1) उर्दू अध्यापक के कुल स्वीकृत पद	85
(2) उर्दू अध्यापक पद पर कार्यरत अध्यापक की संख्या	58
(3) उर्दू जो सामान्य पद के विरुद्ध कार्यरत	09
योग कुल उर्दू अध्यापक कार्यरत	67
(4) सामान्य अध्यापकों की संख्या जो उर्दू अध्यापक के पद के विरुद्ध कार्यरत है	18
कुल योग	85

उपरोक्त सभी अध्यापक पूर्व से ही कार्यरत हैं। इस सत्र में जि.शि.अ. द्वारा अन्य स्थानान्तरण नहीं किए गए। केवल उपरोक्त चार स्थानान्तरण किए गए हैं।

निष्कर्ष : उपरोक्त चार उर्दू अध्यापकों का स्थानान्तरण सामान्य पदों पर किए जाने के क्रम में संस्थापन सूचना उपलब्ध करवाये जाने बाबत श्रीमती अनसूया शर्मा व. उप. जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर पश्चिम जयपुर एवं उनके द्वारा उपलब्ध रिकार्ड पर बिना आश्वस्त हुए स्थानान्तरण करने का दोषी स्पष्टतः जि.शि.अ. प्रारं. शिक्षा जयपुर श्रीमती सुशीला रावत है। अतः रिपोर्ट सेवार्मे प्रेषित है।

उपनिदेशक (प्रारं. शिक्षा)

जयपुर सम्भाग, जयपुर।

पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

19. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार 20-25 साल पहले के प्राइमरी, मिडिल, सैकण्डरी स्कूलों एवं कन्या विद्यालयों को जहां विद्यार्थियों की संख्या 8 से 10 गुणा बढ़ गई है, को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत कर विज्ञान विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पंचायत हैडक्वार्टर पर कन्या सैकण्डरी हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति के प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्डों यथा गांव की जनसंख्या, छात्र संख्या, विद्यालय की कुल छात्र संख्या, फीडर विद्यालय, जनप्रतिनिधियों की मांग एवं गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार कर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(2) सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किये जाते हैं। सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत कर सर्वप्रथम कला संकाय खोला जाता है। आगामी वित्तीय वर्षों में प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल की क्रमोन्नति के लिये प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचारार्थ रखा जायेगा।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत हैडक्वार्टर पर कन्या सैकण्डरी हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नति के लिये प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचारार्थ रखा जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में शिक्षकों के रिक्त पद

20. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? विद्यालयवार किन-किन विषयों के कितने-कितने पद कितने समय से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

उक्त विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटने पर पद भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	नाम विद्यालय	विषय	रिक्त पदों की सं.			कब से रिक्त
			व्या.	व.अ.	अध्या.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	रा.उ.मा.वि., बेंगू	हिन्दी	02	-	-	5/01, 6/2001
		अंग्रेजी	01	-	-	3/01
		भूगोल	01	-	-	10/03
		इतिहास	01	-	-	9/97
		रा. विज्ञान	01	-	-	7/00
		गणित	01	-	-	1/03
		कृषि	01	-	-	10/02

1	2	3	4	5	6	7
		वाणिज्य	02	-	-	2/03, 2/02
		अंग्रेजी	-	01	-	-
2.	रा.उ.मा.वि., बस स्टेण्ड, बेगूं	हिन्दी	01	-	-	10/02
		समाजशास्त्र	01	-	-	7/01
		विज्ञान	-	01	-	3/03
		अंग्रेजी	-	01	-	7/01 नव.
		उर्दू	-	01	-	9-7-01
		अध्यापक	-	-	03	7/01
3.	रा.उ.मा.वि. पारसोली	हिन्दी	01	-	-	7/01
		अंग्रेजी	01	-	-	2/03
		भूगोल	01	-	-	7/01
		रा. विज्ञान	01	-	-	30-4-03
		अंग्रेजी	-	01	-	4-7-01
4.	रा.उ.मा.वि., चेची	हिन्दी	01	-	-	7/03
		भूगोल	01	-	-	7/03
		इतिहास	01	-	-	7/03
		अंग्रेजी	-	01	-	7/03
5.	बालिका उ.मा.वि., बेगूं	अंग्रेजी	01	-	-	10/02
		गृह विज्ञान	01	-	-	8/01
		संस्कृत	01	-	-	12/98
		व.अ. सामान्य	-	01	-	10/02
		अंग्रेजी	-	01	-	20/01
		अध्यापक	-	-	04	10/02, 4/03, 5/03, 8/02
6.	रा.उ.मा.वि. भैंसरोडगढ़	अंग्रेजी	01	-	-	10/01
		रसायन शा.	01	-	-	10/01
7.	रा.उ.मा.वि. रावतभाटा	चित्रकला	01	-	-	7/98
		गणित	01	-	-	7/98
		अंग्रेजी	-	01	-	4/99
		उर्दू	-	01	-	7/07

1	2	3	4	5	6	7
8.	रा.उ.मा.वि. खातीखेड़ा	संस्कृत	01	-	-	11-10-02
		अंग्रेजी	-	01	-	8/02
9.	रा.उ.मा.वि. जावदा नीमड़ी	हिन्दी	02	-	-	5/03, 2/02
		अंग्रेजी	01	-	-	5/03, 2/02
		रा.विज्ञान	01	-	-	5/03, 2/02
		विज्ञान	-	01	-	2/03
		अंग्रेजी	-	01	-	2/03
10.	रा.उ.मा.वि., बड़ोदिया कुण्डाल	अंग्रेजी	01	-	-	7/99
		इतिहास	01	-	-	7/99
11.	रा.उ.मा.वि. बोराद	हिन्दी	01	-	-	5/03
		अर्थशास्त्र	01	-	-	5/03
		इतिहास	01	-	-	5/03
12.	रा.बा.उ.मा.वि. रावतभाटा	-	-	-	-	-
13.	रा.मा.वि., बिछोर	अंग्रेजी	-	01	-	2/01
14.	रा.मा.वि., नन्दबई	अंग्रेजी	-	01	-	11/2007
15.	रा.मा.वि., रायता	गणित	-	01	-	10/02
16.	रा.मा.वि., ठेकराई	गणित	-	01	-	10/02
		अंग्रेजी	-	01	-	10/02
17.	रा.मा.वि., काटुन्दा	गणित	-	01	-	10/02
		अंग्रेजी	-	01	-	7/01
		अध्यापक	-	-	01	7/01
18.	रा.मा.वि. शादी(बेगूं)	विज्ञान	-	01	-	11/02
19.	रा.मा.वि. मेधपुरा	अध्यापक	-	-	01	11/02
20.	रा.मा.वि. राजगढ़	विज्ञान	-	01	-	7/02
		अंग्रेजी	-	01	-	7/02
21.	रा.मा.वि. गोविन्दपुरा	गणित	-	01	-	4/01
		अंग्रेजी	-	01	-	4/01

1	2	3	4	5	6	7
22.	रा.मा.वि. खुद सामरिया	विज्ञान	-	01	-	7/03
		गणित	-	01	-	7/03
		अध्यापक	-	-	03	7/03
23.	रा.बा.मा.वि. पारसोली	विज्ञान	-	01	-	7/03
		गणित	-	01	-	7/03
		अध्यापक	-	-	03	7/03
24.	रा.मा.वि. एकलिंगपुरा	व.अ. सा.	-	01	-	-
		अंग्रेजी	-	01	-	7/98
25.	रा.मा.वि., देवपुरा	व.अ.सामा.	-	01	-	7/99
		विज्ञान	-	01	-	7/99
		अंग्रेजी	-	01	-	7/99
		अध्यापक	-	-	03	7/99
26.	रा.मा.वि. लाडपुरा	अंग्रेजी	-	01	-	1/01
27.	रा.बा.मा.वि. भैंसरोडगढ़	अंग्रेजी	-	01	-	1/01

परिशिष्ट-ख

2. विधान सभा क्षेत्र बेगूं पं. सं. बेगू के रा.उ.प्रा.वि. में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र सं	नाम विद्यालय	रिक्त पद			कब से रिक्त है		
		II	III	शाशि	II	III	शा शि
1.	दौलतपुरा	-	2	-	-	7/01,9/02	-
2.	तुरकडी	-	2	-	-	9/02	-
3.	मेघनिवास	-	2	-	-	7/2 के 9/02	-
4.	रावडदा	-	2	-	-	7/02 के 11/02	-
5.	मोतीपुरा	-	3	-	-	7/01,11/02	-
6.	बर नियास	-	2	-	-	9/02, 8/03	-
7.	ईटावा	-	2	-	-	9/02, 8/03	-
8.	पारसौली	-	2	-	-	5/02, 8/03	-
9.	खेरपुरा	-	3	-	-	7/01, 11/03	-
10.	बिछोर	-	2	-	-	8/02 के 10/02	-
11.	सुवानिया	-	2	-	-	2/02, 9/02	-
12.	नन्दवई	-	2	-	-	7/01, 8/03	-
13.	माधोपुर	-	3	-	-	8/01, 9/02	-
14.	अनोपपुरा	-	2	-	-	11/02, 7/03	-
15.	मण्डावरी	-	2	-	-	7/02, 1/03	-
16.	चेची	-	2	-	-	7/02,10/03	-
17.	जयनगर	-	3	-	-	11/01,10/03	-
18.	धनोरा	-	2	-	-	8/01,10/02	-

19.	रामपुरिया	-	2	-	-	7/2, 8/01	-
20.	डोराई	-	2	-	-	8/2के10/02	-
21.	दगार	-	2	-	-	5/02, 7/03	-
22.	चावण्डिया	-	2	-	-	7/02	-
23.	गोपालपुरा	-	2	-	-	9/02, 11/02	-
24.	लोधपुरिया	-	2	-	-	7/2 के8/02	-
25.	खेड़ी	-	2	-	-	1/02, 5/03	-
26.	तेजपुर	-	2	-	-	6/02, 9/02	-
27.	ठुकराई	-	2	-	-	11/01, 9/02	-
28.	श्रीनगर	-	3	-	-	7/02, 9/02, 8/03	-
29.	धामचा	-	3	-	-	3/01, 7/02,	-
30.	कुलाटिया	-	2	-	-	7/02	-
31.	कल्याणपुरा	-	2	-	-	8/01, 11/02	-
32.	पाछन्दा	-	2	-	-	3/99, 10/02	-
33.	आवलहेड़ा	-	2	-	-	11/02, 8/03	-
34.	रेगरबस्ती बेगूं	-	2	-	-	7/01, 11/02	-
35.	नवीन बेगूं	-	2	-	-	8/02, 1/03	-
36.	सलीमगरा	-	2	-	-	7/01	-
37.	बो बस स्टेण्ड	-	1	-	-	5/02	-
	कुल	-	78	-	-		-

परिशिष्ट-ग

प्रतिउत्तर कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ अधीनस्थ (विधान सभा क्षेत्र बेगूं) उ.प्रा.वि. के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं	उ.प्रा.वि. का नाम	रिक्त पद			पद कब से रिक्त है		
		II	III	शा. शि.	II	III	शा. शि.
1.	उ.प्रा.वि.–रा.भा. बाजार	1	1	-	1/03	3/99	-
2.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–, रा.भा.	1	1	-	3/01	8/03	-
3.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–रा.भा.	-	2	-	-	8/01, 10/02	-
4.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–टाकरदा	-	1	-	-	1/03	-
5.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–बोराव (बो.)	-	2	-	-	10/02, 1/03	-
6.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–गोपालपुरा	-	1	1	-	3/2000	1/03
7.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–श्रीपुरा	-	3	-	-	11/01, 4/03, 7/03	
8.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–धगाडमऊ कलां	-	1	-	-	10/02	
9.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–भैंसरोडगढ़	-	1	-	-	10/02	
10.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–थमलाव	-	2	-	-	9/03, 10/03	
11.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–झरझनी	-	1	-	-	10/02	

12.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–जालखेडा	1	3	-	3/03	9/03 से रिक्त	
13.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–धावदकलां	1	2	-	12/02	8/01, 1/03	
14.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–रेनखेड	1	1	-	10/02	10/02	
15.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–एकलिंगपुरा	-	2	-	-	9/03 से रिक्त	
16.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–जवाहर नगर	1	2	1	7/03	10/02, 7/03	0/02
17.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–लक्ष्मीपुरा	1	3	1	3/01	4/01, 12/2, 7/03	7/03
18.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–निमोदा	1	1	-	9/03	9/03	-
19.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–टोलू का लुहा.	-	3	-	/	6/01, 7/02 से दो	-
20.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–दोलपुरा	1	3	-	9/03	11/01, 9/03 से दो	-
21.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–दूधीतलाई	-	2	-	-	8/2000 ,3/01	-
22.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–राजपुरा	1	1	-	9/03	9/03	-
23.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–मण्डेसरा	-	1	-	-	1/03	-
24.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–लुहारिया	-	1	-	-	3/02	-
25.	उ.प्रा.वि.–रा.फेज–बडौदिया (बा.)	1	-	-	6/03	-	-

माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा (बूंदी) का भवन निर्माण प्रकरण

21. **श्री रामनारायण (नैनवां)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा (पंचायत

(श्री रामनारायण)

समिति नैनवां), जिला बून्दी में माडा योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत की जाकर भवन निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालय में निर्मित भवन सही स्थिति में नहीं होने से उसका उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो निर्मित कमरों को विद्यार्थियों के उपयोग लायक बनाये जाने के लिए क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या विद्यालय की कक्षाओं एवं छात्रों की संख्या को देखते हुए विभाग द्वारा नवीन भवन निर्माण के लिए पुन: राशि स्वीकृत की जाने के लिए कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा पंचायत समिति नैनवां के भवन का निर्माण माडा योजना के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है।

(2) जी नहीं। माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा के जो कमरे छात्रों के बैठने लायक नहीं थे, उन्हें विद्यालय द्वारा मरम्मत कराया जा कर शिक्षण कार्य लायक बना लिया गया है तथा अन्य मरम्मत के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) द्वारा शिक्षा विभाग को दिनांक 6.12.2003 द्वारा प्रेषित कर दिये गये हैं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बून्दी से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए कक्षों के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) द्वारा शिक्षा विभाग को भिजवाये गये हैं।

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 की सूची)

परिशिष्ट—अ

अलवर जिले में ऐसे राशन डीलरों की सूची जिनके विरुद्ध जांच चल रही है

क्रम सं.	नाम उचित मूल्य दुकानदार मय स्थान
1.	अशोक कुमार, सेमला खुर्द
2.	हरलाल सैनी, न्याणा, अटैच सैदमपुर
3.	हरलाल सैनी, न्याणा
4.	हरिकिशन यादव, नाहर खोहरा
5.	जितेन्द्र कुमार लीली
6.	जुम्माखा, नसवारी
7.	देशराज, राताखुर्द
8.	आबिदखां खानपुर, मेवान
9.	श्रीमती लालीमीणा, ढहलावास
10.	पल्टूखां पलखड़ी
11.	जगदीश गूर्जर, माधोगढ़
12.	घनश्याम जागा, खुटेटाकला 1/2
13.	पुरुषोत्तम अग्रवाल, गोलाकावास
14.	ग्राम सेवा सरकारी समिति नागंलरूपा
15.	रामनिवास, बामनपुरा
16.	रामस्वरूप सैनी, सौंख
17.	बृजलाल जैन, साहड़ी
18.	हरिलाल प्रजापत, जाहड़
19.	राकेश गुप्ता दुकान नं 36, अलवर शहर
20.	अर्चना सरकार दुकान नं 70, अलवर शहर
21.	नर्बदा देवी दुकान नं 74, अलवर शहर
22.	मोतीलाल वगैरह, डीलर्स, नगर पालिका खैरथल
23.	मदन लाल जैन खैरली, नगर पालिका क्षेत्र

परिशिष्ट–ब

अलवर जिले में ऐसे राशन डीलरों की सूची जिनके विरुद्ध बी. पी. एल. योजना के अन्तर्गत आबंटित गेहूं के दुरूपयोग के प्रकरण दर्ज किये गये

क्रम सं.	वर्ष	नाम उचित मूल्य दुकानदार मय स्थान
1.	1998	ग्राम सेवा सहकारी समिति, दारोदा
2.	1999	रामकिशन मीणा, क्यारा,
3.	"	रामजीलाल, गह्नकर
4.	"	श्रवण कुमार, बेरोज
5.	"	लखबीर सिंह, राताखुर्द
6.	"	रामकिशन मीणा, क्यारा
7.	"	लक्षमण सिंह, नसवारी
8.	"	प्रमोद कुमार, हसनपुर
9.	2000	श्रीराम वर्मा, मौलिया
10.	"	असरफखां साहडोली
11.	2001	मनोहर लाल गिर्राज प्रसाद, गोविन्दगढ़
12.	"	क्रय-विक्रय सहकारी समिति, थानागाजी
13.	"	पुरणमल गूर्जर, बसईकला इसोपुर
14.	"	रामलाल, इन्दपुरा
15.	"	पप्पू रामगोयल, बूटोली
16.	"	हरिराम मीणा, कानेटी
17.	"	ताराचन्द अग्रवाल, किशनगढ़ बास
18.	2002	ग्राम सेवा सहकारी समिति, टहला
19.	"	हनीफमोहम्मद डाबरी
20.	"	शिवराम सिंह, रामपुरा 1 \2
21.	"	योगेश चन्द्र शर्मा, चूला
22.	"	श्योराम खोहरी, बानसूर
23.	"	हुकम सिंह रामपुरा 1 \2

24.	"	झाबर गूर्जर, होलावास
25.	"	बनवारी लाल खाती, माजराअहीर
26.	"	नत्थू सिंह, बास दयाल
27.	"	भागचन्द्र यादव, देवसन
28.	"	बनवारी लाल यादव, गिरूड़ी
29.	"	धर्मेन्द्र कुमार, पाटन
30.	"	देशराज, रातार्खुद
31.	"	शरीफखां, महरमपुर
32.	2003	बचन दास, चिड़वई
33.	"	बलवीर सिंह यादव, भूपसेड़ा

परिशिष्ट-2

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये)

नोखा तहसील में अकाल राहत के तहत निर्मित निजी आवासों के भुगतान में अनियमितता

[श्री गोविन्दराम चौहान (नोखा)]

मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सदन में निम्न विषय निम्न प्रकार उठाता हूं :

यह कि नोखा तहसील के विभिन्न गांवों में वर्ष 2002–03 व 2003–04 के 15 जुलाई, 2003 तक करीब 3500 निजी आवास अकाल राहत कार्यों के तहत जिला प्रशासन ने व्यक्तिगत लाभ योजना के तहत स्वीकृत किये थे। उक्त 3500 मकान पूरी तहसील के विभिन्न गांवों में बनाये गये। उक्त योजना में अकाल पीड़ितों को 10×20 वर्ग फीट के मकान पर 28 क्विंटल 53 किलोग्राम गेहूं प्रशासन द्वारा मजदूरों को मजदूरी पेटे उपलब्ध करवाया जाना था।

उक्त योजना के मस्टररोल जिला प्रशासन द्वारा पटवारियों को दिये गये और उन्हीं के द्वारा सम्बन्धित निजी आवास निर्माण धारी द्वारा कितने मजदूरों को निर्माण कार्य पर लगाकर रोजगार दिया गया उसका आकलन भी पटवारियों द्वारा ही किया जाना था।

नोखा तहसील के एक गांव साजनवासी के भेराराम के मस्टररोल में दिनांक 16-06-2003 से 30-06-2003 तक के कालम नम्बर 9 में (मजूदर के लिए 60 रुपये प्रतिदिन एवं कारीगर के लिए 150 रुपये प्रतिदिन) के हिसाब से एस्टीमेंट किया गया तथा उसी मस्टररोल में कांटछांट करके कालम नम्बर 10 में मजदूरी कम दिखाई (यानी कालम नम्बर 9 में 480 से कालम 10 में 110 एवं कालम नम्बर 9 में 1200 से कालम 10 में 276 रुपये) राशि का अनुमान किया गया है। यह महत्त्वपूर्ण है कि कालम नम्बर 9 में दर्शाये गये एस्टीमेंट (तखमीना) को कनिष्ठ अभियन्ता, पटवारी व तहसीलदार द्वारा सही मानकर हस्ताक्षर किये गये थे तथा उसी मस्टररोल पर पटवारी द्वारा काम की गुणवत्ता व कार्यपूर्णता की रिपोर्ट भी सक्षम अधिकारी एस.डी.एम. के समक्ष पेश करते हुए सम्पूर्ण भुगतान की सिफारिश भी की गई है।

इसके बावजूद एस.डी.एम. पालसिंह व जिला कलक्टर के निर्देश पर पटवारियों को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में पुनः बिठाकर कालम नम्बर 9 की राशि को काटकर दर्शाये गये एस्टीमेंट से एक चौथाई से भी कम भुगतान के लिए कालम नम्बर 10 में भुगतान राशि दर्शाई गई। जबकि कालम नम्बर 10 में मजदूर के हस्ताक्षर होने थे तथा पूरी तहसील के सभी गांवों के मस्टररोलों में कांट-छांट कर इन अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पदों का भंयकर दुरूपयोग किया है।

चूंकि अकाल पीड़ितों ने सरकार की इस योजना के चलते अपना कठिनाई का समय अन्य रोजगार में न लगाकर मकान निर्माण में लगाया और ऊपर से कर्जा भी लिया तथा मकान बन जाने के बाद इन अधिकारियों ने अपनी तानाशाही से मजदूरों की मजदूरी में से 20 से 80 प्रतिशत गेहूं काटकर जो क्षति पहुंचाई है उसकी किसी भी प्रकार से पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके पीछे साफ तथ्य यह है कि रिश्वत के चक्कर में अधिकारियों ने निर्धारित टारगेट से तीन गुणा ज्यादा निजी आवास स्वीकृत किये और जब भुगतान का समय आया तो कुछ को तो 28 क्विंटल 53 किलो पूरे गेहूं दे दिये और शेष बचे ग्रामीणों को उनके कार्य में से एक तिहाई हिस्सा तक कटौती करके भुगतान किया गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि अकाल में लोगों ने कर्जा भी कर लिया और अन्य रोजगार से भी अलग रहना पड़ा। जिसका ग्रामीणों पर भंयकर आर्थिक संकट का भार पड़ा है। मेरी मांग है कि मस्टररोल के कालम नम्बर 9 में दर्शाये गये रुपये के हिसाब से गेहूं का भुगतान किया जावे तथा जिला प्रशासन द्वारा की गई गलत कार्यवाही को निरस्त फरमावें और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जावे।

मेरे नोटिस के साथ उदाहरण स्वरूप ग्राम साजनवासी के लोगों के मस्टररोल शामिल कर रहा हूं।

1. भैंराराम भादू ग्राम साजनवासी के मस्टररोल नम्बर 283839 में दिनांक 16-6-2003 से 30-06-2003 तक में कालम नम्बर 9 में भुगतान योग्य राशि 7050 रुपये तथा कालम नम्बर 10 में भुगतान योग्य राशि 1598 रुपये दर्शाई गई है। इसमें एक तथ्य ओर है कि कालम नम्बर 9 की राशि व कालम नम्बर 10 की राशि में से कौनसा भुगतान किया जावे। कुछ स्पष्ट नहीं है।

2. रामेश्वर लाल पुत्र बगसाराम ग्राम साजनवासी के मस्टररोल नम्बर 283840 दिनांक 16-6-2003 से 30-06-2003 के कालम नम्बर 9 में भुगतान योग्य राशि 7050 रुपये तथा कालम 10 में भुगतान योग्य राशि 4510 रुपये हैं। इसमें कालम नम्बर 9 की राशि को काटकर कालम 10 का भुगतान करना बताया है।

3. चेतन राम पुत्र बगसाराम जाट निवासी ग्राम साजन वासी के मस्टररोल नम्बर 283841 दिनांक 16.06.2003 से 30.06.2003 में कालम नम्बर 9 में भुगतान योग्य राशि 7050 एवं कालम नम्बर 10 में भुगतान योग्य राशि 3238 रूपये दर्शाई है। इसमें भी कालम नम्बर 9 की राशि को काटकर कालम नम्बर 10 में दर्शाई गई राशि का भुगतान करना बताया है।

तीनों मस्टररोलों में पटवारी ने कार्यपूर्णता की रिपोर्ट भी की है तथा कनिष्ठ अभियन्ता व तहसीलदार ने भी हस्ताक्षर किये है। इसके बावजूद भी इन तीनों मस्टररोलों के भुगतान में अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से अलग अलग भुगतान दर्शाया है जबकि कार्य का स्वरूप एक ही है।

मेरी मांग यह है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जावे एवं नोखा तहसील के पीड़ितों को मस्टररोल के क्रमांक 9 में दर्ज राशि के हिसाब से गेहूं का भुगतान किया जावे ताकि जिन किसानों पर आर्थिक भार पड़ा है उससे राहत मिल सकें।

जोधपुर शहर में सड़क सुधार व अन्य विकास कार्यों की गति

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर शहर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अतः इसके विकास हेतु समुचित प्रयास आवश्यक है। हाल ही में एबीडी परियोजना द्वारा शहर के विकास की योजना बनाई गई थी। परन्तु इस योजना का केवल प्रचार ही अधिक हुआ जबकि कार्य बहुत ही कम हुआ। जो भी कार्य हुआ वह केवल एक विधान सभा क्षेत्र तक ही सीमित रहा जबकि जोधपुर में तीन विधान सभा क्षेत्र हैं।

शहर विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए उक्त परियोजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 65 लाख के कार्य प्रस्तावित थे वही केवल 70 लाख के कार्यादेश विधान सभा चुनाव पूर्व जारी किये गये थे और उनमें से भी अब तक केवल एक ही सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से शहर क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था सुधार एवं कच्ची बस्ती सुधार का कोई भी कार्य अपने हाथ में नहीं लिया गया है। जबकि इस मद में 18 करोड़ रुपये के कार्य पूरे जोधपुर के लिए ही प्रस्तावित थे जिसमें से शहर क्षेत्र के लिए मात्र 72 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। क्या शहर क्षेत्र में सुधार की कोई आवश्यकता पूववर्ती कांग्रेस सरकार महसूस नहीं करती थी।

आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि प्रथम तो शहरी क्षेत्र में जो भी विकास कार्य इस परियोजना द्वारा प्रस्तावित थे, उन्हें 100 दिनों में पूरा करवाया जाये। साथ ही इस परियोजना द्वारा जोधपुर के विकास की जो भी परियोजनाएं बनाई गई है उनमें उचित बदलाव करते हुए शहर क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था एवं कच्ची बस्ती विकास के लिए भी समुचित प्रावधान किये जाए। सादर।

बहरोड़ के ग्राम रोडवाल में विद्युत कनेक्शन

[डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)]

ग्राम रोड़वाल के ग्रामवासियों ने मुझे बताया है कि वर्ष 1990-91 में घरेलू कनेक्शन हेतु ग्रामवासियों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवा दी थी। गांव में बिजली की लाइन भी डाल दी गई थी एवं डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा करवाने वालो को विद्युत मीटर भी दिये गये थे। लेकिन इन घरों में विद्युत कनेक्शन कभी नहीं दिया गया। यह भी आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों को मीटर पकड़ाये गये थे, उन घरों में बिजली के बिल लगातार आते रहे और इस बीच में गांव में विद्युत लाइन खम्भों पर डाली गई थी, उसको भी हटा दिया गया। ग्रामवासियों की मांग है कि गांव में घरेलू कनेक्शन शीघ्र जारी किये जावें। पुराने बिल जो बिना कनेक्शन जारी कर दिये गये उनको रद्द किया जावे और गांव में विद्युत आपूर्ति की जावे।

कृपया इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु माननीय उर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

कठूमर के खेरली में सामान्य कृषि विद्युत कनेक्शनों पर रोक

[श्री रमेश खींची (कठूमर)]

विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के उप खण्ड लक्ष्मणगढ़ में विद्युत वितरण निगम उपखण्ड, खेरली में सामान्य कृषि कनेक्शन के वर्ष 1989 तक के कनेक्शनों पर रोक लगा दी जिसस किसानों में भारी रोष है। इसी के साथ स्पेशल केटेगरी के अन्तर्गत जिसने भी कृषि कनेक्शन थे जिनके करीब-करीब 6-6 माह डिमाण्ड नोटिस जारी किये हुये हो गये है लेकिन आज तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया है जिससे किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो रही है। इसी प्रकार क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर को सही नहीं कराया गया है।

घरेलू कनेक्शन व कृषि कनेक्शन एक ही डी.पी. पर होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपसे विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत

निवेदन है कि अविलम्ब आदेश जारी कर सामान्य कृषि कनेक्शन को शीघ्र खोले व जले हुये ट्रांसफार्मर को भी शीघ्र बदलवाने की व्यवस्था करावें।

तारानगर में इंदिरा गांधी नहर के पानी के लिए समुचित वितरण प्रणाली

[डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)]

चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य प्रगति पर है। इंदिरा गांधी नहर का तारानगर में प्रवेश करना तारानगर तहसील और चूरू जिले की जनता के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाने से चूरू की जनता को कृषि क्षेत्र में काफी लाभ होगा तथा इस नहर के द्वारा सिंचाई का पानी मिल जाने के पश्चात् वहां के किसान पूरी साल पैदा होने वाली सभी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। चूरू भी अन्य जिलों की तरह कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर अग्रणी जिलों की श्रेणी में आ सकता है।

चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी किसानों को सिंचाई के लिए वितरित किया जाना प्रस्तावित है। उसी क्रम में मेरा प्रश्न यह है कि इंदिरा गांधी नहर से पानी के वितरण के लिए चूरू जिले की तारानगर तहसील में इस तरह की "वितरण प्रणाली" कब तक लागू हो जायेगी, जिससे जैसे-जैसे नहर के निर्माण का कार्य पूर्ण होता जाये वैसे-वैसे ही उस नहर से सिंचाई का पानी किसानों को भी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

मेरी जानकारी के अनुसार मुख्य नहर के पूर्ण निर्माण के पश्चात् ही इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। इस नहर का कार्य पूर्ण होने में काफी समय लग सकता है। इससे अनावश्यक रूप से वितरण प्रणाली को लागू करने में विलम्ब होगा और किसानों को सिंचाई के पानी के लिए लम्बे समय तक इन्तजार करना होगा। चूरू जिले की जनता सिंचाई का पानी प्राप्त करने के लिए लालायित है। अगर इस प्रणाली को शीघ्र लागू कर उन्हें सिंचाई के लिए पानी मुहैया नहीं करवाया जायेगा तो किसान वर्ग सिंचाई के पानी के अभाव में फसलों की बुआई से वंचित हो जावेगा। अतः मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराना चाहता हूं कि चूरू जिले की तारानगर तहसील में इंदिरा गांधी नहर के पानी के

लिए समुचित वितरण प्रणाली कब तक लागू हो जायेगी, जिससे किसानों को नहर के निर्माण के साथ-साथ उससे सिंचाई के लिए जल भी मुहैया हो सके।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टों की रजिस्ट्री

[श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)]

सब रजिस्ट्रार, कलेक्टरेट परिसर, जयपुर कुछ दिनों से "जयपुर विकास प्राधिकरण" द्वारा जारी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, इससे एक तरफ तो रजिस्ट्री शुल्क ना मिलने के कारण राज्य सरकार को लाखों रुपये रोज का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ आम जनता को पट्टों की रजिस्ट्री ना होने के कारण भारी परेशानी भुगतनी पड़ रही है क्योंकि जमीन के खरीद-फरोख्त के सौदे पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

उपरोक्त रजिस्ट्रार द्वारा यह कहा जा रहा है कि "राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पटटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है।"

कृपया वित्त मंत्रीजी से इस विषय में पूछने का कष्ट करें कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से यह रोक लगाई गई है और राज्य सरकार को लाखों रुपये रोज के रेवेन्यू का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कृपया यह भी पूछे कि अब किस तारीख से राज्य सरकार पट्टों की रजिस्ट्री से रोक हटाने जा रही है।

यह विषय अति महत्व का है इसलिये यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रेषित है। धन्यवाद।

सरदारशहर दुग्ध डेयरी परियोजना के परियोजना अधिकारी के खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही

[श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)]

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जिला चूरू में सरदारशहर दुग्ध डेयरी में कार्यरत परियोजना अधिकारी श्रीगुरदयाल सिंह पुरोहित के विरुद्ध अनेकों शिकायतें थी और मुंसिफ मजिस्ट्रेट, लूणकरणसर जिला बीकानेर, द्वारा धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में उक्त अधिकारी को धारा 420 व 467, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सात साल की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। उक्त अधिकारी ने सेशन न्यायालय, बीकानेर में अपील की एवं किन्हीं कारणवश सेशन न्यायाधीश ने दिनांक 20-11-2003 को उक्त अधिकारी को बरी कर दिया जबकि पूर्व के फैसले के बाद उक्त अधिकारी को नौकरी से बरखास्त कर दिया था और किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया था। दिनांक 20-11-2003 को बीकानेर के सेशन न्यायाधीश द्वारा बरी करने पर दिनांक 21-11-2003 को उक्त अधिकारी को तुरन्त नौकरी पर ले लिया गया और उसी दिन वेतन का भुगतान कर दिया गया और उसी दिन फील्ड पोस्टिंग दे दी गई जबकि डेयरी विभाग के कार्मिक अनुभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4161 डीओपी/ए–3/78 दिनांक 13-7-2001 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि भ्रष्ट अधिकारियों, जिनके खिलाफ ए.सी.डी. में मामला विचाराधीन है, उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाये। साथ ही उक्त अधिकारी के पिताजी के खिलाफ एक मामला उनकी पत्नी के नाम, एक मामला और एक मामला पुत्र के खिलाफ ए.सी.डी. में दर्ज है और उनके चालान के आदेश भी हो चुके हैं। उक्त अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग देने वाले दुग्ध डेयरी, सरदारशहर के प्रबन्ध संचालक एस.एन. सिंह के द्वारा यह कार्यवाही मिलीभगत से हुई है और इसमें अनेक खामियां भी रहीं हैं। इस प्रकार उक्त प्रबन्ध संचालक की एस. एन. सिंह भी एक भ्रष्ट अधिकारी को एक ही दिन में नौकरी जोइन करवाने, वेतन का भुगतान करने और फील्ड पोस्टिंग देने के दोषी है। अतः उक्त प्रबन्ध संचालक के खिलाफ भी कार्यवाही करके सस्पैण्ड किया जाना आवश्यक है, क्योंकि

नियमों के अनुसार यह मामला डेयरी के प्रशासक जिला कलक्टर, चूरू की परिधि में आता है। इस प्रकरण में शासन सचिव, डेयरी तथा अन्य उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर कार्यवाही की जाती या अपील की जाती तो उचित रहता। इस प्रकरण में कोई अपील नहीं की गई है। इस मामले में जो सरकार का वित्तीय नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उक्त दोषी अधिकारियों, प्रबन्ध संचालक तथा परियोजना अधिकारी, दोनों से किया जाना नितान्त आवश्यक है। साथ ही जो निर्णय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर ने किया है, उसकी भी समीक्षा होना आवश्यक है। उक्त फैसले में सेशन न्यायाधीश, बीकानेर ने लिखा है कि उपरोक्त प्रकरण में 25000 रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और यह मामला 409 गबन का बनता है परंतु निचली अदालत ने इसे गबन का मामला नहीं माना है और साथ ही उक्त अधिकारी को बरी भी किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें उच्च न्यायालय में निश्चित समयावधि में अपील की जाकर भ्रष्ट और दोषी अधिकारियों को सजा दिलवाया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अधिकारियों को सबक मिल सके और उनके हौंसले बुलन्द नहीं हो।

मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि उक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के अधूरे कार्य

[डा. सुरेश चौधरी (भादरा)]

राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के निर्माण का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है लेकिन सर्वे कार्य को चलते हुए 4-5 साल हो गये उसके बावजूद अभी तक परियोजना का चंकबंदी, मुरबाबंदी, किलाबंदी का कार्य पूरा नहीं हुआ है, ना ही आउट लेट (मोगे) लगाने का कार्य हो रहा है तथा ना ही बाराबंदी लागू हुई है। परियोजना की नहरों में पानी तो डेढ़-दो सालों से चल रहा है लेकिन सर्वे कार्य कछुआ चाल से होने की वजह से करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद अभी तक किसानों के खेतों में कानून सम्मत तरीके से पानी नहीं पहुंचा है। आउट लेट या बाराबंदी नहीं होने से परियोजना के आसपास के खेतों के काश्तकार सिंचाई करने के लिए गैर कानूनी तरीके से नहरों से पानी

ले रहे हैं जिससे ना केवल प्रशासन व काश्तकारों के बीच आये दिन टकराव हो रहा है अपितु परियोजना की नहरों के हैड व तेल के काश्तकारों के बीच कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से हैड के काश्तकारों द्वारा नहर में से बेहिसाब पानी निकाल लेने से तेल के काश्तकारों व गांवों तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा है जिससे इस क्षेत्र में सर्दियों में भी पेयजल का जबरदस्त अभाव है।

इस परियोजना के भादरा क्षेत्र में रासलाना वितरिका व सिद्धमुख वितरिका सिस्टम में जितने चकों की सर्वे व प्लानिंग हो गई है उनके आउट लेट लगाये जाकर काश्तकारों को पानी की बारी बांधी जाकर पर्ची बंटवाई जावे, खालों का निर्माण करवाया जावे।

परियोजना की रासलाना वितरिका में चनाण माइनर के आगे क्रास रेगुलेटर अति आवश्यक है इसके अभाव में चनाण माइनर एवं पालडी माइनर चलाना (आधी नहर चले तब) असम्भव है। उपरोक्त स्थान पर क्रास रेगुलेटर लगाया जावे।

परियोजना की रतनपुरा वितरिका एवं बोडर माइनर को चलाने के लिए सिद्धमुख फाडर में क्रास रेगुलेटर बेहद जरूरी है इसे जल्दी करवाया जावे।

सिद्धमुख वितरिका के होल पर 40 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए रखा हुआ है जबकि पिछले दिनों जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता ने क्षेत्र का दौरा कर पेयजल के लिए अलग से 80 क्यूसेक पानी स्वीकृत करने हेतु मांग की थी। पेयजल के लिए 80 क्यूसेक पानी स्वीकृत कर जो 40 क्यूसेक पानी पेयजल के लिए रखा जा रहा है उसका उपयोग क्षेत्र में परियोजना के सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई का पानी देने के लिए नहर बनाई जाये।

शाहपुरा के राजकीय चिकित्सालय भवन की मरम्मत

[श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैराठ में स्थित शाहपुरा कस्बे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजकीय चिकित्सालय के लिए 1968 में भवन बनाया गया था और तब से ही इस

भवन में राजकीय चिकित्सालय को संचालित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि 1968 से ही जब से यह भवन बना है इसकी मरम्मत के लिए विभाग ने कोई कार्य नहीं किया और आज लगभग 35 साल बाद इस भवन की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गई है और आज हालत यह हो गई है कि इस चिकित्सालय का भवन कभी भी गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि शाहपुरा कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण भी इस चिकित्सालय पर काफी कार्यभार रहता है। यहां ट्रोमा अस्पताल की स्वीकृति 1998 में हो गई थी लेकिन आज तक भी उक्त अस्पताल प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि जब से शाहपुरा के राजकीय चिकित्सालय का भवन बना है इसके रख-रखाव और मरम्मत का विभाग ने कोई कार्य नहीं करवाया जिसके कारण शाहपुरा कस्बे और आसपास के गांवों के निवासी भवन के कभी भी गिर जाने की आशंका के कारण अपना व परिजनों का इलाज कस्बे के अन्य प्राइवेट महंगे अस्पतालों में इलाज करवाने को बाध्य होते हैं और आर्थिक रूप से दोहरी मार झेलने के अलावा राज्य सरकार के प्रशिक्षित चिकित्सकों की सेवाओं से भी वंचित रहते है।

अतः मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके व सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम 295 की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस अस्पताल के भवन की मरम्मत की अविलम्ब व्यवस्था करवायें जिससे कि शाहपुरा कस्बे और आसपास के सैकड़ों गांवों की जनता को राज्य सरकार द्वारा स्थापित चिकित्सालय को सेवाओं का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

सुजानगढ़ में पेयजल समस्या

[श्री खेमाराम मेघवाल (सुजानगढ़)]

मैं, विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ में पेयजल की किल्लत व फ्लोराइड युक्त पानी से मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के प्रति आकर्षित कर समुचित व्यवस्था व समाधान के लिये विशेष उल्लेख करना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र सुजानगढ़ में शहरी व पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण आंचल में पेयजल का स्थानीय स्रोत नहीं होने से लाडनूं मंगलूणा व सेठों की ढाणी से पानी आता है। लाडनूं क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की आपूर्ति होने वाले कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। फलस्वरूप पानी की भयंकर किल्लत है। पानी फ्लोराइड युक्त चूने की मात्रा अधिक होने से सारे शहर की लाइने चौक पड़ी है तथा लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है लोगों के घुटनों की बीमारियां रहने लगी है।

अतः समुचित व्यवस्था के लिये निवेदन है कि सरकार के पास लम्बित पड़ी योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करवा कर समुचित व्यवस्था करावें तथा फ्लोराइड की मात्रा का भी निदान होना अत्यावश्यक है। पूर्वी गांवों में भी पानी की भयंकर किल्लत है। राजियासर, मांगीवाद, मींगणा, जिली आदि कई गांव है जहां पिछले दो माह से पानी के दर्शन नहीं हो रहे हैं तथा मेरे क्षेत्र का भानीसरिया गांव ऐसा है जहां वर्षों से पेयजल के लिये लोग मोहताज है। समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

अतः मेरे क्षेत्र की दो पेयजल की लम्बित पड़ी योजनाओं को शीघ्र वित्तीय स्वीकृति दिलवा कर जनहित में समुचित व्यवस्था करावें। यही मेरा पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है।

अजमेर के ग्राम सावर निवासी मजदूर पर गोली चलाने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी

[श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़)]

मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत 05 जनवरी, 2004 को केकड़ी रोड ग्राम सावर जिला अजमेर के गौरव रेस्टोरेन्ट में मजदूरी करने वाला गरीब श्री देवकरण जो बर्तन साफ कर रहा था, कि सावर की तरफ से आने वाली एक जीप जिसमें 9 व्यक्ति सवार थे, आये तथा जीप रोकी और श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह निवासी सावर आदि ने गोली मारकर श्री देवकरण को घायल कर दिया।

उक्त सम्बन्ध में श्री देवकरण की ओर से पुलिस थाना सावर में मुकदमा नम्बर 5/2004 धारा 307, 147, 323 आई.पी.सी. दर्ज करवाया गया है।

आज घायल श्री देवकरण अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। परंतु नामजद मुकदमा दर्ज कराने, जीप की पहचान बताने और घटना को 15 दिन व्यतीत होने के बाद भी न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही जीप व हथियार की बरामदगी हुई है।

आश्चर्य यह है कि मुलजिम बेखौफ होकर श्री देवकरण और मौके पर बचाने वाले लोगों को व उनके परिवारों को मारने की धमकी देते फिर रह रहे है।

अतः इस महत्व के विषय की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होने के क्या कारण हैं। अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण भी सम्भव है तथा अन्य कोई घटना न हो जाये शीघ्र कार्यवाही कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाये।

बामनवास तहसील की ग्राम पंचायत जीवद के पूर्व संरपच द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान

[श्री हीरालाल (बामनवास)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 1995 से 2000 तक सरपंच ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के द्वारा स्वीकृत विकास कार्य करवाये गये थे जिनको समय-समय पर अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं एम. बी. जारी की गई थी किन्तु उनका भुगतान जानबूझकर अभी तक नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में पंचायत राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3(एजे)जांच/स.मा.2000/3373 दिनांक 19-7-2003 को अवर सचिव (जांच) राजस्थान जयपुर ने 1,62,000 का बकाया भुगतान देने हेतु आदेश जारी किया था। विकास अधिकारी बामनवास ने उक्त बकाया राशि के भुगतान को 15 दिवस में करने हेतु पत्र क्रमांक 493 दिनांक 11-9-2003 द्वारा संरपच एवं सचिव को जारी किया गया था किन्तु अधिकारियों एवं सरपंच की सांठगांठ के कारण राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए बकाया भुगतान नहीं किया गया।

सरकार के आदेशों की पालना नहीं होने के कारण अवर शासन सचिव (जांच) राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 4764 दिनांक 30-9-2003 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास को जब तक पूर्व संरपच का बकाया भुगतान न हो तब तक अन्य प्रयोजन पर व्यय करने हेतु रोक लगाने एवं बकाया भुगतान नहीं करने पर सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बामनवास ने राज्य सरकार के आदेशों की पालना में दिनांक 7-10-2003 को शाखा प्रबन्धक अरावली बैंक एवं शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक को पत्र प्रेषित कर खातों से आहरण पर रोक लगा दी किन्तु इसी विकास अधिकारी ने बिना किसी राज्य सरकार के आदेश के सरपंच से सांठगांठ करके तथा भ्रष्ट तरीके अपनाकर खातों के आहरण पर लगाई गई रोक सात दिन पश्चात् दिनांक 14-10-2003 को हटा ली। विकास अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के कारण रोक हटने के पश्चात् सरपंच ने पंचायत

के खाते से 1, 42,000 रुपये निकाल लिये। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास के पूर्व संरपच का बकाया भुगतान अतिशीघ्र किया जाये तथा राज्य सरकार के आदेशों पर उल्लंघन करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एवं सरपंच ग्राम पंचायत जीवद एवं सचिव के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

सदस्य-सूची

दिनांक 20 जनवरी, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
सदन की कार्यवाही	
-अभिवादन	1
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	142
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में पैराटीचर, शिक्षा सहयोगी एवं शिक्षाकर्मियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति	35
-राज्य में बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति	35
-शिक्षा संकुल जयपुर का नाम बदले जाने की चर्चा	35
श्री अमराराम (धोद)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद	89
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राज्य के विद्यालयों में कक्षावार अध्यापकों की नियुक्ति	10
-राज्य के विद्यालयों में रिक्त पद	172
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जयपुर के प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच	210
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग	59
डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
ऊर्जा	
-बहरोड के ग्राम रोडवाल में विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने के संबंध में	234

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग	38
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच	13
श्री खेमाराम मेघवाल (सुजानगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सूजानगढ़ में पेयजल समस्या	241
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयों में रिक्त पद	203
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बेगूं की पंचायत मुख्यालय की सड़कों का डामरीकरण	30
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
गृह	
-गृह विभाग की अधिसूचना	66
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 2000-01	69
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
अकाल एवं सहायता	
-नोखा तहसील में अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये निजी आवासों के भुगतान में हुई कथित अनियमितता	230

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राज्य के विद्यालयों में कक्षावार अध्यापकों की नियुक्ति	2
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
यातायात एवं परिवहन	
-परिवहन विभाग की पांच अधिसूचनाएं	67
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-02	68
समिति प्रतिवेदन:कार्य सलाहकार	
-कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन	69
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग	53
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
सिंचाई	
-तारानगर में इन्दिरा गांधी नहर के पानी के लिए समुचित वितरण प्रणाली	235
श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेंगू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बेगूं में शिक्षकों के रिक्त पद	218
सार्वजनिक निर्माण	
-चित्तौडगढ़ बेगूं सड़क का निर्माण	194
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बेगूं की पंचायत मुख्यालय की सड़कों का डामरीकरण	30

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद	206
सार्वजनिक निर्माण	
-अलवर दिल्ली राजमार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण	189
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच	13
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
स्वायत्त शासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टों की रजिस्ट्री	236
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-वरीयता सूची में चयनित अध्यापकों की नियुक्ति	175
श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच	14
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद	71

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौडगढ़), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
उद्योग	
-उद्योग विभाग की एक अधिसूचना	68
श्री निर्भय लाल (रूपवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-रूपवास की स्वीकृत अपूर्ण सड़कें	189
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद	131
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग	56
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-02	69
-राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002	69
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बारां जिला के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अध्यापक	208
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	217

नाम	पृष्ठ संख्या

सार्वजनिक निर्माण

-नोहर में सड़कों का निर्माण 194

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-हनुमानगढ़ जिले में नवीन विद्यालयों का निर्माण एवं क्रमोन्नयन 171

डा. बाबूलाल नागर (दूदू)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति 205

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में प्रवेश 169

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-बीकानेर जिला परिषद द्वारा अध्यापक पद पर नियुक्ति 202

-शारीरिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति 196

अभिभाषण

-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद 76

तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच 23

स्थगन प्रस्ताव

-राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग 40

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-सरदारशहर के विद्यालयों में रिक्त पद 195

सार्वजनिक निर्माण

-सरदारशहर के सड़क विहीन ग्राम 180

-सरदारशहर क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण 180

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
डेयरी एवं पशुपालन	
-सरदारशहर दुग्ध डेयरी परियोजना के परियोजना अधिकारी के खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही	237
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-पाली जिले के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	195
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-गोगुन्दा (उदयपुर) के आदिवासी क्षेत्र को अनुसूचित जाति उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव	169
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच	19
श्री रमेश खींची (कठूमर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-अलवर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद	176
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
ऊर्जा	
-कठूमर के खैरली में सामान्य कृषि विद्युत कनेक्शनों पर रोक	234
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच	16
सार्वजनिक निर्माण	
-बेगूं की पंचायत मुख्यालय की सड़कों का डामरीकरण	31

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद	87
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच	17
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
गृह	
-अजमेर के ग्राम सावर निवासी मजदूर पर गोली चलाने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी	242
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति पर चर्चा की मांग	44
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-बून्दी में माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा का भवन निर्माण प्रकरण	225
सार्वजनिक निर्माण	
-कुरल नदी (बून्दी) की पुलिया निर्माण में अनियमितता	183
-जखाना रायथल (बून्दी) सडक निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा	183
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राज्य के विद्यालयों में कक्षावार अध्यापकों की नियुक्ति	2
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बेगूं की पंचायत मुख्यालय की सड़कों का डामरीकरण	33

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-शाहपुरा के राजकीय चिकित्सालय भवन की मरम्मत	239
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-अलवर जिले के राशन डीलरों के विरुद्ध जांच	26
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बनास नदी पुल के टोल टैक्स से प्राप्त आय	188
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा	177
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद	142
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बेगूं की पंचायत मुख्यालय की सड़कों का डामरीकरण	32
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
सिंचाई	
-सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के अधूरे कार्य	238
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जोधपुर शहर में सड़क सुधार एवं अन्य विकास कार्यों की गति	233

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हीरालाल (निवाई)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जीवट द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं होने के संबंध में	243
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-किशनगंज में नेशनल हाइवे नम्बर-76 का निर्माण	170
-बेगूं की पंचायत मुख्यालय की सड़कों का डामरीकरण	32